J. C.

Copyright (2nd Amendment)

1982

Report

1993

CB-11

E3

Material for)
the Spine)

Not to be printed.

J.C.

Copyright
(2nd Amendment)
Bill, 1992

Report

~~Evidence/Report~~

1993

CB_II

1993

CB II No. 386

LOK SABHA

THE COPYRIGHT (SECOND AMENDMENT) BILL, 1992

REPORT OF THE JOINT COMMITTEE

Presented to Lok Sabha on 24 August, 1993
Laid in Rajya Sabha on 24 August, 1993

सत्यमेव जयते

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

August, 1993/Sravana 1915 (Saka)

Price: Rs. 10.00

JOINT COMMITTEE ON THE COPYRIGHT (SECOND AMENDMENT) BILL, 1992.

Corrigenda to the Report of the Committee

Page	Para	Line	For	Read
iv		19	Shri A.C.C.Urri	Shri A.C.C.Unii
vii	21	22	Line 8 at page 8	Line 18 page 7
vii	22	29	Page 16 line 1	Page 14 line 17
vii	23	32	Page 17 line 4	Page 15 line 14
vii	24	37	Page 17 line 12	Page 15 line 24
vii	25	40	line 34	line 45
3		9	acrohat	acrobat
5	8	36	ollowing	following
26	4	17	Besides	besdies
49	4	11	underlined	in italics

CONTENTS

	Page
1. Composition of the Joint Committee	(iii)
2. Report of the Joint Committee	(v)—(vii)
3. Bill as reported by the Joint Committee	1

Appendices

Appendix I:
Motion in Lok Sabha for reference of the Bill to the Joint Committee 17

Appendix II:
Motion in Rajya Sabha 18

Appendix III:
List of Associations/Organisations, individuals, etc. from whom Memoranda were received by the Joint Committee 19

Appendix IV:
List of witnesses who tendered oral evidence before the Joint Committee 23

Appendix V:
Minutes of the Joint Committee 24

THE JOINT COMMITTEE ON THE COPYRIGHT (SECOND AMENDMENT) BILL, 1992

COMPOSITION OF THE COMMITTEE

Shri Syed Sibtey Razi — *Chairman*

MEMBERS

Lok Sabha

2. Shri E. Ahamed
3. Shri Anand Ahirwar
4. Dr. F. Azam
5. Shri Avtar Singh Bhadana
6. Smt. Dil Kumari Bhandari
7. Shri Gurcharan Singh Dadhahoor
8. Shri Probin Deka
9. Shri Sharad Dighe
10. Mohammad Ali Ashraf Fatmi
11. Shri Imchalemba
12. Shri Jai Prakash
13. Shri Shyam Lal Kamal
14. Smt. Krishnendra Kaur (Deepa)
15. Shri M. Krishnaswamy
16. Kum. Padmasree Kudumula
17. Shri V. Dhananjaya Kumar
18. Prof. (Smt.) Savithiri Lakshmanan
19. Shri Birsingh Mahato
20. Shri Simon Marandi
21. Shri Janardan Prasad Misra
22. Smt. Geeta Mukherjee
23. Shri Rupchand Pal
24. Shri Harpal Panwar
25. Shri Rameshwar Patidar
26. Dr. R.K.G. Rajulu
27. Shri Naranbhai Jamlabhai Rathava
28. Shri Bhagwan Shankar Rawat
29. Shri Kodakani Gowdana Shivappa
30. Shri P.C. Thomas
31. Shri Sobhanadreeswara Rao Vadde

Rajya Sabha

*32. Dr. Baldev Prakash
33. Dr. Naunihal Singh
34. Shri Mohammed Afzal *Alias* Meem Afzal
35. Shri Dineshbhai Trivedi
**36. Dr. R.K. Poddar
37. Dr. Sanjaya Sinh
38. Shri S. Viduthalai Virumbi
39. Shri Vishvjit P. Singh
40. Shri Madan Bhatia
41. Shrimati Veena Verma
42. Shri B.K. Hariprasad
43. Shri Iqbal Singh
44. Shri G. Swaminathan
45. Shri Subramanian Swamy

---

* Expired on 17 November, 1992 and the vacancy was not filled up.
** Retired from the membership of Rajya Sabha on 9 July, 1993 and the vacancy was not filled up.

SECRETARIAT

1. Shri G.L. Batra — *Additional Secretary*
2. Shri S.C. Gupta — *Joint Secretary*
3. Shri R.K. Chatterjee — *Deputy Secretary*
4. Shri Ram Avtar Ram — *Under Secretary*

REPRESENTATIVES OF THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION)

1. Shri S.V. Giri — *Secretary*
2. Shri R.K. Sinha — *Additional Secretary*
3. Shri Y.N. Chaturvedi — *Additional Secretary*
4. Shri Jagdish Sagar — *Joint Secretary*
5. Shri M.C. Joshi — *Director*
6. Shri M.P.M. Kutty — *Director (Book Promotion and Copyright)*
7. Smt. V. Lakshmi Reddy — *Director*
8. Shri Jagdish Swaroop — *Special Officer*
9. Shri V.K. Saxena — *Licensing Officer*

REPRESENTATIVES OF THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (LEGISLATIVE DEPARTMENT)

1. Shri A.C.C. Urri — *Additional Secretary*
2. Shri Raghbir Singh — *Joint Secretary and Legislative Counsel*
3. Shri S.P. Kanwal — *Deputy Legislative Counsel*

REPORT OF THE JOINT COMMITTEE ON COPYRIGHT (SECOND AMENDMENT) BILL, 1992

I, the Chairman of the Joint Committee to which the Bill* *viz.* the Copyright (Second Amendment) Bill, 1992 was referred, having been authorised to submit the Report on their behalf, present this Report.

2. The Bill was introduced in the Lok Sabha on 16 July, 1992. The motion for reference of the Bill to a Joint Committee of both Houses of Parliament was moved in Lok Sabha by Shri Arjun Singh, Minister of Human Resource Development on 19 August, 1992 and was adopted *(Appendix I)*.

3. The Rajya Sabha concurred in the said motion on 20 August, 1992 *(Appendix II)*.

4. The message from Rajya Sabha was published in Lok Sabha Bulletin Part II on 24 August, 1992

5. The Committee held 19 sittings in all.

6. The first sitting was held on 15 September, 1992. At this sitting, the Committee considered their future programme of work and decided to issue a press communique inviting memoranda containing suggestions/comments on the Bill by 16 October, 1992 from the State Governments, Union Territory Administrations, Bar Councils, Writers, Publishers, Journalists and other individuals interested in the subject matter of the Bill for their consideration. The Committee also desired that the contents of the press communique be given wide publicity through National dailies including regional language Newspapers, Television/A.I.R., etc. The Ministry was also directed to consider the measures to give wide publicity to the contents of the Bill to create public awareness.

The Committee also decided that a letter might be addressed to all the State Governments, Union Territory Administrations, Bar Councils, Writers, Publishers, other organisations, educational institutions, persons and other individual experts who have worked or interested in this field, inviting their comments/suggestions on the Bill.

The Committee directed that a specific questionnaire might be framed by the Ministry of Human Resource Development (Department of Education) and Lok Sabha Secretariat which could be sent to these organisations/experts for eliciting their views. The Committee decided to give a period of four weeks to the organisations/bodies/individuals to submit their memoranda to the Committee.

7. Accordingly, a press communique inviting Memoranda and requests for oral evidence was issued on 15 September, 1992.

As per decision taken by the Committee a letter inviting Memoranda containing comments suggestions on the provisions of the Bill was also issued to all the State Governments/Union Territory Administrations and individuals whose names were furnished by the Ministry of Human Resource Development (Department of Education). The Ministry of Human Resource Development (Department of Education) also gave publicity through leading newspapers inviting memoranda from the general public by 16 October, 1992. The Committee later extended the last date for receipt of Memoranda upto 7 November, 1992.

8. 42 Memoranda containing comments/suggestions on the provisions of the Bill were received by the Committee from various organisations/individuals etc. *(Appendix III)*

9. The Committee visited Bombay on 15 and 16 February, 1993 and held informal discussions with the representatives of six non-official organisations on various provisions of the Copyright Bill.

10. The Committee took oral evidence of the representatives of 12 non-official organisations and individuals at their sittings held on 16 November, 1992; 7, 8, 19, 21 January, 1993; 10, 24 February, 1993; 17, 19 March, 1993; 23 April, 1993; 10 May, 1993 and 4 and 18 June, 1993. A list of persons who gave evidence before the Committee is at *Appendix IV*.

---

*Published in the Gazette of India Extra-ordinary Part II, Section II, dated 13 October, 1992.

11. The Report of the Committee was to be presented to the House by the last day of the first week of Winter Session 1992. However, the Committee were granted two extensions of time for presentation of their Report—first on 25 November, 1992 upto the end of the Budget Session, 1993; and the second on 21 April, 1993 upto the end of the Monsoon Session, 1993.

12. The Committee held Clause-by-Clause discussion on the provisions of the Bill on the basis of amendments proposed by the Members at their sittings held on 10, 12 and 13 August, 1993.

13. At their sitting held on 19 August, 1993, the Committee decided that (i) the evidence tendered before the Committee might be laid on the Table of both the Houses of Parliament; and (ii) two copies each of Memoranda received by the Committee might be placed in the Parliament Library, after the report has been presented, for reference by the Members of Parliament.

14. The Committee considered and adopted the Report at their sitting held on 19 August, 1993.

15. The observations of the Committee with regard to the principal changes proposed in the Bill are detailed in the succeeding paragraphs.

16. *Clause 2*—

While considering this clause in the light of the amendment proposed to clause 2(x)(qq), the Committee felt that inserting the word 'conjurer' would widen the definition of performer.

Clause 2 was amended accordingly.

17. *Clause 6*—

The Committee feel that such work, as may form part of national heritage should get extended term of Copyright. The Committee, therefore decided that a new Section 2(A) should be added which should read as under:—

> "(2A) Notwithstanding anything contained in this Act, the Copyright Board shall, subject to any rules that may be made under this Act, have power to determine, before the expiry of the term of copyright in any literary, dramatic, musical or artistic work, under Chapter V, whether such work has got lasting value so as to form part of the national heritage and where the Copyright Board determines that the work has got lasting value so as to form part of the national heritage, it shall, subject to any rules that may be made under this Act, pass an order extending the term of copyright of such work for a further period not exceeding twenty years from the date of expiry of the term of copyright and the term of copyright in the said work shall stand extended accordingly for purposes of this Act."

Clause 6 was amended accordingly.

18. *Clause 8*—

While considering amendment to the proposed section 19(2), the Committee felt that it was necessary to give greater protection to authors of creative works. The Committee was therefore, of the view that a new sub-section to be numbered as 19(3) which should read as under, should be added and the further sub-section should be renumbered accordingly:

> "(3) The assignment of copyright in any work shall also specify the amount of royalty payable to the author or his legal heirs during the currency of the assignment and the assignment shall be subject to revision, extension or termination on terms mutually agreed upon by the parties."

19. While considering the amendment proposed to clause 8(3), the Committee were of the opinion that it was necessary to protect the interests and the rights of the assignor in an assignment. The Committee therefore, decided that in place of proposed sub-section 19(3), the following sub-sections be added:—

> "19(4) In case of any literary, dramatic or artistic work or in the case of cinematograph film or sound recording, where the rights assigned under sub-section (1) are not specified, the assignor shall be deemed to have reserved to himself all other rights which have not been specifically assigned.

19(5) In the case of musical works, where the rights assigned under sub-section (1) are not specified, the assignor shall be deemed to have assigned to the assignee only the right to make a cinematograph film or a sound recording, as the case may be, in respect of his work to be played as a whole in the cinematograph film or in the sound recording and all other rights relating to such musical works shall be deemed to have been reserved to himself.

19(6) Where the assignee does not exercise the rights assigned to him under any of the other sub-sections of this section within a period of one year from the date of assignment, the assignment in respect of such rights shall be deemed to have lapsed after the expiry of the said period.

Clause 8 was amended accordingly.

20. *Clause 11*

The Committee feel the need to dispel any confusion or ambiguity that might arise by different inter-pretations of the words "no person" occurring in the first line of the proposed section 33(1). The Committee was therefore, of the view that another provision reading as under should be added after the 1st proviso to the proposed section:—

"Provided that an owner of copyright shall, in his individual capacity, continue to have the right to grant licences in respect of his own works."

21. The Committee feel that the existing Copyright Societies should be brought at par with the new Copyright Societies that may be formed after amendment of the Act. The Committee, therefore, decided that the existing Copyright Societies should get registered within a transitional period of one year from the date of commencement of the amending Act. The Committee, accordingly suggested that after the words "This Chapter" occurring in line 8 at page 8 of the Bill, the following words should be added:—

"and every such society shall get itself registered within a period of one year from the date of commencement of the Copyright Amendment Act, 1993."

Clause 11 was amended accordingly.

22. *Clause 19*

The Committee feel that it was necessary to specify the Chapter in which the proposed Section 53A is to be included. The Committee, therefore, decided that the words "In Chapter XI" be added before the words "after Section 53" at page 16 line 1 of the Bill.

Clause 19 was amended accordingly.

23. *Clause 22*

The Committee recommended that at page 17 of the Bill, in line 4, after the words "In the", the word "first" should be added. Clause 22 was amended accordingly.

24. *Clause 23*

While considering amendment to this Clause the Committee felt that it was necessary that provisions of Section 63 as well as 63A should apply for the offence of non-payment of Cess under the Copyright Cess Act, 1992. This application of the provision of 63A was necessary to ensure enhanced penalty on second or subsequent conviction for the offence of non-payment of copyright cess. The Committee, therefore, suggested that in page 17 line 12 after "Section 63" the words "and 63A" may be added. Clause 23 was accordingly amended.

25. Clause 24(i)(cb)

The Committee suggested that in this clause the word "shall" in line 34 be substituted by the word "may"

Clause 24(1)(cb) was amended accordingly.

26. The Joint Committee recommend that the Bill, as amended, be passed.

NEW DELHI;
19 August, 1993

SHRI SYED SIBTEY RAZI,
Chairman,
Joint Committee on Copyright
(Second Amendment) Bill, 1992.

THE COPYRIGHT (SECOND AMENDMENT) BILL, 1992

(As reported by the Joint Committee)

[Words underlined or side-lined indicate the amendments suggested by the Committee, asterisks indicate omissions]

^

BILL

further to amend the Copyright Act, 1957.

Be it enacted by Parliament in the Forty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. *(1)* This Act may be called the Copyright (*** Amendment) Act, 1993.

(2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

14 of 1957

Amendment of section 2.

2. In section 2 of the Copyright Act, 1957, (hereinafter referred to as the principal Act),—

(i) in clause *(a)*,—

(a) in sub-clause *(iii)*, the word "and" occurring at the end, shall be omitted;

(b) in sub-clause *(iv)*, the word "and" shall be inserted at the end;

(c) after sub-clause *(iv)* as so amended, the following sub-clause shall be inserted, namely:—

"*(v)* in relation to any work, any use of such work involving its re-arrangement or alteration;";

(ii) in clause *(b)* and in all other provisions of the principal Act, for the words "architectural work of art", wherever they occur, the words "work of architecture" shall be substituted;

(iii) in clause *(d)*, for sub-clauses *(v)* and *(vi)*, the following sub-clauses shall be substituted, namely:—

"*(v)* in relation to a cinematograph film or sound recording, the producer; and

(vi) in relation to any literary, dramatic, musical or artistic work which is computer-generated, the person who causes the work to be created;";

(iv) for clause *(f)*, the following clause shall be substituted, namely:—

'*(f)* "cinematograph film" means any work of visual recording on any medium produced through a process from which a moving image may be produced by any means and includes a sound recording accompanying such visual recording and "cinematograph" shall be construed as including any work produced by any process analogous to cinematography including video films;";

(v) for clause *(ff)*, the following clauses shall be substituted, namely:—

'*(ff)*"communication to the public" means making any work available for being seen or heard or otherwise enjoyed by the public directly or by any means of display or diffusion other than by issuing copies of such work regardless of whether any member of the public actually sees, hears or otherwise enjoys the work so made available.

Explanation.—For the purposes of this clause, communication through satellite or cable or any other means of simultaneous communication to more than one household or place of residence including residential rooms of any hotel or hostel shall be deemed to be communication to the public;

(ffa) "composer", in relation to a musical work, means the person who composes the music regardless of whether he records it in any form of graphical notation;

(ffb) "computer" includes any electronic or similar device having information processing capabilities;

(ffc) "computer programme" means a set of instructions expressed in words, codes, schemes or in any other form, in a machine, readable medium, of causing a computer to perform a particular task or achieve a particular result;

(ffd) "copyright society" means a society registered under sub-section *(3)* of section 33;";

(vi) for clause (*m*), the following clause shall be substituted, namely:—

'*(m)* "infringing copy" means,—

(i) in relation to a literary, dramatic, musical or artistic work, a reproduction thereof otherwise than in the form of a cinematographic film;

(ii) in relation to a cinematographic film a copy of the film made on any medium by any means;

(iii) in relation to a sound recording, any other recording embodying the same sound recording, made by any means;

(iv) in relation to a programme or performance in which such a broadcast reproduction right or a performer's right subsists under the provisions of this Act, the sound recording or a cinematographic film of such programme or performance,

if such reproduction, copy or sound recording is made or imported in contravention of the provisions of this Act;';

(vii) for clause *(o)*, the following clause shall be substituted, namely:—

'*(o)* "literary work" includes computer programmes, tables and compilations including computer data basis;';

(viii) for clause *(p)*, the following clause shall be substituted, namely:—

'*(p)* "musical work" means a work consisting of music and includes any graphical notation of such work but does not include any words or any action intended to be sung, spoken or performed with the music;';

(ix) for clause *(q)*, the following clause shall be substituted, namely:—

'*(q)* "performance", in relation to performer's right, means any visual or accoustic presentation made live by one or more performers;';

(x) after clause *(q)*, the following clause shall be inserted, namely:—

'*(qq)* "performer" includes an actor, singer, musician, dancer, acrohat, juggler, conjurer, snake charmer, a person delivering a lecture or any other person who makes a performance;';

(xi) clause *(r)* shall be omitted;—

(xii) in clause *(t)* and in all other provisions of the principal Act, for the word "record", wherever it occurs, the words "sound recording" shall be substituted;

(xiii) after clause *(u)*, the following clause shall be inserted, namely:—

'*(uu)* "producer", in relation to a cinematograph film or sound recording, means a person who takes the initiative and responsibility for making the work;';

(xiv) clause *(w)* shall be omitted;

(xv) for clause *(x)*, the following clauses shall be substituted, namely:—

'*(x)* "reprography" means the making of copies of a work, by photo copyright or similar means;

(xx) "sound recording" means a recording of sounds from which such sounds may be produced regardless of the medium on which such recording is made or the method by which the sounds are produced.'.

Substitution of new section for section 3.

3. For section 3 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Meaning of publication.

'3. For the purposes of this Act, "publication" means making a work available to the public by issue of copies or by communicating the work to the public.'.

Substitution of new section for section 6.

4. For section 6 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Certain disputes to be decided by Copyright Board.

"6. if any question arises,—

(a) whether a work has been published or, as to the date on which a work was published for the purposes of Chapter V, or

(b) whether the term of copyright for any work is shorter in any other country than that provided in respect of that work under this Act,

it shall be referred to the Copyright Board constituted under section 11 whose decision thereon shall be final:

Provided that if in the opinion of the Copyright Board, the issue of copies or communication to the public referred to in section 3 was of an insignificant nature, it shall not be deemed to be publication for the purposes of that section.".

Amendment of section 11.

5. In section 11 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (*1*), for the word "eight", the word "fourteen" shall be substituted;

(*b*) in sub-section (*3*), the words "the Supreme Court or" shall be omitted.

Amendment of section 12.

6. In section 12 of the principal Act,—

(*a*) after sub-section (*2*),—

(*i*) the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that, if the Chairman is of opinion that any matter of importance is required to be heard by a larger bench, he may refer the matter to a special bench consisting to five members.";

"(*ii*) the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(*2A*) Notwithstanding anything contained in this Act, the Copyright Board shall, subject to any rules that may be made under this Act, have power to determine, before the expiry of the term of copyright in any literary, dramatic, musical or artistic work, under Chapter V, whether such work has got lasting value so as to form part of the national heritage and where the Copyright Board determines that the work has got lasting value so as to form part of the national heritage, it shall, subject to any rules that may be made under this Act, pass an order extending the term of copyright of such work for a further period not exceeding twenty years from the date of expiry of the term of copyright and the term of copyright in the said work shall stand extended accordingly for purposes of this Act.";

(*b*) in sub-section (*3*), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that where there is no such majority, the opinion of the Chairman shall prevail.";

(*c*) in sub-section (*4*), for the words "The Copyright Board", the words "The Chairman" shall be substituted.

Substitution of new section for section 14.

7. For section 14 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Meaning of copyright.

'14. For the purposes of this Act, "copyright" means the exclusive right, subject to the provisions of this Act, to do or authorise the doing of any of the following acts in respect of a work or any substantial part thereof, namely:—

(*a*) in the case of a literary, dramatic or musical work, not being a computer programme,—

(*i*) to reproduce the work in any material from including the storing of it in any medium by electronic means;

(*ii*) to issue copies of the work to the public not being copies already in circulation;

(*iii*) to perform the work in public, or communicate it to the public;

(*iv*) to make any cinematograph film or sound recording in respect of the work;

(*v*) to make any translation of the work;

(*vi*) to make any adaptation of the work;

(*vii*) to do, in relation to a translation or an adaptation of the work, any of the acts specified in relation to the work in sub-clauses (*i*) to (*vi*);

(*b*) in the case of a computer programme,—

(*i*) to do any of the acts specified in clause (*a*);

(*ii*) to sell or give on hire, or offer for sale or hire, any copy of the computer programme, regardless of whether such copy has been sold or given on hire on earlier occasions;

(*c*) in the case of an artistic work,—

(*i*) to reproduce the work in any material form including depiction in three dimensions of a two dimensional work or in two dimensions of a three dimensional work;

(*ii*) to communicate the work to the public;

(*iii*) to issue copies of the work to the public not being copies already in circulation;

(*iv*) to include the work in any cinematograph film;

(*v*) to make any adaptation of the work;

(*iv*) to do in relation to an adaptation of the work any of the acts specified in relation to the work in sub-clauses (i) to (iv);

(*d*) in the case of a cinematograph film,—

(*i*) to make a copy of the film, including a photograph of any image forming part thereof;

(*ii*) to sell or give on hire, or offer for sale or hire, any copy of the film, regardless of whether such copy has been sold or given on hire on earlier occasions;

(*iii*) to communicate the film to the public;

(e) in the case of a sound recording,—

(i) to make any other sound recording embodying it;

(ii) to sell or give on hire, or offer for sale or hire, any copy of the sound recording regardless of whether such copy has been sold or given on hire on earlier occasions;

(iii) to communicate the sound recording to the public.

Explanation.—For the purposes of this section, a copy which has been sold once shall be deemed to be a copy already in circulation.'.

Amendment of section 19.

8. In section 19 of the principal Act, for sub-section *(2)*, the ollowing sub-sections shall be substituted, namely:—

"*(2)* The assignment of copyright in any work shall identify such work, and shall specify the rights assigned and the duration and territorial extent of such assignment.

(3) The assignment of copyright in any work shall also specify the amount of royalty payable to the author or his legal heirs during the currency of the assignment and the assignment shall be subject to revision, extension or termination on terms mutually agreed upon by the parties.

(4) In the case of any literary, dramatic or artistic work or in the case of a cinematograph film or sound recording, where the rights assigned under sub-seciton *(1)* are not specified, the assignor shall be deemed to have reserved to himself all other rights which have not been specifically assigned.

(5) In the case of musical works, where the rights assigned under sub-section *(1)* are not specified, the assignor shall be deemed to have assigned to the assignee only the right to make a cinematograph film or a sound recording, as the case may be, in respect of his work to be played as a whole in the cinematograph film or in the sound recording and all other rights relating to such musical works shall be deemed to have been reserved to himself.

(6) Where the assignee does not exercise the rights assigned to him under any of the other sub-sections of this section within a period of one year from the date of assignment, the assignment in respect of such rights shall be deemed to have lapsed after the expiry of the said period.

(7) If the period of assignment is not stated, it shall be deemed to be five years from the date of assignment.

(8) If the territorial extent of assignment of the rights is not specified, it shall be presumed to extend within India.

(9) Nothing in sub-section *(2)*, or sub-section *(3)* or sub-section *(4)* or sub-section *(5)* or sub-section *(6)* or sub-section *(7)* or sub-section *(8)* shall be applicable to assignments made before the coming into force of the Copyright (***Amendment) Act, 1993.".

Substitution of new section for section 19A.

9. For section 19A of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Disputes with respect to assignment of copyright.

"19. A. *(1)* If an assignee fails to make sufficient exercise of the rights assigned to him, and such failure is not attributable to any act or omission of the assignor, then, the Copyright Board may, on receipt of a complaint from the assignor and after holding such inquiry as it may deem necessary, revoke such assignment.

(2) If any dispute arises with respect to the assignment of any copyright, the Copyright Board may, on receipt of a complaint from the aggrieved party and after holding such inquiry as it considers necessary, pass such order as it may deem fit including an order for the recovery of any royalty payable:

Provided that the Copyright Board shall not pass any order under this sub-section to revoke the assignment unless it is satisfied that the terms of assignment are harsh to the assignor in case the assignor is also the author:

Provided further that no order of revocation of assignment under this sub-section, shall be made within a period of five years from the date of such assignment."

Insertion of new section 30A.

10. After section 30 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

Application of sections 19 and 19A.

"30A. The provisions of sections 19 and 19A shall, with any necessary adaptations and modifications, apply in relation to a licence under section 30 as they apply in relation to assignment of copyright in a work."

11. For Chapter VII of the principal Act, the following Chapter shall be substituted, namely:— Substitution of new chapter for chapter for VII.

"CHAPTER VII

COPYRIGHT SOCIETIES

33. *(1)* No person or association of persons shall, after coming into force of the Copyright (***Amendment) Act, 1993 commence or carry on the business of issuing or granting licences in respect of any work in which copyright subsists or in respect of any other rights conferred by this Act except under or in accordance with the registration granted under sub-section *(3)*: Copy right societies to file statement of fees, charges and royalties.

Provided that an owner of copyright shall, in his individual capacity, continue to have the right to grant licences in respect of his own works:

Provided further that a performing rights society functioning in accordance with the provisions of section 33 on the date immediately before the coming into force of the Copyright (Amendment) Act, 1993 shall be deemed to be a copyright society for the purposes of this Chapter and every such society shall get itself registered within a period of one year from the date of commencement of the Copyright (Amendment) Act, 1993.

(2) Any association of persons who fulfils such conditions as may be prescribed may apply for permission to do the business specified in sub-section *(1)* to the Registrar of Copyrights who shall submit the application to the Central Government.

(3) The Central Government may, having regard to the interests of the authors and other owners of rights under this Act, the interest and convenience of the public and in particular of the groups of persons who are most likely to seek licences in respect of the relevant rights and the ability and professional competence of the applicants, register such association of persons as a copyright society subject to such conditions as may be prescribed:

Provided that the Central Government shall not ordinarily register more than one copyright society to do business in respect of the same class of works.

(4) The Central Government may, if it is satisfied that a copyright society is being managed in a manner detrimental to the interests of the owners of rights concerned, cancel the registration of such society after such inquiry as may be prescribed.

(5) If the Central Government is of the opinion that in the interest of the owners of rights concerned, it is necessary so to do, it may, by order, suspend the registration of such society pending inquiry for such period not exceeding one year as may be specified in such order under sub-section *(4)* and the Government shall appoint an administrator to discharge the functions of the copyright society.

34. (1) Subject to such conditions as may be prescribed,— Administration of rights of owner by copyright society.

(a) a copyright society may accept from an owner of rights exclusive authorisation to administer any right in any work by issue of licences or collection of licence fees or both; and

(b) an owner of rights shall have the right to withdraw such authorisation without prejudice to the rights of the copyright society under any contract.

(2) It shall be competent for a copyright society to enter into agreement with any foreign society or organisation administering rights corresponding to rights under this Act, to entrust to such foreign society or organisation the administration in any foreign country of rights administered by the said copyright society in India, or for administering in India the rights administered in a foreign country by such foreign society or organisation:

Provided that no such society or organisation shall permit any discrimination in regard to the terms of licence or the distribution of fees collected between rights in India and other works.

(3) Subject to such conditions as may be prescribed, a copyright society may—

(i) issue licences under section 30 in respect of any rights under this Act;

(ii) collect fees in pursuance of such licences;

(iii) distribute such fees among owners of rights after making deductions for its own expenses;

(iv) perform any other functions consistent with the provisions of section 35.

Payment of remunerations by copyright society.

34A. *(1)* If the Central Government is of the opinion that a copyright society for a class of work is generally administering the rights of the owners of rights in such work throughout India, it shall appoint that society for the purposes of this section.

(2) The copyright society appointed under sub-section *(1)* shall pay remuneration to the owners of rights from the proceeds to be paid to it under section 5 of the Copyright Cess Act, 1993.

(3) The copyright society shall, subject to such rules as may be made in this behalf, frame a scheme for determining the quantum of remuneration payable to individual copyright owners having regard to the number of copies of the work in circulation:

Provided that such schemes shall restrict payment to the owners of rights whose works have attained a level of circulation which the copyright society considers reasonable.

Control over the copyright society by the owner of rights.

35. *(1)* Every copyright society shall be subject to the collective control of the owners of rights under this Act whose rights it administers (not being owners of rights under this Act administered by a foreign society or organisation referred to in sub-section *(2)* of section 34) and shall, in such manner as may be prescribed,—

(a) obtain the approval of such owners of rights for its procedures of collection and distribution of fees;

(b) obtain their approval for the utilisation of any amounts collected as fees for any purpose other than distribution to the owner of rights; and

(c) provide to such owners regular, full and detailed information concerning all its activities in relation to the administration of their rights.

(2) All fees distributed among the owners of rights shall, as far as may be, be distributed in proportion to the actual use of their works.

Submission of returns and reports.

36. *(1)* Every copyright society shall submit to the Registrar of Copyrights such returns as may be prescribed.

(2) Any officer duly authorised by the Central Government in this behalf may call for any report and also call for any records of any copyright society for the purpose of satisfying himself that the fees collected by the society in respect of rights administered by it are being utilised or distributed in accordance with the provisions of this Act.

Rights and liabilities of performing rights societies.

36A. Nothing in this Chapter shall affect any rights or liabilities in any work in connection with a performing rights society which had accrued or were incurred on or before the day prior to the commencement of the Copyright (*** Amendment) Act, 1993. or any legal proceedings in respect of any such rights or liabilities pending on that day."

Amendment of chapter VIII.

12. In Chapter VIII of the principal Act, for the heading "RIGHTS OF BROADCASTING AUTHORITIES", the heading "RIGHTS OF BROADCASTING ORGANISATION AND OF PERFORMERS" shall be substituted.

Substitution of new section for section 37.

13. For section 37 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Broadcast reproduction right.

'37. *(1)* Every broadcasting organisation shall have a special right to be known as "broadcast reproduction right" in respect of its broadcasts.

(2) The broadcast reproduction right shall subsist until twenty-five years from the beginning of the calendar year next following the year in which the broadcast is made.

(3) During the continuance of a broadcast reproduction right in relation to any broadcast, any person who, without the licence of the owner of the right does any of the following acts of the broadcast or any substantial part thereof,—

(a) re-broadcasts the broadcast; or

(b) causes the broadcast to be heard or seen by the public on payment of any charges; or

(c) makes any sound recording or visual recording of the broadcast; or

(d) makes any reproduction of such sound recording or visual recording where such intial recording was done without licence or, where it was licensed, for any purpose not envisaged by such licence; or

(e) sells or hires to the public, or offers for such sale or hire, any such sound recording or visual recording referred to in clause *(c)* or clause *(d)*,

shall, subject to the provisions of section 39, be deemed to have infringed the broadcast reproduction right.'

Substitution of new section for section 38.

14. For section 38 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Performer's right.

'38. *(1)* Where any performer appears or engages in any performance, he shall have a special right to be known as the "performer's right" in relation to such performance.

(2) The performer's right shall subsist until twenty-five years from the beginning of the calendar year next following the year in which the performance is made.

(3) During the continuance of a performer's right in relation to any performance, any person who, without the consent of the performer, does any of the following acts in respect of the performance or any substantial part thereof, namely:—

(a) makes a sound recording or visual recording of the performance; or

(b) reproduces a sound recording or visual recording of the performance, which sound recording or visual recording was—

(i) made without the performer's consent; or

(ii) made for purposes different from those for which the performer gave his consent; or

(iii) made for purposes different from those referred to in section 39 from a sound recording or visual recording which was made in accordance with section 39; or

(c) broadcasts the performance except where the broadcast is made from a sound recording or visual recording other than one made in accordance with section 39, or is a re-broadcast by the same broadcasting organisation of an earlier broadcast which did not infringe the performer's right; or

(d) communicates the performance to the public otherwise than by broadcast, except where such communication to the public is made from a sound recording or a visual recording or a broadcast,

shall, subject to the provisions of section 39, be deemed to have infringed the performer's right.

(4) Once a performer has consented to the incorporation of his performance in a cinematograph film, the provisions of sub-section *(1)*, *(2)* and *(3)* shall have no further application to such performance.'

Substitution of new sections for section 39.

15. For section 39 of the principal Act, the following sections shall be substituted, namely:—

"39. No broadcast reproduction right or performer's right shall be deemed to be infringed by—

Acts not infringing broadcast reproduction right or performer's right.

(a) the making of any sound recording or visual recording for the private use of the person making such recording, or solely for purposes of *bona fide* teaching or research; or

(b) the use, consistent with fair dealing, of excerpts of a performance or of a broadcast in the reporting of current events or for *bona fide* review, teaching or research; or

(c) such other acts, with any necessary adaptations and modifications, which do not constitute infringement of copyright under section 52.

39A. Sections 18, 19, 30, 53, 55, 58, 64, 65, and 66 shall, with any necessary adaptations and modifications, apply in relation to the broadcast reproduction right in any broadcast and the performer's right in any performance as they apply in relation to copyright in a work:

Other provisions applying to broadcast reproduction right and performer's right.

Provided that where copyright or performer's right subsists in respect of any work or performance that has been broadcast, no licence to reproduce such broadcast shall take effect without the consent of the owner of rights or performer, as the case may be, or both of them".

16. In section 51 of the principal Act,—

Amendment of section 51.

(1) in clause *(a)*, for sub-clause *(ii)*, the following sub-clause shall be substituted, namely:—

(ii) permits for profit any place to be used for the communication of the work to the public where such communication constitutes an infringement of the copyright in the work, unless he was not aware and had no reasonable ground for believing that such communication to the public would be an infringement of copyright; or";

(2) for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that nothing in sub-clause *(iv)* shall apply to the import of one copy of any work for the private and domestic use of the importer."

17. In section 52 of the principal Act, in sub-section *(1)*,—

Amendment of section 52.

(1) before the words "The following acts shall not constitute an infringement", the words, figures and letter "Subject to the provisions of section 52B," shall be inserted;

(2) in clause *(a)*,—

(i) after the words "artistic work", the words ", not being a computer programme," shall be inserted;

(ii) for sub-clause *(i)*, the following sub-clause shall be substituted, namely;—

"*(i)* private use, including research;";

(3) after clause *(a)*, the following clause shall be inserted, namely:—

"*(aa)* the making of copies or adaptation of a computer programme by the lawful possessor of a copy of such computer programme, from such copy—

(i) in order to utilise the computer programme for the purpose for which it was supplied; or

(ii) to make back-up copies purely as a temporary protection against loss, destruction or damage in order only to utilise the computer programme for the purpose for which it was supplied;";

(4) in clause *(i)*, the words "or the communication to such an audience of a cinematograph film or sound recording" shall be inserted at the end;

(5) for clauses *(j)* and *(k)*, the following clauses shall be substituted namely:—

"*(j)* the making of sound recordings in respect of any literary, dramatic or musical work, if—

(i) sound recordings of that work have been made by or with the licence or consent of the owner of the rights in the work;

(ii) the person making the sound recordings has given a notice of his intention to make the sound recordings, has provided copies of all covers or labels with which the sound recordings are to be sold, and has paid in the prescribed manner to the owner of rights in the work royalties in respect of all such sound recordings to be made by him, at the rate fixed by the Copyright Board in this behalf:

Provided that—

(i) no alterations shall be made which have not been made previously by or with the consent of the owner of rights, or which are not reasonably necessary for the adaptation of the work for the purpose of making the sound recordings;

(ii) the sound recordings shall not be issued in any form of packaging or with any label which is likely to mislead or confuse the public as to their identity;

(iii) no such sound recording shall be made until the expiration of two calendar years after the end of the year in which the first sound recording of the work was made; and

(iv) the person making such sound recordings shall allow the owner of rights or his duly authorised agent or representative to inspect all records and books of account relating to such sound recording:

Provided further that if on a complaint brought before the Copyright Board to the effect that the owner of rights has not been paid in full for any sound recordings purporting to be made in pursuance of this clause, the Copyright Board is, *prima facie,* satisfied that the complaint is genuine, it may pass an order *ex parte* directing the person making the sound recording to cease from making further copies and, after holding such inquiry as it considers, necessary, make such further order as it may deem fit, including an order for payment of royalty;

(k) the causing of a recording to be heard in public by utilising it,—

(i) in an enclosed room or hall meant for the common use of residents in any residential premises (not being a hotel or similar commercial establishment) as part of the amenities provided exclusively or mainly for residents therein; or

(ii) as part of the activities of a club or similar organisation which is not established or conducted for profit;";

(6) for clause *(s)*, the following clause shall be substituted, namely:—

"*(s)* the making or publishing of a painting, drawing, engraving or photograph of a work of architecture or the display of a work of architecture;";

(7) clause *(w)* shall be omitted;

(8) after clause *(y)*, the following clauses shall be inserted, namely:—

"*(z)* the making of an ephemeral recording, by a broadcasting organisation using its own facilities for its own broadcast by a broadcasting organisation of a work which it has the right to broadcast; and the retention of such recording for archival purposes on the ground of its exceptional documentary character;

(za) the performance of a literary, dramatic or musical work or the communication to the public of such work or of a sound recording in the course of any *bona fide* religious ceremony or an official ceremony held by the Central Government or the State Government or any local authority.

Explanation.—For the purpose of this clause, religious ceremony including a marriage procession and other social festivities associated with a marriage."

Insertion of new sections 52B and 52C.

18. After section 52A of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

Reproduction of work subject to section 34A.

"52B. In case of—

(i) the reproduction of a work by means of a reprographic equipment for any of the purposes specified under section 52; or

(ii) the reproduction of any sound recording or cinematographic film by means of a tape recorder or video-cassette recorder or similar equipment for any of the purposes specified in section 52, except the making of sound recordings under clause *(j)* of sub-section *(1)* of that section,

the reproduction of any work shall be subject to the payment of remuneration to the owners of rights in such work under the provisions of section 34A.

Accounts and audit.

52C. *(1)* Every copyright society appointed under section 34A shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts, including the income and expenditure and the quantum of remuneration paid to individual owners of rights out of the payments received from the Central Government under the Copyright Cess Act, *1993* in such form and in such manner *as* may be prescribed by the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India.

(2) The accounts of each of the copyright societies in relation to the payments received from the Central Government shall be audited by the Comptroller and Auditor-General of India at such intervals as may be specified by him and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the copyright society to the Comptroller and Auditor-General.

(3) The Comptroller and Auditor-General of India or any other person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the copyright society referred to in sub-section *(2)* shall have the same rights and privileges and authority in connection with such audit as the Comptroller and Auditor-General has in connection with the audit of the Government accounts and, in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts and other documents and papers and to inspect any of the offices of the copyright society for the purpose only of such audit.

(4) The accounts of each of the copyright societies as certified by the Comptroller and Auditor-General of India or any other person appointed by him in this behalf together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the Central Government and that Government shall cause the same to be laid before each House of Parliament".

Insertion of new section 53A.

19. *In Chapter XI,* after section 53 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

Resale share right in original copies.

"53A. *(1)* In the case of resale for a price exceeding ten thousand rupees, of the original copy of a painting, sculpture or drawing, or of the original manuscript of a literary or dramatic work or musical work, the author of such work if he was the first owner of rights under section 17 or his legal heirs shall, notwithstanding any assignment of copyright in such work, have a right to share in the resale price of such original copy or manuscript in accordance with the provisions of this section:

Provided that such right shall cease to exist on the expiration of the term of copyright in the work.

(2) The share referred to in sub-section *(1)* shall be such as the Copyright Board may fix and the decision of the Copyright Board in this behalf shall be final:

Provided that the Copyright Board may fix different shares for different classes of work:

Provided further that in no case shall the hare exceed ten per cent of the resale price.

(3) If any dispute arises regarding the right conferred by this section, it shall be referred to the Copyright Board whose decision shall be final."

Amendment of section 57.

20. In section 57 of the principal Act, for sub-section *(1)*, the following sub-section shall be substituted, namely:—

"*(1)* Independently of the author's copyright and even after the assignment either wholly or partially of the said copyright, the author of a work shall have the right—

(a) to claim authorship of the work; and

(b) to restrain or claim damages in respect of any distortion, mutilation, modification or other act in relation to the said work which is done before the expiration of the term of copyright if such distortion, mutilation, modification or other act would be prejudicial to his honour or reputation:

Provided that the author shall not have any right to restrain or claim damages in respect of any adaptation of a computer programme to which clause (*aa*) of sub-section (*1*) of section 52 applies.

Explanation.—Failure to display a work or to display it to the satisfaction of the author shall not be deemed to be an infringement of the rights conferred by this section.".

Amendment of section 63.

21. In section 63 of the principal Act,—

(*1*) in clause (*b*), the words, figures and letter "except the right conferred by section 53A" shall be inserted at the end;

(*2*) in the proviso, after the words "Provided that", the words "where the infringement has not been made for gain in the course of trade or business" shall be inserted.

Amendment of section 63A.

22. In the *first*-proviso to section 63A of the principal Act, after the words "Provided that", the words "where the infringement has not been made for gain in the course of trade or business" shall be inserted.

Insertion of new sections 63B and 63C.

23. After section 63A of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:—

10 of 1944
62 of 1962

Punishment for non-payment of cess levied under the Copyright Cess Act.

"63B. (*1*) Notwithstanding anything contained in the Central Excises and Salt Act, 1944 and the Customs Act, 1962, the non-payment of cess under the Copyright Cess Act, *1993* shall be deemed to be an offence under this Act and the provisions of sections 63 and 63A shall apply.

(*2*) No court shall take cognizance of an offence under sub-section (*1*) except on a complaint made by the copyright society appointed under section 34A.

Knowing use of infringing copy of computer programme to be an offence.

63C. Any person who knowingly makes use on a computer of an infringing copy of a computer programme shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one month but which may extend to three years and with fine which shall not be less than fifty thousand rupees but which may extend to two lakh rupees:

Provided that where the computer programme has not been used for gain or in the course of trade or business, the court may, for adequate and special reasons to be mentioned in the judgement, not impose any sentence of imprisonment and may impose a fine which may extend to fifty thousand rupees.".

Amendment of section 78.

24. In section 78 of the principal Act, in sub-section (*2*),—

(i) after clause (*c*), the following clauses shall be inserted, namely:—

"(*ca*) the conditions for submission of application under sub-section (*2*) of section 33;

(*cb*) the conditions subject to which a copyright society may be registered under sub-section (*3*) of section 33;

(*cc*) the inquiry for cancellation of registration under sub-section (*4*) of section 33;

(*cd*) the conditions subject to which the copyright society may accept authorisation under clause (*a*) of sub-section (*1*) of section 34 and the conditions subject to which owners of rights have right to withdraw such authorisation under clause (*b*) of that sub-section;

(*ce*) the conditions subject to which a copyright society may issue licences, collect fees and distribute such fees amongst owners of rights under sub-section (*3*) of section 34;

(*cf*) the manner in which the approval of the owners of rights regarding collection and distribution of fees, approval for utilisation of any amount collected as fees and to provide to such owners information concerning activities in relation to the administration of their rights under sub-section (*1*) of section 35;

(*cg*) the returns to be filed by copyright societies to the Registrar of Copyright under sub-section (*1*) of section 36;";

(ii) after clause (*d*) the following clauses shall be inserted, namely:—

"(*da*) the manner of payment of royalty under clause (*j*) of sub-section (*1*) of section 52;

(*db*) the form and the manner in which the copyright society shall maintain accounts and other relevant records and prepare annual statements of accounts and the manner in which the quantum of remuneration is to be paid to individual owner of rights under sub-section (*1*) of section 52C.".

APPENDIX I

(Vide paragraph 2 of the Report)

Motion in Lok Sabha for Reference of the Bill to the Joint Committee

"That the Bill further to amend the Copyright Act, 1957, be referred to a Joint Committee of the Houses consisting of 45 members, 30 from this House, namely:—

1. Shri E. Ahamed
2. Shri Anand Ahirwar
3. Dr. F. Azam
4. Shri Avatar Singh Bhandana
5. Smt. Dil Kumari Bhandari
6. Shri Gurcharan Singh Dadhahoor
7. Shri Probin Deka
8. Shri Sharad Dighe
9. Mohammad Ali Ashraf Fatmi
10. Shri Imchalemba
11. Shri Jai Prakash
12. Shri Shyam Lal Kamal
13. Smt. Krishnendra Kaur (Deepa)
14. Shri M. Krishnaswamy
15. Kum. Padmasree Kudumula
16. Shri V. Dhananjaya Kumar
17. Prof. (Smt.) Savithiri Lakshmanan
18. Shri Birsingh Mahato
19. Shri Simon Marandi
20. Shri Janardan Prasad Misra
21. Smt. Geeta Mukherjee
22. Shri Rupchand Pal
23. Shri Harpal Panwar
24. Shri Rameshwar Patidar
25. Dr. R.K.G. Rajulu
26. Shri Naranbhai Jamlabhai Rathava
27. Shri Bhagwan Shankar Rawat
28. Shri Kodakani Gowdana Shivappa
29. Shri P.C. Thomas
30. Shri Sobhanadreeswara Rao Vadde

and 15 from Rajya Sabha;

that in order to constitute a sitting of the Joint Committee the quorum shall be one-third of the total number of members of the Joint Committee;

that the Committee shall make a report to this House by the last day of the first week of the Winter Session, 1992;

that in respect the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committees shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and

that this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said Joint Committee and communicate to this House the names of 15 members to be appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee.".

APPENDIX II

(Vide paragraph 3 of the Report)

Motion in Rajya Sabha for Reference of the Bill to the Joint Committee

"That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that Rajya Sabha do join in the Joint Committee of the House on the Bill further to amend the Copyright Act, 1957 and resolves that the following members of the Rajya Sabha be nominated to serve on the said Joint Committee.

1. Dr. Baldev Prakash
2. Dr. Naunihal Singh
3. Shri Mohammed Afzal *Alias* Meem Afzal
4. Shri Dineshbhai Trivedi
5. Dr. R.K. Poddar
6. Dr. Sanjaya Sinh
7. Shri S. Viduthalai Virumubi
8. Shri Vishvjit P. Singh
9. Shri Syed Sibtey Razi
10. Shri Madan Bhatia
11. Shrimati Veena Verma
12. Shri B.K. Hariprasad
13. Shri Iqbal Singh
14. Shri G. Swaminathan
15. Shri Subramanian Swamy

The above motion was passed by the Rajya Sabha at its sitting held on Thursday, the 20th August, 1992.

APPENDIX III

(*Vide* para 8 of the Report)

List of Associations/Organisations/Individuals etc. from whom Memoranda were received by the Joint Committee

1. Dr. K.V. Padmanabhan,
   Chief Executive Officer,
   Indian Federation Against Software Theft,
   Bombay-400001.
2. -Shri S.K. Dutt,
   Advocate,
   L.S. Davar & Co.,
   Patent and Trade Marks Attorneys,
   New Delhi-110019.
3. Shri A.D. Raposo,
   Indian Federation Against Software Theft,
   Bombay-400001.
4. Shri Sanjay Tandon,
   General Manager,
   The Indian Performing Right Society Ltd.,
   Bombay.
5. Shri Surender Malik,
   Editor Publishers,
   Eastern Book Company,
   Lucknow-226001.
6. Dr. S.K. Sharma,
   C/o Ramesh Kumar Sharma,
   Associated Professor,
   Deptt. of Plastic Surgery,
   P.G.T. Chandigarh-160012.
7. Shri J.S. Kohli,
   President,
   Cable Networks Association,
   New Delhi-110016.
8. Smt. Veena Verma, M.P.,
   4, Safdarjung Lane,
   New Delhi-110011.
9. Prof. K Ponnuswami,
   Prof. of Industrial Property Law,
   38/11 Probyn Road,
   University Flats,
   Delhi-110007.
10. Shri K. Santosh,
    (Reader),
    University College of Law,
    Andhra University,
    Waltair, Vishakhapatnam-530003.

11. Shri Narinder Nath,
Executive Director,
The Federation of Indian Publishers,
New Delhi.

12. Shri R.C. Agarwal,
Retd. Principal,
ARUN BHAWAN,
New Rly. Road,
Gurgaon-122001
(Haryana).

13. Shri Chaturbhuj,
(Author),
106, Krishna Nagar,
Patna-800001.

14. Shri Rajendra Awasthy,
Secretary-General,
Authors Guild of India,
New Delhi.

15. Shri Ram Chandra Das,
Hon. General Secretary,
Western India Cinematographers
Association,
Bombay.

16. Shri Tejnath Zar,
Vice-President,
The Film Writers Association,
Bombay.

17. Shri Jaffrey J. Hardea,
Motion Picture Export Association of America, INC,
0706 United Square 101
Thomsan Road,
Singapure-1130.

18. Shri P.K. Bose,
President,
Film Federation of India,
Bombay.

19. Shri V. Gopalakrishna,
Advocate,
Patent and Trade Mark Attorney
Company Law Consultant,
Sri Harsha Building,
122, 6th Cross, Gandhi Nagar,
Bangalore-560009.

20. Shri S. Shidore,
Secretary,
The Indian Phonographic Industry,
2, Ripon Street,
Calcutta-700016.

21. Shri Madhusudan,
General Secretary,
All India Film Employees
Confederation,
Bombay.

22. Shri T.S. Rana,
Advocate,
Delhi High Court,
Delhi.

23. Shri Hardev Singh,
Vice-President,
Advertising and Industrial
Photographers
Association of India,
New Delhi.

24. Shri B.L. Theraja,
President,
Scientific & Technical Authors (India),
Delhi.

25. Shri Ram Prashad Sharma,
Retired Head-master,
Ward XI,
Kathua-184101.

26. Dr. V.B. Countinho,
University La College,
Place Road,
Bangalore-560009.

27. Shri N.S. Gopalkrishnan,
National Law School of India,
University NAGAR BHAVI,
Post Bag No. 7201,
Bangalore-560072.

28. Prof. P.V. Bole,
A-15-58, Siddharth Nagar-2,
Goregaon (West),
Bombay-400062.

29. Shri Abul Hasan,
Director,
Afro Asian Book Council,
New Delhi.

30. Shri V.P. Raori,
Director,
School of Planning and Architecture,
New Delhi.

31. Shri Dhiraj Lal N. Shah,
Chairman,
Association of Video-Rights Owners of India,
Bombay.

32. Shri M.M. Luther,
Secretary General,
Federation of Indian Chambers of
Commerce and Industry,
New Delhi.

33. Smt. Kamla Jain,
Head of the Department,
Hamdia University,
Bhopal.

34. Shri Kheem Ram Arya Dhiraj
"DHIRAJ", .
Department of Education,
Village Simtoli,
Almora (U.P.).
35. Shri Harihar Chaturvedi,
Advocate,
Arti Video Tour,
Madhya Pradesh-484110.
36. Shri Satyanarain Vashist,
Musician,
C/120, Prem Nagar,
Dayal Bagh,
Agra.
37. Shri S. Ramaiah,
Advocate & Former Secretary,
Government of India,
Ministry of Law & Justice,
B-5/162, Safdarjung Enclave,
New Delhi-110029.
38. Mr. Bunny Ruben,
72, Silver Beach Suryaranghi
Sabhagriha Marg,
Caddell Road,
Dadar (Bombay).
39. Shri Pravin Anand,
Anand & Anand Advocates,
1, Jaipur Estate Nizamuddin East,
New Delhi.
40. Shri S. Bhushan Jain,
Secretary,
The Indian Newspaper Society,
New Delhi.
41. Shri J. Aloxis Ziegler,
The International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC),
LE SECRETAIRE GENERAL
1943-J2/CV, Paris.
42. Shri B.P. Venkatasubramanian,
Chairman,
Copyright Board,
Madras.

APPENDIX IV

(*Vide* para 10 of the Report)

LIST OF WITNESSES WHO TENDERED ORAL EVIDENCE BEFORE THE JOINT COMMITTEE

---

1. (i) Shri Shirish B. Patel
   (ii) Shri K.V.H. Padmanabhan
   (iii) Shri J. Sagar, Indian Federation Against Software Theft, Balsara House, 41-45, Nagindas Master Road, Bombay-400001.
2. (i) Shri D.N. Malhotra
   (ii) Shri Kanti Choudhari
   (iii) Shri Narinder Nath
   (iv) Shri Vishwanath
   (v) Shri Mohan Primlani, The Federation of Indian Publishers, 18/1C, Institutional Area (Near JNU), New Delhi-110067.
3. (i) Shri J.C. Batra
   (ii) Shri Rajendra Awasthy
   (iii) Shri H.L. Kaul, Authors Guild of India, F/12, Jangpura Extension, New Delhi-110014.
4. (i) Shri J.S. Kohli
   (ii) Shri Ranjan Kapoor
   (iii) Shri Rakesh Datta
   (iv) Shri Umesh Kakkar
   (v) Shri Narinder Narula, Cable Network Association, S-10, 1st Floor, Green Park (Main), New Delhi-110016.
5. Shri S. Ramaiah, Advocate and former Secretary, Government of India, Ministry of Law and Justice, B-5/62, Safdarjung Enclave, New Delhi.
6. Shri Pravin Anand, Anand and Anand Advocates, 1, Jaipur Estate, Nizamuddin East, New Delhi.
7. (i) Shri Bhushan Jain
   (ii) Shri Yunus Dehalvi
   (iii) Shri Paresh Nath, The Indian Newspaper Society, I.N.S. Building, Rafi Marg, New Delhi-110001.
8. (i) Shri P. Chanda
   (ii) Shri S. Shidore
   (iii) Shri H.S. Anand
   Shrimati B.B. Chib, The Indian Phonographic Industry, 2, Rippon Street, Calcutta-700016.
9. (i) Shri Naushad Ali
   (ii) Shri Sanjay Tandon
   (iii) Shri Hasan Kamaal
   (iv) Shri Ravi Sharma, Indian Performing Right Society Ltd., 717, Dalamal Tower, Nariman Point, Bombay-400021.
10. (i) Shri P.K. Bose
    (ii) Shri K.D. Shorey, Film Federation of India, 91, Walkeshwar Road, Bombay-400006.
11. Shri Satish Bhatnagar, The Film Writers Association, 119, Dadasaheb Phalke Road, Ranjit Studio, Dadar, Bombay-400014.
12. Shri Ram Chandra Das, Western Indian Cinematographers Association, Shree Sound Studios Compound, 10, Gokuldas Pasta Road, Bombay-400014.

APPENDIX V

MINUTES OF THE SITTINGS OF THE JOINT COMMITTEE ON THE COPYRIGHT (SECOND AMENDMENT) BILL, 1992

I

First Sitting

15.9.1992

The Committee met on Tuesday, 15 September, 1992 from 1100 hours to 1230 hours in Committee Room No. 'D', Parliament House Annexe, New Delhi.

PRESENT

Shri Syed Sibtey Razi — *Chairman*

MEMBERS

2. Shri E. Ahamed
3. Dr. F. Azam
4. Smt. Dil Kumari Bhandari
5. Shri Gurcharan Singh Dadahoor
6. Shri Probin Deka
7. Shri Sharad Dighe
8. Shri Imchalemba
9. Smt. Krishnendra Kaur (Deepa)
10. Shri M. Krishnaswamy
11. Shri V. Dhananjaya Kumar
12. Shri Birsingh Mahato
13. Shri Janardan Prasad Misra
14. Shri Rupchand Pal
15. Shri Rameshwar Patidar
16. Shri Naranbhai Jamlabhai Rathava
17. Shri Bhagwan Shankar Rawat
18. Shri P.C. Thomas
19. Shri Mohammed Afzal *alias* Meem Afzal
20. Shri Dineshbhai Trivedi
21. Dr. R.K. Poddar
22. Shri S. Viduthalai Virumbi
23. Shri Visvjit P. Singh
24. Shri Madan Bhatia
25. Shri B.K. Hariprasad
26. Shri Iqbal Singh
27. Shri Subramanian Swamy

SECRETARIAT

1. Shri R.K. Chatterjee — *Deputy Secretary.*
2. Shri D.L. Kapur — *Under Secretary.*

REPRESENTATIVES OF THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF EDUCATION)

1. Shri S.V. Giri — Secretary.
2. Shri Jagdish Sagar, Joint Secretary.
3. Shri M.C. Joshi, Director.

REPRESENTATIVES OF THE MINISTRY OF LAW & JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

1. Shri Raghbir Singh, Joint Secretary, Legislative Counsel.
2. Shri S.P. Kanwal, Deputy Legislative Counsel.

2. At the outset, the Chairman welcomed the members of the Joint Committee and referred to the background and importance of the proposed legislative measures and task before the Committee. He stressed the need to chalk out a programme for future sittings and functioning of the Committee.

3. After a brief discussion, the Committee decided to issue a Press Communique (Annexure inviting memoranda) containing comments/suggestions on the provisions of the Bill from Public bodies, organisations, Association, Bar Councils, Writers, Publishers, Journalists, individuals etc., by 16 October, 1992. The members desired that the contents of the Press Communique be given wide publicity in national dailies including regional language papers and through Television/A.I.R.

4. The Committee also decided that a circular letter might be addressed to all the State Governments/Union Territory Administrations/Bar Councils/other social organisations and experts inviting their comments/suggestions on the Bill.

5. The Committee further decided that the Ministry of Human Resource Development might be requested to supply a comprehensive list of Organisations/Associations, Writers, Publishers, Journalists, Individuals and Experts whose views might be elicited.

6. The Committee desired that Directors General, All India Radio/Doordarshan and Director, Computer Maintenance Centre, Delhi might specifically be requested to furnish their comments/ suggestions on the provisions of the Bill for consideration of the Committee.

7. The Committee further decided that if necessary and subject to the approval of Hon'ble Speaker, the Committee might undertake on-the-spot Study visits to various places in the country for the purpose.

8. The Committee further decided that the Ministry of Human Resource Development (Department of Education) might be requested to tabulate, clause-wise memoranda/representations containing comments/suggestions which might be submitted to the Committee and the evidence which might be tendered before the Committee together with their comments thereon for consideration of the Committee.

9. With a view to acquainting themselves with the provisions of Copyright Acts in various other countries, the Committee desired that a note containing a comparative study of the provisions in India, USA and UK and other important countries Hungry/France etc. might be prepared by the Ministry of Human Resource Development. Members of the Committee desired that the copies of the discussions and decisions taken, regarding Copyright Acts, in Berne and Rome Conventions might also be supplied to them.

10. The Chairman also requested members that if they had any suggestions to offer, they could send the same in writing to the Chairman or Lok Sabha Secretariat.

11. After some deliberations, the Committee noted that as per motion adopted by the House, they were required to present their report to the House by the last day of the first week of the Winter Session, 1992. However, as the Committee were yet to receive and consider the Memoranda, take up clause-by-clause consideration of the Bill, and to complete other stages of the Bill, the Committee felt that it would not be possible for them to present their Report by the stipulated date. The Committee, therefore, decided to seek an extension of time for presentation of their Report by the last day of the Budget Session, 1993. The Committee authorised, Shri Sharad Dighe, M.P. to move necessary motion in this regard, during the first week of ensuing Winter Session, 1992.

12. The Committee decided to meet again sometime *during October, 1992* and authorised the Chairman to fix the date and time of the sitting.

The Committee then adjourned.

ANNEXURE

JOINT COMMITTEE ON THE COPYRIGHT (SECOND AMENDMENT) BILL, 1992

PRESS COMMUNIQUE

The Copyright (Second Amendment) Bill,. 1992 has been referred to a Joint Committee of both Houses of Parliament. At its first meeting held on the 15th September, 1992 under the Chairmanship of Shri Syed Sibtey Razi, M.P., the Committee decided to invite memoranda on the Bill from various organisations, Associations, Bar Councils, Writers, Publishers, Journalists, individuals etc.

2. The Bill seeks to extend effective Copyright protection to promote the creation of literary, artistic, dramatic and musical works, cinematograph films and sound recording by providing certain additional exclusive rights to their authors and creators, which is not available to them under the existing law, and by improving the existing provisions of the Copyright Act, 1957 in various ways.

3. Those desirous of submitting Memoranda to the Committee should send 60 copies thereof to the Secretary General, Lok Sabha, Parliament House, New Delhi, so as to reach him on or before the 16 October, 1992. The Memoranda which might be submitted to the Committee would form part of the records of the Committee and would be treated as strictly confidential and would not be circulated by anyone as such act would constitute a Breach of privilege of the Committee.

4. Those who are desirous of giving oral evidence before the Committee, Besides sending Memorandum, are requested to intimate to this effect to the Lok Sabha Secretariat for consideration of the Committee.

The Copyright (Second Amendment) Bill, 1992 as introduced in Lok Sabha, was published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 2 dated 16 July,1992.

NEW DELHI;

Dated: 15 September, 1992.

II

Second Sitting

19.10.1992

The Committee met on Monday, 19 October, 1992 from 1500 hours to 1630 hours in Committee Room 'D', Ground Floor, Parliament House Annexe, New Delhi.

PRESENT

Shri Syed Sibtey Razi—*Chairman*

MEMBERS

Lok Sabha

2, Dr. F. Azam
3. Smt. Dil Kumari Bhandari
4. Shri Gurcharan Singh Dadahoor
5. Shri Probin Deka
6. Shri Sharad Dighe
7. Shri M. Krishnaswamy
8. Shri V. Dhananjaya Kumar
9. Prof. Savithiri Lakshmanan
10. Shri Birsingh Mahato
11. Shri Janardan Prasad Mishra
12. Smt. Geeta Mukherjee
13. Shri Rupchand Pal
14. Shri Harpal Panwar
15. Shri Naranbhai Jamlabhai Rathava
16. Shri Bhagwan Shankar Rawat
17. Shri P.C. Thomas
18. Shri Sobhanadreeswara Rao Vadde

Rajya Sabha

19. Dr. Baldev Prakash
20. Dr. Naunihal Singh
21. Shri Mohammed Afzal Alias Meem Afzal
22. Shri Dineshbhai Trivedi
23. Shri Madan Bhatia
24. Shrimati Veena Verma
25. Shri B.K. Hariprasad
26. Shri Iqbal Singh

SECRETARIAT

1. Shri S.C. Gupta — *Joint Secretary*
2. Shri D.L. Kapur — *Under Secretary*

REPRESENTATIVES OF THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT.OF EDUCATION)

1. Shri R.K. Sinha—Additional Secretary
2. Shri Jagdish Sagar—Joint Secretary
3. Shri M.P.M. Kutty—Director
4. Shri B.S. Dhillon—Under Secretary

REPRESENTATIVES OF THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

1. Shri A.C.C. Unni—Addl. Secretary
2. Shri Raghbir Singh—Joint Secretary & Legislative Counsel.
3. Shri S.P. Kanwal—Deputy Legislative Counsel

2. At the outset Chairman welcomed the members of the Committee and expressed confidence that with their cooperation it would be possible to accomplish task entrusted to them.

3. The Chairman apprised the Committee regarding the progress of work done so far. He informed that as per decision taken by the Committee in the last meeting, Press Communique had been issued for inviting memoranda containing comments/suggestions on the proposed Bill from various organisations, associations, Bar Councils, Writers, Publishers, Journalists, Individuals etc. upto 16 October, 1992. It was published in various National and local newspapers like *Indian Express, Hindustan Times* and *The Tribune*. The Ministry of Human Resource Development also contacted DAVP for paid advertisement in 40 news papers for publication. All the additional material required by the Committee were received and have been circulated to them by the Secretariat as furnished by the Ministry of Human Resource Development with a view to apprise the members of the Committee with the provisions of the Copyright Acts in various other countries.

4. The Chairman also informed the Committee that initially various State Governments/Bar Associations of India and 60 other organisations, Associations, experts were requested to Submit their memoranda to the Committee latest by 16 October, 1992. But the Committee received only seven memoranda till that date.

The Committee decided to extend the date for receipt of Memoranda from various organisations/ Associations, Bar Councils, Writers, Publishers, Journalists, Individuals etc.upto *7 November, 1992* as per the request made by various Associations and Individuals. In this regard Committee authorised the Chairman to receive memoranda even after expiry of this date. The Chairman desired that revised notices should be sent to all the 60 associations, Individuals specifying that the date for submission of Memoranda by them has been extended.

5. The Committee sought certain clarifications of general nature which were replied to by the representatives of the Ministry of Human Resource development, furnished necessary clarification.

6. The Committee desired that the Ministry of Human Resource Development might be requested to summarise and tabulate, clause-wise, the points raised in the Memoranda in a proper form and furnish their brief comments against each of them for consideration of the Committee.

7. As regards study visit of the Committee before Winter Session, the Members pointed out that unless the Committee have all the information regarding Copyright activities mentioned in the Bill, it would be of no use of visiting various places. It was decided to undertake study visits, if necessary, after ensuing Winter Session.

8. The Committee desired that adequate publicity should be made in various News Papers about this Committee, for the information of a larger section of the people. The Committee also desired that a Press Conference might be called in this regard if considered necessary by the Chairman.

9. The Committee decided to hold their next sitting sometime in the third week of November, 1992.

The Committee then adjourned.

III

Third Sitting

16.11.1992

The Committee met on Monday, 16 November, 1992 from 1500 hours to 1710 hours in Committee Room 'C', Ground Floor, Parliament House Annexe, New Delhi.

PRESENT

Shri Syed Sibtey Razi—*Chairman*

MEMBERS

Lok Sabha

2. Shri Anand Ahirwar
3. Dr. F. Azam
4. Shri Sharad Dighe
5. Shri Imchalemba
6. Shri Shyam Lal Kamal
7. Smt. Krishnendra Kaur (Deepa)
8. Shri Janardan Prasad Misra
9. Shri Harpal Panwar
10. Shri Rameshwar Patidar
11. Shri Bhagwan Shankar Rawat

Rajya Sabha

12. Dr. Baldev Prakash
13. Dr. Naunihal Singh
14. Shri Dineshbhai Trivedi
15. Dr. Sanjaya Singh
16. Shri Madan Bhatia
17. Shrimati Veena Verma
18. Shri Iqbal Singh

SECRETARIAT

1. Shri R.K. Chatterjee—*Deputy Secretary*
2. Shri Ram Autar Ram—*Under Secretary*

REPRESENTATIVES OF THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION)

1. Shri R.K. Sinha—Addl. Secretary
2. Shri M.P.M. Kutty—Director
3. Shri V.K. Saxena—Licensing Officer

REPRESENTATIVES OF THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

1. Shri A.C.C. Unni—Addl. Secretary
2. Shri Raghbir Singh—Joint Secretary & Legislative Counsel
3. Shri S.P. Kanwal—Deputy Legislative Counsel

2. At the outset Chairman welcomed the members of the Committee and expressed the confidence that their presence and participation would make the deliberations useful.

3. The Chairman apprised the Committee regarding the progress of work done so far. He stated that till the last meeting Committee received only 4 Memoranda, but after the extension of the last date for receipt of Memoranda upto *7 November, 1992,* the Committee had received 30 Memoranda. Out of these 20 have already been circulated to the Members and remaining 10 are in process of circulation.

4. The Committee then took evidence of the representatives of:

Indian Federation Against Software Theft, Bombay

Spokesmen:—

1. Shri Shrish B. Patel, Chairman, 1530 to 1700 hrs.
2. Shri K.V.H. Padamanabhan, Chief Executive Officer, 1530 to 1700 hrs.

5. A verbatim record of evidence was kept.

The Committee then adjourned.

IV

Fourth Sitting
7.1.1993

The Committee met on Thursday, 7 January, 1993 from 15.00 hours to 17.00 hours in Committee Room 'C', Ground Floor, Parliament House Annexe, New Delhi.

PRESENT

Shri Syed Sibtey Razi—*Chairman*

MEMBERS

Lok Sabha

2. Shri E. Ahamed
3. Mohammad Ali Ashraf Fatmi
4. Shri M. Krishnaswamy
5. Shri V. Dhananjaya Kumar
6. Shri Janardan Prasad Misra
7. Smt. Geeta Mukherjee
8. Shri Harpal Panwar
9. Shri Bhagwan Shankar Rawat
10. Shri Kodakani Gowdana Shivappa
11. Shri P.C. Thomas
12. Shri Sobhanadreeswara Rao Vadde

Rajya Sabha

13. Dr. Naunihal Singh
14. Shri Dineshbhai Trivedi
15. Shri Vishvjit P. Singh
16. Shri Madan Bhatia
17. Shrimati Veena Verma
18. Shri Iqbal Singh

SECRETARIAT

Shri Ram Autar Ram—*Under Secretary*

REPRESENTATIVES OF THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION)

1. Shri R.K. Sinha —*Addl. Secretary*
2. Shri V.K. Saxena —*Licensing Officer*

REPRESENTATIVES OF THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

1. Shri Raghbir Singh —*Joint Secretary and Legislative Counsel.*
2. Shri S.P. Kanwal —*Deputy Legislative Counsel.*

2. At the outset, the Committee passed an obituary resolution (Annexure) mourning the sad demise of Dr. Baldev Prakash, M.P. (R.S.) and conveying their sense of profound sorrow and deep sympathy to the bereaved family. The Committee thereafter, observed two minutes silence for the peace to the departed soul.

3. The Chairman, apprised the Committee of the progress of work done so far. He informed the Committee that 41 memoranda received so far from various organisations/individuals etc. had already been circulated to members. Out of 41 memoranda the Ministry of Human Resource Development

(Department of Education) has furnished their comments on memoranda No. 1—32, which had already been circulated to the members of the Committee. The Ministry is yet to furnish their comments on the remaining 9 memoranda.

4. The Committee then took oral evidence of the following representatives of 'The Federation of Indian Publishers, New Delhi':—

1. Shri D.N. Malhotra, President—FIP;
2. Shri Pravin Anand, Advocate;
3. Shri Kanti Chaudhari, IAS, Secretary Ministry of Education (Retd.);
4. Shri Narinder Nath, Executive Director—FIP;
5. Shri Vishwanath, Managing Director; M/s Rajpal & Sons; and
6. Shri Mohan Primlani, Chairman, IBH.

5. The verbatim record of evidence was kept.

The Committee then adjourned.

ANNEXURE

JOINT COMMITTEE ON COPYRIGHT (SECOND AMENDMENT) BILL, 1992

I have to inform the Committee of the sad demise of Dr. Baldev Prakash, who was a sitting member of Rajya Sabha and represented the State of Uttar Pradesh in that House. He passed away at New Delhi on the 17th November, 1992 at the age of 70 years.

A physician by profession, Dr. Prakash made his mark as a social and political worker, engaged in constructive activities such as education of slum-dwellers and the uplift of peasants and deprived sections of society. During his life time he fought against separatism and terrorism. He was associated with the Jan Sangh from 1952 to 1977 and was the President of the Punjab State Jan Sangh from 1964 to 1974. He was also the Vice-President of the Bharatiya Janata Party. Dr. Baldev Prakash started his parliamentary career as Member of the Punjab Legislative Assembly from 1957 to 1969 and was again elected to that House from 1974 to 1977. He was also Minister of Finance of the Government of Punjab in 1967. He was elected to the Lok Sabha in 1977.

Though he was a Member of our Joint Committee only for a short time yet he took keen interest in the proceedings of the Committee and attended the meeting of Joint Parliamentary Committee even a day before his death *i.e.* on 16 November, 1992.

We deeply mourn the passing away of Dr. Baldev Prakash and I am sure, the Committee will *join me in conveying to the bereaved family our sense of profound sorrow and deep sympathy.*

V

Fifth Sitting
8.1.1993

The Committee met on Friday, 8 January, 1993 from 15.00 hours to 17.30 hours in Committee Room 'C', Ground Floor, Parliament House Annexe, New Delhi.

PRESENT

Shri Syed Sibtey Razi—*Chairman*

MEMBERS

Lok Sabha

2. Dr. F. Azam
3. Shri Gurcharan Singh Dadhahoor
4. Shri M. Krishnaswamy
5. Shri Janardan Prasad Misra
6. Smt. Geeta Mukherjee
7. Shri Rupchand Pal
8. Shri Sobhanadreeswara Rao Vadde

Rajya Sabha

9. Dr. Naunihal Singh
10. Shri Dineshbhai Trivedi
11. Shri Vishvajit P. Singh
12. Shri Madan Bhatia
13. Shrimati Veena Verma

SECRETARIAT

Shri Ram Autar Ram—*Under Secretary*

REPRESENTATIVES OF THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION)

1. Shri R.K. Sinha —*Addl. Secretary*
2. Shri V.K. Saxena —*Licensing Officer*

REPRESENTATIVES OF THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

1. Shri Raghbir Singh —*Joint Secretary and Legislative Counsel.*
2. Shri S.P. Kanwal —*Deputy Legislative Counsel.*

2. The Committee took oral evidence of the following representatives of the Authors Guild of India, New Delhi:—

1. Shri J.C. Batra, Vice President
2. Shri H.K. Kaul, Member of Executive Committee
3. Shri Rajendra Awasthy, Secretary General.

3. A verbatim record of evidence was kept.

4. The Committee then decided to hold their next sitting in the third week of January, 1993.

The Committee then adjourned.

VI

Sixth Sitting

19.1.1993

The Committee met on Tuesday, 19 January, 1993 from 1500 hours to 1630 hours in Committee Room 'D', Ground Floor, Parliament House Annexe, New Delhi.

PRESENT

Shri Syed Sibtey Razi —*Chairman*

MEMBERS

Lok Sabha

2. Dr. Faizal Azam
3. Shri M. Krishnaswamy
4. Shri Birsingh Mahato
5. Smt. Geeta Mukherjee
6. Shri Rupchand Pal
7. Shri Rameshwar Patidar
8. Shri Bhagwan Shankar Rawat
9. Shri P.C. Thomas
10. Shri Gurcharan Singh Dadhahoor

Rajya Sabha

11. Dr. Naunihal Singh
12. Mohammed Afzal Alias Meem Afzal
13. Dr. R.K. Poddar
14. Shri Madan Bhatia
15. Shri Veena Verma
16. Shri B.K. Hariprasad
17. Shri Iqbal Singh

SECRETARIAT

1. Shri S.C. Gupta—*Joint Secretary*
2. Shri R.K. Chatterjee—*Deputy Secretary*
3. Shri Ram Autar Ram—*Under Secretary*

REPRESENTATIVES OF THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION)

1. Shri M.P.M. Kutty—*Director (BD)*
2. Shri V.K. Saxena—*Licensing Officer*

REPRESENTATIVES OF THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

1. Shri Raghbir Singh —*Joint Secretary and Legislative Counsel.*
2. Shri S.P. Kanwal —*Deputy Legislative Counsel.*

2. The Committee took oral evidence of the following representatives of the 'Cable Net Works Association' New Delhi:—

1. Major J.S. Kohli (Retd.)—*President*
2. Shri Rakesh Datta—*General-Secretary*
3. Shri Ranjan Kapoor—*Vice-President*
4. Shri Umesh Kakkar —*Treasures*
5. Shri Narinder Narual —*Member*

3. A verbatim record of evidence was kept.

The Committee then adjourned.

VII

Seventh Sitting

21.1.1993

The Committee met on Thursday, 21 January, 1993 from 1100 to 1230 hours in Committee Room 'C', Ground Floor, Parliament House Annexe, New Delhi.

PRESENT

Shri Syed Sibtey Razi —*Chairman*

MEMBERS

Lok Sabha

2. Shri E. Ahamed
3. Smt. Dil Kumari Bhandari
4. Shri Gurcharan Singh Dadhahoor
5. Shri M. Krishnaswamy
6. Shri Janardan Prasad Misra
7. Shri Bhagwan Shankar Rawat
8. Shri Sobhanadreeswara Rao Vadde

Rajya Sabha

9. Dr. Naunihal Singh
10. Shri Dineshbhai Trivedi.
11. Dr. R.K. Poddar
12. Smt. Veena Verma

SECRETARIAT

1. Shri R.K. Chatterjee —*Deputy Secretary*
2. Shri Ram Autar Ram —*Under Secretary*

REPRESENTATIVES OF THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION)

1. Shri R.K. Sinha —*Addl. Secretary*
2. Shri M.P.M. Kutty —*Director (D)*
3. Shri V.K. Saxena —*Licensing Officer*

REPRESENTATIVES OF THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

1. Shri A.C.C. Unni —*Addl. Secretary*
2. Shri Raghbir Singh —*Joint Secretary and Legislative Counsel.*
3. Shri S.P. Kanwal —*Deputy Legislative Counsel.*

2. The Committee took oral evidence of Shri S. Ramaiah, Advocate and Former Secretary, Government of India, Ministry of Law and Justice, New Delhi.

3. A verbatim record of evidence was kept.

4. The Committee decided to hold their next sitting in the second week of February, 1993.

The Committee then adjourned.

VIII

Eighth Sitting

10.2.1993

Thc Committee met on Wednesday, 10 February, 1993 from 1500 hours to 1700 hours in Committee Room 'C', Ground Floor, Parliament House Annexe, New Delhi.

PRESENT

Shri Syed Sibtey Razi —*Chairman*

MEMBERS

Lok Sabha

2. Shri Anand Ahirwar
3. Dr. F. Azam
4. Smt. Dil Kumari Bhandari
5. Shri Gurcharan Singh Dadhahoor
6. Shri Sharad Dighe
7. Shri M. Krishnaswamy
8. Shri V. Dhananjaya Kumar
9. Shri Birsingh Mahato
10. Shri Rupchand Pal
11. Shri Rameshwar Patidar
12. Shri Bhagwan Shankar Rawat
13. Shri P.C. Thomas

Rajya Sabha

14. Dr. Naunihal Singh
15. Mohammed Afzal *Alias* Meem Afzal
16. Shri Dineshbhai Trivedi
17. Dr. R.K. Poddar
18. Shri Vishvjit P. Singh
19. Shri Madan Bhatia
20. Shri B.K. Hariprasad
21. Shri Subramanian Swamy

SECRETARIAT

1. Shri R.K. Chatterjee —*Deputy Secretary*
2. Shri Ram Autar Ram —*Under Secretary*

REPRESENTATIVES OF THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

1. Shri Raghbir Singh —*Joint Secretary and Legislative Counsel*
2. Shri S.P. Kanwal —*Deputy Legislative Counsel*

REPRESENTATIVES OF THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION)

1. Shri R.K. Sinha —*Additional Secretary*
2. Shri M.P.M. Kutty —*Director (BD)*

2. At the outset, Chairman informed that 'Summary of points raised in the Memoranda Nos. 33 to 41 and Comments' thereon received from the Ministry of Human Resource Development (Deptt. of Education) have been circulated to all the Members of the Committee.

3. The Chairman then explained to Members about the proposed simultaneous Study Tours by Study Group I and II of the Committee to Bombay and Madras on 15 and 16 February, 1993 for the purpose of holding informal discussions with representatives of certain organisations. As very few members gave their option or willingness to join the Study Group II (Madras). The Committee decided to postpone their proposed study visit to Madras and undertake a study visit to Bombay only as per schedule.

4. The Committee took oral evidence of the following representatives of the 'Indian Federation Against Software Theft, Bombay':—

1. Shri K.V.H. Padmanabhan,
   Chief Executive (INFAST)
2. Shri Shirish B. Patel,
   Chairman (INFAST)
3. Shri J. Sagar,
   (INFAST)

5. A verbatim record of evidence was kept.

The Committee then adjourned.

IX

Ninth Sitting
24.2.1993

The Committee met on Wednesday, 24 February, 1993 from 1500 hours to 1720 hours in Committee Room No. 62, First Floor, Parliament House, New Delhi.

PRESENT

Shri Syed Sibtey Razi — *Chairman*

MEMBERS

Lok Sabha

2. Shri Probin Deka
3. Shri Sharad Dighe
4. Shri Shyam Lal Kamal
5. Kum. Padmasree Kudumula
6. Shri Bhagwan Shankar Rawat
7. Shri Kodakani Gowdana Shivappa

Rajya Sabha

8. Shri Dineshbhai Trivedi
9. Shri Vishvjit P. Singh
10. Shri Iqbal Singh

SECRETARIAT

1. Shri R.K. Chatterjee — *Deputy Secretary*
2. Shri Ram Autar Rai — *Under Secretary*

REPRESENTATIVES OF MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION)

Shri R.K. Sinha — *Additional Secretary*

REPRESENTATIVES OF THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

1. Shri A.C.C. Unni — *Additional Secretary*
2. Shri Raghbir Singh — *Joint Secretary & Legislative Counsel*
3. Shri S.P. Kanwal — *Deputy Legislative Counsel*

2. At the outset, the Chairman apprised the Committee of the progress of work done so far and items of work pending for consideration by the Committee.

3. The Committee then took oral evidence of Shri Ramaiah, Advocate and former Secretary, Ministry of Law and Justice.

4. A verbatim record of evidence was kept.

5. The Committee also decided to cancel their sitting scheduled to be held on 25 February, 1992 in view of the Security restrictions imposed towards movement of persons/vehicles in New Delhi on 25 February, 1993.

The Committee then adjourned.

X

Tenth Sitting
17.3.1993

The Committee met on Wednesday, 17 March, 1993 from 1500 hours to 1600 hours in Committee Room 'D', Ground Floor, Parliament House Annexe, New Delhi.

PRESENT

Shri Syed Sibtey Razi — *Chairman*

MEMBERS

Lok Sabha

2. Dr. F. Azam
3. Shri Probin Deka
4. Shri Imchalemba
5. Shri Shyam Lal Kamal
6. Smt. Krishnendra Kaur (Deepa)
7. Shri M. Krishnaswamy
8. Shri V. Dhananjaya Kumar
9. Prof. (Smt.) Savithiri Lakshmanan
10. Smt. Geeta Mukherjee
11. Shri Rameshwar Patidar
12. Shri Bhagwan Shankar Rawat

Rajya Sabha

13. Dr. Naunihal Singh
14. Shri Dineshbhai Trivedi
15. Shri Vishvjit P. Singh
16. Shri Madan Bhatia
17. Smt. Veena Verma

SECRETARIAT

1. Shri R.K. Chatterjee — *Deputy Secretary*
2. Shri Ram Autar Ram — *Under Secretary*

REPRESENTATIVES OF THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF EDUCATION)

1. Shri R.K. Sinha — *Additional Secretary*
2. Shri M.P.M. Kutty — *Director*

REPRESENTATIVES OF THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

1. Shri Raghbir Singh — *Joint Secretary and Legislative Counsel*
2. Shri S.P. Kanwal — *Deputy Legislative Counsel*

2. At the outset, the Chairman briefly explained to members about the progress of work done so far by the Committee. The Committee were informed that 41 memoranda received from various Associations/Organisations/Individuals etc. together with comments thereon of the Ministry of

Human Resource Development (Department of Education) had already been circulated to Members. Comments on Memoranda Nos. 8B, 8C, 15A and 18A were yet to be received from the Ministry for circulation to Members. The Chairman informed that out of 41 memoranda received, six were considered by the Committee in course of evidence and another six during their study visit to Bombay. The Committee were also informed that they would have to take oral evidence of witnesses in respect of 9 memoranda received from various organisations/individuals etc. The remaining 20 memoranda would be left to the Members of the Committee to go through them and make use of the same at the time of Clause-by-Clause consideration of Bill. Keeping this in view, the Committee felt that it might not be possible for them to finalise and present their report by the stipulated period *i.e.* the last day of Budget Session of 1993. The Committee, therefore, decided to seek a further extension of time for presentation of their report by the last day of Monsoon Session of Lok Sabha, 1993.

4. The Chairman, authorised Shri Sharad Dighe, M.P. to move necessary motion in Lok Sabha in this regard.

5. The Committee then took oral evidence of Shri Pravin Anand, Advocate, New Delhi.

6. A verbatim record of evidence was kept.

The Committee then adjourned.

XI

Eleventh Sitting

19.3.1993

The Committee met on Friday, 19 March, 1993 from 1500 hours to 1630 hours in Committee Room 'C', Ground Floor, Parliament House Annexe, New Delhi.

PRESENT

Shri Syed Sibtey Razi — *Chairman*

MEMBERS

Lok Sabha

2. Shri Probin Deka
3. Shri Imchalemba
4. Shri Bhagwan Shankar Rawat

Rajya Sabha

5. Dr. Naunihal Singh
6. Smt. Veena Verma
7. Shri G. Swaminathan

SECRETARIAT

1. Shri R.K. Chatterjee — *Deputy Secretary*
2. Shri Ram Autar Ram — *Under Secretary*

REPRESENTATIVES OF THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION)

1. Shri R.K. Sinha — *Additional Secretary*
2. Shri M.P.M. Kutty — *Director*

REPRESENTATIVES OF THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

1. Shri Raghbir Singh — *Joint Secretary and Legislative Counsel*
2. Shri S.P. Kanwal — *Deputy Legislative Counsel*

2. The Committee took oral evidence of the following representatives of the Indian Newspaper Society, New Delhi:—

1. Shri Paresh Nath
2. Shri Yunus Dehalvi
3. Shri Bhushan Jain, Secretary

3. A verbatim record of evidence was kept.

The Committee then adjourned.

XII

Twelfth Sitting

23.4.1993

The Committee met on Friday, 23 April, 1993 from 1500 to 1645 hours in Committee Room 'C', Ground Floor, Parliament House Annexe, New Delhi.

PRESENT

Shri Syed Sibtey Razi — *Chairman*

MEMBERS

Lok Sabha

2. Shri Anand Ahirwar
3. Dr. F. Azam
4. Smt. Dil Kumari Bhandari
5. Shri Gurcharan Singh Dadhahoor
6. Shri Probin Deka
7. Shri Imchalemba
8. Smt. Krishnendra Kaur (Deepa)
9. Shri M. Krishnaswamy
10. Prof. (Smt.) Savithiri Lakshmanan
11. Smt. Geeta Mukherjee
12. Shri Rameshwar Patidar
13. Shri Kodakani Gowdana Shivappa

Rajya Sabha

14. Shri Mohammed Afzal *Alias* Meem Afzal
15. Dr. R.K. Poddar
16. Shrimati Veena Verma
17. Shri Iqbal Singh

SECRETARIAT

Shri Ram Autar Ram — *Under Secretary*

REPRESENTATIVES OF THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION)

1. Shri M.P.M. Kutty — *Director.*
2. Shri B.S. Dhillon — *Under Secretary.*

REPRESENTATIVE OF THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

Shri S.P. Kanwal — *Deputy Legislative Counsel*

2. At the outset, the Chairman informed the Committee about the progress of work done so far. The Committee were also informed that a motion extending time upto the last day of the Monsoon Session of Lok Sabha, 1993 for presentation of the report of the Joint Cmmittee on Copyright (Second Amendment) Bill, 1992 was moved and adopted in Lok Sabha on 21 April, 1993.

3. The Committee decided to cancel their sitting scheduled to be held on 30 April, 1993 to hear oral evidence of Shri Bunny Reuben, Bombay in view of the non-availability of Committee Room for holding the sitting on the said date.

4. The Committee then took oral evidence of the following representatives of the Indian Phonographic Industry, Calcutta:

1. Shri P. Chanda, President
2. Shri S. Shidore, Secretary
3. Shri H.S. Anand, Legal Adviser
4. Smt. B.B. Chib, Legal Adviser.

5. A verbatim record of evidence was kept.

The Committee then adjourned.

XIII

Thirteenth Sitting

10.5.1993

The Committee met on Monday, 10 May, 1993 from 1500 hrs. to 1600 hrs. in Committee Room 'C', Ground Floor, Parliament House Annexe, New Delhi.

PRESENT

Shri Syed Sibtey Razi —*Chairman*

2. Dr. Naunihal Singh —MEMBER

SECRETARIAT

Shri Ram Autar Ram —*Under Secretary*

REPRESENTATIVES OF THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION)

1. Shri Y.N. Chaturvedi —*Additional Secretary*
2. Shri M.P.M. Kutty —*Director*

REPRESENTATIVES OF THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

1. Dr. Raghbir Singh —*Joint Secretary & Legislative Counsel*
2. Shri S.P. Kanwal —*Deputy Legislative Counsel.*

2. The Committee took oral evidence of the following representatives of the Indian Performing Right Society Ltd., Bombay.

1. Shri Nausad Ali, Chairman
2. Shri Sanjay Tandon
3. Shri Hasan Kamaal
4. Shri Ravi Sharma

3. A verbatim record of evidence was kept.

4. The Committee decided to postpone their three sittings scheduled to be held on 11, 13 and 14 May, 1993 in view of the important issues being discussed in Parliament.

The Committee then adjourned.

XIV

Fourteenth Sitting

4.6.1993

The Committee met on Friday, 4 June, 1993 from 1500 hours to 1700 hours in Committee Room 'D', Ground Floor, Parliament House Annexe, New Delhi.

PRESENT

Shri Syed Sibtey Razi —*Chairman*

MEMBERS

Lok Sabha

2. Shri Anand Ahirwar
3. Dr. F. Azam
4. Shrimati Dil Kumari Bhandari
5. Shri Probin Deka
6. Mohammad Ali Ashraf Fatmi
7. Shri Imchalemba
8. Shri Jai Prakash
9. Shri M. Krishnaswamy
10. Shri V. Dhananjaya Kumar
11. Shri Birsingh Mahato
12. Shrimati Geeta Mukherjee
13. Shri Rameshwar Patidar
14. Shri Bhagwan Shankar Rawat
15. Shri P.C. Thomas
16. Shri V. Sobhanadreeswara Rao Vadde

Rajya Sabha

17. Dr. R.K. Poddar
18. Shri S. Viduthalai Virumbi
19. Shri Madan Bhatia
20. Shri B.K. Hariprasad
21. Shri Iqbal Singh

SECRETARIAT

1. Shri R.K. Chatterjee —*Deputy Secretary*
2. Shri Ram Autar Ram —*Under Secretary*

REPRESENTATIVES OF THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION)

1. Shri S.V. Giri—*Secretary*
2. Shri M.P.M. Kutty—*Director*

REPRESENTATIVES OF THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

1. Dr. Raghbir Singh—*Joint Secretary & Legislative Counsel*
2. Shri S.P. Kanwal—*Deputy Legislative Counsel*

2. The Committee took oral evidence of the representatives of the following Bombay based organisations:—

I. *Film Federation of India*

(i) Shri P.K. Bose, President.

(ii) Shri K.D. Shory, Executive-cum-Member

II. *The Film Writers Association*

Shri Satish Bhatnagar

3. A verbatim record of evidence was kept.

The Committee then adjourned.

XV

Fifteenth Sitting

18.6.1993

The Committee met on Friday, 18 June, 1993 from 1500 hours to 1545 hours in Committee Room 'D', Ground Floor, Parliament House Annexe, New Delhi.

PRESENT

Shri Syed Sibtey Razi —*Chairman*

MEMBERS

Lok Sabha

2. Shri E. Ahamed
3. Dr. F. Azam
4. Shri Sharad Dighe
5. Shri Shyam Lal Kamal
6. Shri M. Krishnaswamy
7. Shri Birsingh Mahato
8. Shri Rupchand Pal
9. Shri Harpal Panwar
10. Shri Naranbhai Jamlabhai Rathava
11. Shri Kodakani Gowdana Shivappa

Rajya Sabha

12. Dr. R.K. Poddar
13. Shri S. Viduthalai Virumbi
14. Shri Madan Bhatia
15. Shrimati Veena Verma
16. Shri B.K. Hariprasad
17. Shri Iqbal Singh
18. Shri Subramanian Swamy

SECRETARIAT

1. Shri R.K. Chatterjee —*Deputy Secretary*
2. Shri Ram Autar Ram —*Under Secretary*

REPRESENTATIVES OF THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION)

1. Shri Y.N. Chaturvedi—*Additional Secretary*
2. Shri M.P.M. Kutty—*Director*

REPRESENTATIVE OF THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

Shri A.C.C. Unni—*Additional Secretary*

2. At the outset the Chairman apprised the Committee regarding progress of work done so far. He informed that 42 memoranda in all had been received on Copyright (Second Amendment) Bill, 1992 from various organisations, associations and individuals. These memoranda together with the comments of the Ministry of Human Resource Development (Department of Education) thereon had already been circulated to the Members of the Committee.

3. The Chairman announced that in the next sitting the Committee would take up clause by clause consideration of the Bill. Members desirous of giving notices for amendment to various clauses of the Bill might send their notices to this Secretariat latest by Monday, 5 July, 1993.

4. The Committee then took oral evidence of Shri Ram Chandra Das, representative of 'Western India Cinematographers Association', Bombay.

5. A verbatim record of evidence was kept.

The Committee adjourned.

---

*Another witness Shri G.P. Sippy, the representative of Indian Federation Against Copyright Theft, Bombay who had to come and appear before the Joint Committee for tendering oral evidence, did not turn up.

XVI

Sixteenth Sitting

10.8.1993

The Committee met on Tuesday, 10 August, 1993 from 1500 hours to 1715 hours in Committee Room No. 50, First Floor, Parliament House, New Delhi.

PRESENT

Shri Syed Sibtey Razi—*Chairman*

MEMBERS

Lok Sabha

2. Dr. F. Azam
3. Smt. Dil Kumari Bhandari
4. Shri Probin Deka
5. Shri Imchalemba
6. Shri Jai Prakash
7. Shri Shyam Lal Kamal
8. Shri M. Krishnaswamy
9. Shri V. Dhananjaya Kumar
10. Prof. (Smt.) Savithiri Lakshmanan
11. Shri Rameshwar Patidar
12. Shri Bhagwan Shankar Rawat
13. Shri P.C. Thomas

Rajya Sabha

14. Dr. Naunihal Singh
15. Shri Mohammed Afzal *Alias* Meem Afzal
16. Shri Dineshbhai Trivedi
17. Shri Vishvjit P. Singh
18. Shrimati Veena Verma

SECRETARIAT

1. Shri R.K. Chatterjee—*Deputy Secretary*
2. Shri Ram Autar Ram —*Under Secretary*

REPRESENTATIVES OF THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION)

1. Shri Y.N. Chaturvedi—*Additional Secretary*
2. Smt. V. Lakshmi Reddy—*Director*

REPRESENTATIVES OF THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

1. Shri A.C.C. Unni—*Additional Secretary*
2. Shri S.P. Kanwal—*Deputy Legislative Counsel*

2. The Chairman welcomed the members of the Committee and others and explained in brief the work done by the Committee from 15 September, 1992 till date. The Chairman referred to the notices of amendments received from Shri Rameshwar Patidar, M.P. and Shrimati Veena Verma, M.P., already circulated to the Members of the Committee.

3. The Committee then took up clause-by-clause consideration of the Bill. As Shri Rameshwar Patidar, M.P. was not present at the beginning of the sitting, his amendments were moved by Shri Dineshbhai Trivedi, M.P. After a little while Shri Rameshwar Patidar turned up and joined the sitting. The Committee considered and adopted without any amendment all those clauses of the Bill to which neither amendments were given notice of nor moved by any member of the Committee. While considering the relevant clauses of the Bill to which notices of sixteen amendments (excluding general suggestions) were given, the Committee accepted eleven amendments with or without modifications. The remaining five amendments were considered but not accepted by the Committee. These five clause wise amendments which were considered and not accepted by the Committee were given in Annexure.

4. The following amendments with reference to their respective clauses were considered and accepted by the Committee with or without modifications (words *underlined* denote modifications in the amendments):—

(i) Clause 2 (×) (qq)

Page 4, line 4, *after* "Juggler" *Add* "Conjurer"

Clause 2 as amended was adopted.

(ii) Clause 6(d)

Page 5, *after* line 17

Add "12(d) The Copyright Board shall subject to rules that may be prescribed under this Act, have the power to determine, at the time of termination of the copyright in a literary, dramatic, musical, artistic or scientific work, under Chapter V, whether such work has got considerable value to form part of cultural, literary, artistic or national heritage.

Provided that in case Board consider a work to be of such a heritage value it shall have the power to determine under the rules that may be prescribed, adequate royalty for the work to be paid to the heirs, or successors of the authors, *after lapse of 20 years of the Copyright.*

Clause 6 as amended was adopted.

(iii) Clause 8(2)

Page 6, *after* line 36

Add "19(2)(a) The assignment of copyright in any work shall also specify the amount of money that shall be payable to the authors, heirs, successors of a literary, dramatic, musical, artistic or scientific work on the expiry of the term of agreement of copyright and shall be subject to revision, extension or termination on terms to be mutually agreed."

(iv) Clause 8(3)

Page 6, for lines 37—40 and

Page 7, for line 1-2

Substitute

"19(3)(a) In case of literary, dramatic, artistic work cinematograph film and sound recording, if the right assigned under sub-section (1) are not specified, it shall be presumed that the assignor has reserved unto himself all other copyrights in his works;

(b) In case of musical works if the rights assigned in sub-section (1) are not specified it shall be presumed that the author of the musical work has assigned to the assignee only his right to make a cinematograph film or a sound recording in respect of his work to be played as a whole as a cinematograph film or a sound recording only and specifically retains with him all the other rights:

Provided that in any event if the assignee does not exercise any of such right within a period of 1 year from the date of assignment, the assignment in respect of such assigned rights shall be deemed to have lapsed after the expiry of the said period."

Clause 8 as amended was adopted.

(v) Clause 11

Page 8 *After* line 4

Add "Provided that the use of the words "No person" in this Clause shall not debar any single Copyright holder (author) from issuing or granting Licences in respect of his own works."

(vi) Clause 11

Page 8, line 8

After the word "Chapter"

Add "and the existing Copyright Societies shall get registered within a transitional period of one year from the date of commencement of the amending Act"

Clause 11 as amended was adopted.

(vii) Clause 19

Page 16, line 1

Before "after Section 53"

Add "In Chapter XI"

Clause 19 as amended was adopted.

(viii) Clause 22

Page, 17, line 4

After "In the" *Add* "first"

Clause 22 as amended was adopted.

(ix) Clause 23

Page 17, *for* line 12

Substitute "to be offence of infringement of Copyright under this Act and the provision of Section 63 and 63A in relation to punishment"

Clause 23 as amended was adopted.

(x) Clause 24

Page 17, line 34

For "shall"

substitute "may"

(xi) Clause 24(ii)

Page 18, *after* line 19

**Add* "78(2)(dc) the conditions to be fulfilled by the publishers of books, *vis-a-vis* their authors to keep the authors and in their absence their legal representative informed about publication, reprinting, reproduction or issue of further editions or translations or renderings of the books; and the amount of royalty to be paid and payable at different stages.

(dd) the form of agreement (model agreement) to be signed between the author or his legal representatives and the publishers of book, including the provisions of a model format or such an agreement, necessary for securing and protecting the interests of the authors and their legal representatives as against the publishers."

The Committee also decided that a recommendation should be made in the report that the Government might incorporate a model contract in the Rules to be framed under the Act.

Clause 24 as amended was adopted.

5. The committee suggested that the word "Society" in clause 15, page 12, line 7 of the Bill which is a typographical mistake, be replaced by the word "solely".

6. The committee decided to hold their next sitting on 12 August at 1500 hours to consider the general suggestions made in the notices of amendments.

The Committee then adjourned.

---

*Finally not accepted by the Committee.

CONFIDENTIAL

ANNEXURE

LOK SABHA SECRETARIAT

COMMITTEE BRANCH-II

JOINT COMMITTEE ON THE COPYRIGHT (SECOND AMENDMENT) BILL, 1992

List of Amendments received from the Members of the Committee which were considered and not accepted by the Committee at their sitting held on 10 August, 1993

(*Vide* Para 3 of the Minutes dated 10-8-93)

Sl. No.	Name of Member and Text of Amendment	Clause No.
1	2	3
1.	SHRI RAMESHWAR PATIDAR Page 3, line 6 *after* 'result' *add* "and includes making a version of the programme in which it is converted into or out of a computer language or code or into a different computer language or code."	2(v) (ffc)
2.	Page 5, after line 17 *Insert* "13(4)(a) For the removal of doubts it is hereby expressly declared that the embodiment or incorporation of a literary, dramatic, musical or artistic work in a cinematograph or a record shall not by itself affect or be presumed to affect the ownership of the copyright of the work [including in particular the specific rights mentioned in paragraph (c) of this sub-section] of the person who immediately before the embodiment or incorporation was the owner of the copyright in such work. (b) The specific rights referred to in paragraph (a) of this sub-section are the exclusive rights— (i) to perform the work in Public or to authorise its performance in public (including any performance caused by the public exhibition of the cinematograph film, or by the playing in public of the record, in which the work has been embodied or incorporated); (ii) to reproduce the works, or authorise its reproduction, in any material form."	6a (New)
3.	SHRIMATI VEENA VERMA Page 6, line 37 *For* 'presumed' *substitute* 'deemed' [This amendment became redundant as the amendment moved by Shri Rameshwar Patidar for substituting Clause 8(3) in Page 6 for line 37—40 and Page 7 for lines 1–2 was accepted by the Committee.]	8

1	2	3
4.	Page 11, line 9 *after* the word 'continuance' *add* 'in force'	14
5.	Page 12, line 9 *after* 'broadcast' *add* 'or of a performance'	15

XVII

Seventeenth Sitting

12.8.1993

The Committee met on Thursday, 12 August, 1993 from 1500 hours to 1600 hours in Committee Room No. 50, First Floor, Parliament House, New Delhi.

PRESENT

Shri Syed Sibtey Razi—*Chairman*

MEMBERS

Lok Sabha

2. Shri E. Ahamed
3. Shri Anand Ahirwar
4. Smt. Dil Kumari Bhandari
5. Shri Gurcharan Singh Dadhahoor
6. Shri Sharad Dighe
7. Shri Jai Prakash
8. Shri Shyam Lal Kamal
9. Shri M. Krishnaswamy
10. Prof. (Smt.) Savithiri Lakshmanan
11. Shri Birsingh Mahato
12. Shri Rameshwar Patidar

Rajya Sabha

13. Shri S. Viduthalai Virumbi
14. Shri Vishvjit P. Singh
15. Shri Iqbal Singh

SECRETARIAT

1. Shri R.K. Chatterjee—*Deputy Secretary*
2. Shri Ram Autar Ram—*Under Secretary*

REPRESENTATIVES OF THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION)

1. Shri Y.N. Chaturvedi, *Additional Secretary*
2. Smt. V. Lakshmi Reddy, *Director*

REPRESENTATIVES OF THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

1. Shri A.C.C. Unni, *Additional Secretary*
2. Shri S.P. Kanwal, *Deputy Legislative Counsel*

2. The Chairman welcomed the Members and placed before the Committee certain general suggestions made in the notices of amendments. The Committee did not approve the suggestions except the following part suggestion and desired that it might be included in the report of the Committee:—

*"An amendment should be effected to recognise that even though a dramatic or musical work is permitted to be incorporated in a Cinematograph Film, the Author of such dramatic or musical work will continue to remain with the owner of Copyright in such work including the rights of its public performance through the means of such cinematograph film."

3. The suggestions which were considered and not approved by the Committee are given in the Annexure.

4. The Committee decided to hold their next sitting tomorrow *i.e.* Friday, the 13 August, 1993 at 1500 hours to consider the amended Bill as prepared and brought before the Committee by the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Legislative Department), incorporating the amendments approved by the Committee.

The Committee then adjourned.

---

*Finally not accepted by the Committee.

ANNEXURE

LOK SABHA SECRETARIAT

COMMITTEE BRANCH–II

JOINT COMMITTEE ON THE COPYRIGHT (SECOND AMENDMENT) BILL, 1992

List of Amendments received from the Members of the Committee which were considered and not accepted by the Committee at their sitting held on 12 August, 1993.

(*Vide* para 3 of the Minutes dated 12.8.93)

GENERAL SUGGESTIONS

SHRI RAMESHWAR PATIDAR

1. *Suggestion to be incorporated in Clause (J) of Section 2*

"Clause (J) of Section (2) should be made more explicit to clarify that "Exclusive Licenced" shall pertain only to that part of the Copyright which is assigned to an assignee and shall not pertain to the whole spectrum of copyright unless the assignee parts with the whole spectrum of his copyright."

2. *New Amendment suggested*

"A provision may be made that when the copyright in a registered work is assigned, the assignor failing which the assignee shall give notice of such assignment to the Registrar and shall also forward a copy of the documents by which such right is assigned. This would ensure that the Register is up-to-date and correctly represents the current position".

3. *Restricting Assignment*

"The law should recognise that when a composer composes a song for incorporation in a Cinematograph Film or sound recording he does so only for that purpose and he gives the right to the Producer of the cinematograph film or sound recording for using his work for his film and recording only".

SHRIMATI VEENA VERMA

4. *New Amendment suggested in the Act*

Section 64(1) of the principal Act may be amended to include a reference to Section 63(c) so to cover seisure of infringing copies of Computer programmes also.

XVIII

Eighteenth Sitting

13.8.1993

The Committee met on Friday, 13 August, 1993 from 1500 hours to 1600 hours in Committee Room No. 50, First Floor, Parliament House, New Delhi.

PRESENT

Shri Syed Sibtey Razi—*Chairman*

MEMBERS

Lok Sabha

2. Shri E. Ahamed
3. Shri Gurcharan Singh Dadhahoor
4. Shri Probin Deka
5. Shri Sharad Dighe
6. Shri Shyam Lal Kamal
7. Prof. (Smt.) Savithiri Lakshmanan
8. Shri Simon Marandi
9. Shri Rupchand Pal
10. Shri Rameshwar Patidar

Rajya Sabha

11. Shri Mohammed Afzal *Alias* Meem Afzal
12. Shri Vishvjit P. Singh
13. Shrimati Veena Verma
14. Shri Iqbal Singh
15. Shri G. Swaminathan

SECRETARIAT

1. Shri R.K. Chatterjee—*Deputy Secretary*
2. Shri Ram Autar Ram—*Under Secretary*

REPRESENTATIVE OF THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION)

Shri Y.N. Chaturvedi, Additional Secretary

REPRESENTATIVES OF THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

1. Shri A.C.C. Unni—*Additional Secretary*
2. Shri S.P. Kanwal—*Deputy Legislative Counsel.*

The Committee considered and approved the modifications in respect of certain amendments to the Bill as recast and brought before the Committee by the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Legislative Department) (Modified amendments given in the Annexure.)

2. The Committee decided to hold their next sitting on Thursday the 19th August, 1993 at 1500 hours to consider and adopt the Bill as reported by the Committee and the draft report thereon.

The Committee then adjourned.

CONFIDENTIAL

ANNEXURE

JOINT COMMITTEE ON THE COPYRIGHT (SECOND AMENDMENT) BILL, 1992.

Sl. No.	Test of the Modified Amendments	Clause No.
1	2	3
1.	'(qq) "performer" includes an actor, singer, musician, dancer, acrobat, juggler, *Conjurer,* snake charmer, a person delivering a lecture or any other person who makes a performance;'	2
2.	(2A) Notwithstanding anything contained in this Act, the Copyright Board shall, subject to any rules that may be made under this Act, have power to determine, before the expiry of the term of copyright in any literary, dramatic, musical or artistic work, under Chapter V, whether such work has got lasting value so as to form part of the national heritage and where the Copyright Board determines that the work has got lasting value so as to form part to the national heritage, it shall, subject to any rules that may be made under this Act, pass an order extending the term of copyright of such work for a further period not exceeding twenty years from the date of expiry of the term of copyright and the term of copyright in the said work shall stand extended accordingly for purposes of this Act.	12(2)(A)
3.	The Assignment of copyright in any work shall also specify the amount of royalty payable to the author or his legal heirs during the currency of the assignment and the assigment shall be subject to revision, extension or termination on terms mutually agreed upon by the parties.	19 (2)
4.	In the case of any literary, dramatic or artistic work or in the case of a cinematograph film or sound recording, where the rights assigned under sub-section (1) are not specified, the assignor shall be deemed to have reserved to himself all other rights which have not been specifically assigned.	19(3)(A)
5.	In the case of musical works, where the rights assigned under sub-section (1) are not specified, the assignor shall be deemed to have assigned to the assignee only the right to make a cinematograph film or a sound recording, as the case may be, in respect of his work to be played as a whole in the cinematograph film or in the sound recording and all other rights relating to such musical works shall be deemed to have been reserved to himself.	19(3)(B)
6.	Where the assignee does not exercise the rights assigned to him under any of the other sub-sections of this section within a period of one year from the date of assignment, the assignment in respect of such rights shall be deemed to have lapsed after the expiry of the said period.	19 (3) Proviso

1	2	3
7.	Provided further that an owner of copyright shall, in his individual capacity, continue to have the right to grant licences in respect of his own works.	11,. P.8 after line 4
8.	and every such society shall get itself registered within a period of one year from the date of commencement of the Copyright (Second Amendment) Act, 1992.	11 after line 8

XIX

Nineteenth Sitting
19.8.1993

The Committee met on Thursday, 19 August, 1993 from 1500 hours to 1600 hours in Rajya Sabha House Committee Chairman's Room No. 67, First Floor, Parliament House, New Delhi.

PRESENT

Shri Syed Sibtey Razi—*Chairman*

MEMBERS

Lok Sabha

2. Dr. F. Azam
3. Smt. Dil Kumari Bhandari
4. Shri Sharad Dighe
5. Shri Shyam Lal Kamal
6. Prof. (Smt.) Savithiri Lakshmanan
7. Smt. Geeta Mukherjee
8. Shri Rupchand Pal
9. Shri Rameshwar Patidar
10. Shri Kodakani Gowdana Shivappa

Rajya Sabha

11. Shri Dineshbhai Trivedi
12. Dr. Sanjaya Sinh
13. Shri Vishvjit P. Singh
14. Shrimati Veena Verma
15. Shri Subramanian Swamy

SECRETARIAT

1. Shri S.C. Gupta—*Joint Secretary*
2. Shri Ram Autar Ram—*Under Secretary*

REPRESENTATIVE OF THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION)

Shri Y.N. Chaturvedi—*Additional Secretary*

REPRESENTATIVES OF THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

1. Shri A.C.C. Unni—*Additional Secretary*
2. Shri S.P. Kanwal—*Deputy Legislative Counsel.*

2. The Chairman welcomed the Members to the sitting of the Committee. Referring to the Bill as amended by the Committee and the Draft Report thereon, the Chairman invited suggestions, if any, in regard to the Bill and the Draft Report.

3. The Committee considered and adopted the Bill as amended.

4. The Committee thereafter considered and adopted their Draft Report.

5. The Chairman then observed that the Report of the Committee was based on majority decisions arrived at by the Committee but any member disagreeing with the Report or a part thereof could append a Minute of Dissent on any matter connected with the Bill or dealt with in the Report. The Chairman then drew attention of the Members to the provisions contained in Direction 87 of the Directions by the Speaker regarding Minute of Dissent and anounced that the Minute of Dissent, if any, might be sent by the Members to the Lok Sabha Secretariat by 1700 hours on Friday, the 20th August, 1993 and the same was agreed to by the Committee.

6. The Committee authorised the Chairman to get the Report and the record of evidence presented/laid in both Houses of the Parliament on 24 August, 1993.

7. The Committee placed on record their appreciation for the cooperation and assistance rendered by the Legislative Counsel of the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Legislative Department) and officers of the Ministry of Human Resource Development (Department of Education).

8. The Committee also placed on record their appreciation and thanks to the officers and staff of Lok Sabha Secretariat for their hard work and assistance rendered in the work of the Committee.

9. The Chairman thanked the Members of the Committee for extending their full cooperation to him in conducting the proceedings of the Committee in the most congenial atmosphere.

10. The Members of the Committee also placed on record their deep sense of gratitude to the Chairman for very ably and impartially conducting the proceedings of the Committee and guiding their deleberations at various stages of the Bill.

The Committee then adjourned.

MGIP(PLU)MRND—3575LS—21.9.93 — 1400 Copies.

सी० बी० दो सं० 386

1993
Hindi

लोक सभा

प्रतिलिप्यधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1992

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

24 अगस्त, 1993 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।
24 अगस्त, 1993 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

अगस्त, 1993/श्रावण, 1915 (शक)

मूल्य : रुपए 10.00

प्रतिलिप्याधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1992 सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पैरा	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
(iii)	–	13	मोहम्मद अली फातमी	मोहम्मद अली अशरफ फातमी
(iv)	–	4	विरूम्ती	विरूम्भी
(v)	2	1, 2	1993	1992
(vii)	25 के बाद	–	"तदनुसार खंड 24(1)(ग ख) में संशोधन किया गया" जोड़ा जाए ।	
(vii)	26	1	"खण्ड 24 (एक)" शब्दों का लोप किया जाए ।	
1	–	3	की रिपोर्ट के अनुसार	द्वारा यथा प्रस्तुत
13	18	4	कृषि	कार्य
14	23	3	1944 का 1	1944 का 10
"	23	4	1962 का 52	1962 का 62
16	–	7	आननद	आनंद
"	–	14	श्री एन कृष्ण स्वामी	श्री एम. कृष्णा स्वामी
–	–	20	श्री जर्नादन मिश्र	श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र
21	–	अंतिम से पूर्व	———	गोरेगांव (पश्चिम) जोड़ा जाए ।
22	–	नीचे से 11सी/420		सी/120
23	–	नीचे से 8	(सी.आई.एस.ए.एस.)	(सी.आई.एस.ए. सी.)
24	–	4	श्री शीष	श्री शिरीष
25	–	3	फोटोग्राफिक	फोनोग्राफिक
25	–	7	17	717
35	–	11	कृष्णस्वामी	कृष्णास्वामी
35	–	17	कोडाकेनी	कोडाकनी
43	–	1	वितरित	परिचालित
43	–	नीचे से 7	पदमनाभम	पदमनाभन
49	4	1	का साक्ष्य	का मौखिक साक्ष्य
"	"	3	शिदोरे	शिडोरे
"	"	5	चिब	छिब

पृष्ठ	पैरा	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
51	–	24	श्री शोभनाडीश्वर	श्री वी. शोभनाद्रीश्वर
53	–	21	विरूम्बी	विरूम्भी
55	–	नीचे से 7	श्री	श्रीमती
57	–	नीचे से 14	"78 (2)(घ ग)	*78 (2) (घ ग)
"	–	नीचे से छठी पंक्ति से पूर्व	"समिति ने यह भी निर्णय लिया है कि रिपोर्ट में यह सिफारिश की जाए कि सरकार अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों में एक मॉडल करार भी शामिल करे" जोड़ा जाए ।	
65	–	4	राज्य सभा के सभापति के कमरा	राज्य सभा की आवास समिति के सभापति के कमरा
66	–	1–2	विमति	विगत

विषय सूची

	पृष्ठ
1. संयुक्त समिति की रचना	(iii)
2. संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	(v)—(vii)
3. संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रस्तुत विधेयक	1

परिशिष्ट

परिशिष्ट एकः

विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के लिए लोक सभा में प्रस्ताव 16

परिशिष्ट दोः

राज्य सभा में प्रस्ताव 18

परिशिष्ट तीनः

संघों/संगठनों, व्यक्तियों आदि की सूची जिनसे समिति को ज्ञापन प्राप्त हुए 19

परिशिष्ट चारः

संयुक्त समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य देने वाले साक्षियों की सूची 24

परिशिष्ट पांचः

संयुक्त समिति की बैठक का कार्यवाही सारांश 26

प्रतिलिप्यधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1992 संबंधी संयुक्त समिति के सदस्यों की सूची

श्री सैयद सिब्ते रजी — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री ई० अहमद
3. श्री आनन्द अहिरवार
4. डा० एफ० आजम
5. श्री अवतार सिंह भडाना
6. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी
7. श्री गुरचरण सिंह दादाहूर
8. श्री प्रबीन डेका
9. श्री शरद दिघे
10. मोहम्मद अली फातमी
11. श्री इम्चालम्बा
12. श्री जय प्रकाश
13. श्री श्याम लाल कमल
14. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)
15. श्री एम० कृष्ण स्वामी
16. कुमारी पदमश्री कुड्डुमुला
17. श्री वी० धनंजय कुमार
18. प्रो० (श्रीमती) सावित्री लक्ष्मणन
19. श्री वीर सिंह महतो
20. श्री साईमन मराण्डी
21. श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र
22. श्रीमती गीता मुखर्जी
23. श्री रूप चन्द पाल
24. श्री हरपाल पंवार
25. श्री रामेश्वर पाटीदार
26. डा० आर० के० जी० राजुलु
27. श्री नारायणभाई जमलाभाई राठवा
28. श्री भगवान शंकर रावत
29. श्री कोडाकनी गौडाना शिवप्पा
30. श्री पी० सी० थामस
31. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे

राज्य सभा

*32. डा० बलदेव प्रकाश
33. डा० नौनिहाल सिंह
34. श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल

---

*17 नवम्बर, 1992 को उनका निधन हुआ और स्थान नहीं भरा गया है।

35. श्री दिनेशभाई त्रिवेदी
**36. डा० आर० के० पोद्दार
37. डा० संजय सिंह
38. श्री एस० विडुतलैविरूम्ती
39. श्री विश्वजीत पी० सिंह
40. श्री मदन भाटिया
41. श्रीमती वीणा वर्मा
42. श्री बी० के० हरिप्रसाद
43. श्री इकबाल सिंह
44. श्री जी० स्वामीनाथन
45. श्री सुब्रहमण्यम स्वामी

सचिवालय

1. श्री जी० एल० बत्रा — अपर सचिव
2. श्री एस० सी० गुप्ता — संयुक्त सचिव
3. श्री आर० के० चटर्जी — उप सचिव
4. श्री राम अवतार राम — अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री एस० वी० गिरि — सचिव
2. श्री आर० के० सिन्हा — अपर सचिव
3. श्री वाई० एन० चतुर्वेदी — अपर सचिव
4. श्री जगदीश सागर — संयुक्त सचिव
5. श्री एम० सी० जोशी — निदेशक
6. श्री एम० पी० एम० कुट्टी — निदेशक (बुक प्रमोशन एंड कापीराइट)
7. श्रीमती वी० लक्ष्मी रेड्डी — निदेशक
8. श्री जगदीश स्वरूप — विशेष अधिकारी
9. श्री वी० के० सक्सेना — लाइसेंसिंग अधिकारी

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री ए० सी० सी० उन्नी — अपर सचिव
2. श्री रघवीर सिंह — संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता
3. श्री एस० पी० कंवल — उप विधायी परामर्शदाता

** 9 जुलाई, 1993 से राज्य सभा की सदस्यता से सेवा निवृत्त हुए और उनका स्थान नहीं भरा गया है।

प्रतिलिप्यधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1992 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

मैं, संयुक्त समिति का सभापति जिसे यह विधेयक* अर्थात् प्रतिलिप्यधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1992 सौंपा गया है, उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. इस विधेयक को 16 जुलाई, 1993 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था। विधेयक को संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव मानव संसाधन विकास मंत्री, श्री अर्जुन सिंह द्वारा 19 अगस्त, 1993 को लोक सभा में रखा गया था और उसे स्वीकार किया गया था (**परिशिष्ट-एक**)

3. राज्य सभा द्वारा उक्त प्रस्ताव पर 20 अगस्त, 1992 को स्वीकृति प्रदान की गई। (**परिशिष्ट-दो**)

4. राज्य सभा से प्राप्त संदेश को लोक सभा बुलेटिन भाग-दो में 24 अगस्त, 1992 को प्रकाशित किया गया।

5. समिति की कुल 19 बैठकें हुईं।

6. समिति की पहली बैठक 15 सितम्बर, 1992 को हुई। इस बैठक में समिति ने अपने भावी कार्यक्रम पर विचार किया और विधेयक के बारे में राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, बार काउंसिलों, लेखकों, प्रकाशकों, पत्रकारों और अन्य व्यक्तियों से जिन्हें विधेयक के विषय वस्तु में रुचि हो, से अपने विचारार्थ 16 अक्तूबर, 1992 तक सुझाव/टिप्पण संबंधी ज्ञापन आमंत्रित करते हुए प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का निर्णय किया। समिति ने यह इच्छा व्यक्त की कि प्रेस विज्ञप्ति की विषय वस्तु का क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्रों सहित राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों, दूरदर्शन/आकाशवाणी आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। जन-जागृति पैदा करने के लिए भी विधेयक की विषय वस्तु का व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु मंत्रालय को उपाय करने पर विचार करने हेतु निदेश दिया गया।

समिति ने यह भी निर्णय किया कि विधेयक पर सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, बार काउंसिलों, लेखकों, प्रकाशकों, अन्य संगठनों, शैक्षिक संस्थानों, व्यक्तियों और अन्य विशेषज्ञों, जिन्होंने इस क्षेत्र में कार्य किया हो अथवा जो इच्छुक हों, के सुझाव/टिप्पण आदि आमंत्रित करते हुए उनको पत्र भेजे जायें।

समिति ने निदेश दिया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) और लोक सभा सचिवालय द्वारा एक विशिष्ट प्रश्नावली तैयार की जाये, जिसे इन संगठनों/व्यक्तियों को, उनके विचार प्राप्त करने के लिए भेजा जाये। समिति ने संगठनों/संस्थाओं/व्यक्तियों को अपने ज्ञापन समिति को भेजने के लिए चार सप्ताह का समय देने का निर्णय लिया।

7. तदनुसार, ज्ञापन और मौखिक साक्ष्य के लिए अनुरोध आमंत्रित करते हुए 15 सितम्बर, 1992 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई।

समिति द्वारा लिए गए निर्णयानुसार सभी राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों और मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) द्वारा उपलब्ध कराये गये व्यक्तियों के नाम, विधेयक के उपबंधों के बारे में टिप्पण/सुझाव सहित ज्ञापन आमंत्रित करते हुए, एक पत्र भी जारी किया गया। मंत्रालय ने आम जनता से 16 अक्तूबर, 1992 तक ज्ञापन आमंत्रित करते हुए प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से इसे प्रचारित किया। समिति ने बाद में ज्ञापन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 7 नवम्बर, 1992 तक बढ़ा दिया।

8. समिति को विभिन्न संगठनों/व्यक्तियों आदि की ओर से विधेयक के उपबंधों के बारे में 42 ज्ञापन प्राप्त हुए जिसमें टिप्पण/सुझाव अंतर्विष्ट हैं। (**परिशिष्ट-तीन**)

9. समिति नें 15 और 16 फरवरी, 1993 को बम्बई का दौरा किया और प्रतिलिप्यधिकार विधेयक के विभिन्न उपबंधों के बारे में छः गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ अनौपचारिक चर्चा की।

10. समिति ने 16 नवम्बर, 1992, 7, 8, 19, 21 जनवरी, 1993, 10, 24 फरवरी, 1993, 17, 19 मार्च, 1993, 23 अप्रैल, 1993, 10 मई, 1993 और 4 और 18 जून, 1993 को हुई अपनी बैठकों में 12 गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों और व्यक्तियों का मौखिक साक्ष्य लिया। समिति के समक्ष साक्ष्य देने वाले व्यक्तियों की सूची (**परिशिष्ट-चार**) में संलग्न है।

11. समिति का प्रतिवेदन सभा के शीतकालीन सत्र, 1992 के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक प्रस्तुत किया जाना था। तथापि, समिति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए दो बार समयावधि बढ़ाने की पहली बार 25 नवम्बर, 1992 को बजट सत्र, 1993 तक के लिए और दूसरी बार 21 अप्रैल, 1993 को मानसून सत्र, 1993 तक के लिए अनुमति प्रदान की गई।

12. समिति ने दिनांक 10, 12, 13 अगस्त, 1993 को हुई अपनी बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के आधार पर विधेयक के प्रावधानों पर खंड-वार चर्चा की।

13. दिनांक 19 अगस्त, 1993 को हुई अपनी बैठक में समिति ने निर्णय लिया कि (एक) समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य को संसद के सदनों में सभापटल पर रखा जाए (दो) प्रतिवेदन को प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात् समिति द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञापनों की प्रत्येक की दो प्रतियां संसद सदस्यों के संदर्भ हेतु संसद ग्रंथालय में रखी जाएं।

14. समिति ने दिनांक 19 अगस्त, 1993 को हुई अपनी बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

15. विधेयक में प्रस्तावित मुख्य परिवर्तनों के संबंध में समिति की टिप्पणियों पर अनुवर्ती पैराओं में प्रकाश डाला गया है।

---

*भारत के दिनांक 13 अक्तूबर, 1993 के असाधारण राजपत्र, भाग-दो, खंड-दो में प्रकाशित।

16. **खण्ड 2** — खण्ड 2 (भे) (थथ) के लिए प्रस्तावित संशोधन के परिप्रेक्ष्य में इस खण्ड पर विचार करते हुए समिति ने यह महसूस किया कि "हस्तकौशली" शब्द को अन्तःस्थापित किये जाने से कर्ता की परिभाषा का विस्तार होगा। तदनुसार खण्ड 2 में संशोधन किया गया।

17. **खण्ड 6** — समिति यह महसूस करती है कि ऐसे कार्य, जो राष्ट्रीय धरोहर का अंग बन सकते हों, के प्रतिलिप्यधिकार की समयावधि बढ़ाई जानी चाहिये। अतः समिति ने निर्णय लिया कि एक नई धारा 2(क) जोड़ी जाये जो निम्नवत होः—

"(2क) इस अधिनियम में अंतर्विट किसी भी अन्य बात के होते हुए इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये किसी भी नियम के अंतर्गत प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड को अध्याय पांच के अधीन किसी साहित्यिक, नाटकीय, संगीतमय अथवा कलापूर्ण कार्य के प्रतिलिप्यधिकार समाप्त करने से पहले यह निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है कि क्या ऐसा कार्य पर्याप्त महत्व रखता है जिससे वह राष्ट्रीय धरोहर का अंग बन सके और जहां प्रतिलिप्यधिकार यह निर्धारित करता है कि उस कार्य की राष्ट्रीय धरोहर का अंग बनने की पर्याप्त क्षमता है, इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये किसी भी नियम के अध्यधीन, ऐसे कार्य के प्रतिलिप्यधिकार की समयावधि को उसकी समाप्ति की तिथि से 20 वर्ष से अनधिक और आगे बढ़ाने का आदेश देगा और इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उक्त कार्य में प्रतिलिप्यधिकार की समयावधि तदनुसार बढ़ा दी जायेगी।"

तदनुसार खण्ड 6 में संशोधन किया गया।

18. **खण्ड 8** — प्रस्तावित धारा 19(2) में संशोधन पर विचार करते समय समिति ने महसूस किया कि यह आवश्यक है कि सृजनात्मक कार्यों को अधिक सुरक्षा प्रदान की जाये। अतः समिति का यह मत था कि 19(3) के रूप में संख्यांकित एक नई उप-धारा जो निम्नवत है, जोड़ी जाये और तदनुसार आगे उप-धारा को पुनः संख्यांकित किया जायेः

"(3) किसी कार्य में प्रतिलिप्यधिकार का समनुदेशन इसके चलते रहने के दौरान लेखक के अथवा उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को देय रायल्टी की राशि भी विनिर्दिष्ट करेगा और इस समनुदेशन में पक्षकारों द्वारा पारस्परिक रूप से स्वीकृत शर्तों पर संशोधन किया जा सकेगा, समयावधि को बढ़ाया अथवा समाप्त किया जा सकेगा।"

19. खंड 8(3) के प्रस्तावित संशोधन पर विचार करते हुए समिति की यह राय थी कि किसी समनुदेशन में समनुदेशक के हितों की सुरक्षा करना आवश्यक है। अतः समिति ने निर्णय लिया कि प्रस्तावित उप-धारा 19(3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धाराएं जोड़ी जाएंः—

"19(4) साहित्यिक, नाटकीय अथवा कलापूर्ण कार्य अथवा चलचित्रदर्शी फिल्म अथवा ध्वनि रिकार्डिंग के मामले में, यदि उपधारा (1) के अंतर्गत दिए गए अधिकार विनिर्दिष्ट न हों, तो यह माना जायेगा कि समनुदेशक ने अपने कार्य में उन अन्य सभी अधिकारों, जो उसे दिए गए हैं, को अपने पास सुरक्षित रखा है।

19(5) संगीतमय कार्यों के मामले में, यदि उपधारा (1) में दिए गए अधिकार विनिर्दिष्ट न हों, तो यह माना जायेगा कि संगीतमय कार्यों के रचयिता ने समनुदेशिती को केवल समग्र रूप से एक चलचित्रदर्शी फिल्म अथवा ध्वनि रिकार्डिंग के रूप में तैयार किए जाने वाले अपने कार्य के संबंध में एक चलचित्र फिल्म बनाने अथवा ध्वनि रिकार्डिंग के लिए ही अधिकार दिया है और ऐसे संगीतमय कार्यों से संबंधित अन्य सभी अधिकार वह अपने पास रखता है।"

"19(6) इस धारा की किसी उप धारा के अन्तर्गत समनुदेशिती को दिए गए अधिकारों का समनुदेशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि में यदि उसके द्वारा उपयोग नहीं किया जाता, तो यह माना जाएगा कि उक्त अवधि समाप्त होने के बाद ऐसे सभी अधिकारों का समनुदेशन व्यपगत हो गया है।"

खंड 8 को तदनुसार संशोधित किया गया।

20. **खंड 11**—समिति प्रस्तावित खंड 33(1) की पहली पंक्ति में आगे वाले शब्द "कोई व्यक्ति" की विभिन्न व्याख्याओं से होने वाले संभ्रम या द्वयर्थकता को दूर करने की आवश्यकता समझती है। अतः समिति का मत है कि प्रस्तावित धारा के पहले परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित दूसरा परन्तुक जोड़ा जाएः—

"परन्तु एक प्रतिलिप्यधिकार धारक को व्यक्तिगत क्षमता में अपनी कृतियों के संबंध में अनुज्ञप्तियां प्रदान करने का अधिकार बना रहेगा।"

21. समिति महसूस करती है कि मौजूदा प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटियों को अधिनियम के संशोधन के पश्चात् जो नई प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटियां बनाई जाएं उनके समक्ष लाया जाना चाहिए। अतः समिति ने निर्णय किया है कि प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटियों को संशोधन

अधिनियम के लागू होने क़ी तारीख से एक वर्ष की संक्रमण अवधि के अंदर पंजीकृत कराया जाना चाहिए। अतः समिति ने तदनुसार सुझाव दिया कि विधेयक के पृष्ठ 8 पर पंक्ति 22 के **पश्चात्** लेकिन "पूर्ण विराम" से पूर्व निम्नलिखित शब्दों को जोड़ा जाए:—

"और प्रत्येक ऐसी सोसाइटी प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) अधिनियम, 1993 के लागू होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अंदर अपने को पंजीकृत कराएगी।"

खंड 11 को तदनुसार संशोधित किया गया।

22. **खंड 19** — समिति महसूस करती है कि प्रस्तावित खंड 53क को जिस अध्याय में शामिल किया जाना है उसे निर्दिष्ट करना आवश्यक है। अतः समिति ने निर्णय लिया है कि विधेयक के पृ॰ 18 की पंक्ति 37 में "धारा 53" के बाद "अध्याय ग्यारह" शब्द जोड़े जाएं।

23. **खंड 22** — समिति ने सिफारिश की है कि विधेयक के पृ॰ 16 की पंक्ति 36 में "परन्तुक" से पूर्व "प्रथम" शब्द जोड़ा जाए।

24. **खंड 23** — इस खंड के संशोधन पर विचार करते हुए समिति ने यह महसूस किया है कि प्रतिलिप्यधिकार उपकर अधिनियम, 1992 के अंतर्गत भुगतान न करने के अपराध के लिए धारा 63 के साथ-साथ 63क भी लागू होती। 63क के प्रावधान को यह सुनिश्चित करने के लिए जोड़ा गया कि प्रतिलिप्यधिकार उपकर का भुगतान न करने पर दूसरी बार या अनुवर्ती दोषसिद्धि पर बढ़ी हुई शास्ति लगाई जा सके। अतः समिति ने सुझाव दिया कि पृष्ठ 16 पंक्ति 36 में "धारा 63" के बाद और "63क" शब्द जोड़े जाएं।

खंड 23 को तदनुसार संशोधित किया गया।

25. **खंड 24 (एक) (गख)** — समिति ने सुझाव दिया कि पंक्ति 20 में "जाएगी" शब्द को "जा सकती है" से प्रतिस्थापित किया जाए।

26. **खंड 24 (एक)** — संयुक्त समिति सिफारिश करती है कि विधेयक को यथासंशोधित रूप में पारित किया जाए।

नई दिल्ली;
19 अगस्त, 1993

श्री सैयद सिब्ते रज़ी,
सभापति,
प्रतिलिप्यधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1992
संबंधी संयुक्त समिति।

[दि कापीराइट (सेकण्ड अमेंडमेंट) बिल, 1992 का हिन्दी अनुवाद]

प्रतिलिप्यधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1992

(संयुक्त समिति की रिपोर्ट के अनुसार)

(अधोरेखांकित और पार्श्वे रेखांकित शब्द उन संशोधनों के द्योतक हैं जिनका सुझाव समिति ने दिया है और तारांकित शब्द लोपों के द्योतक हैं)

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के चवालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) अधिनियम, 1993 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करेः

परन्तु इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकती हैं और किसी ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।

धारा 2 का संशोधन।

1957 का 14

2. प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 2 के—

(i) खंड (क) के—

(क) उपखंड (iii) के अन्त में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा;

(ख) उपखंड (iv) के अन्त में "और" शब्द अन्तःस्थापित किया जाएगा;

(ग) इस प्रकार संशोधित उपखंड (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(v) किसी कृति के संबंध में, उस कृति का उपयोग, जिसमें उसकी पुनर्व्यवस्था या परिवर्तन अन्तर्वलित है;";

(ii) खंड (ख) में और मूल अधिनियम के सभी अन्य उपबंधों में, "वास्तु कलाकृति" शब्दों के स्थान पर जहां-जहां वे आये हैं "वास्तु कृति" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) खंड (घ) के उपखंड (v) और उपखंड (vi) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"(v) किसी चलचित्र फिल्म या ध्वन्यंकन के संबंध में, निर्माता; और

(vi) किसी साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक या कलात्मक कृति के संबंध में जो कम्प्यूटर-जनित है, वह व्यक्ति जो उस कृति का सृजन कराता है;";

(iv) खंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(च) "चलचित्र फिल्म" से किसी ऐसी प्रक्रिया से उत्पादित किसी माध्यम पर ऐसे किसी दृश्यांकन की कोई कृति अभिप्रेत है जिससे किसी साधन से कोई गतिशील चित्र उत्पन्न किया जा सकता है और इसके अन्तर्गत ऐसे दृश्यांकन के साथ कोई ध्वन्यंकन भी है तथा "चलचित्र" का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अन्तर्गत वीडियो फिल्म सहित चलचित्रिकी के सदृश किसी प्रक्रिया से उत्पादित कोई कृति भी है।

(v) खंड (चच) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

'(चच) "सार्वजनिक रूप से संसूचित करना" से अभिप्रेत है किसी कृति को ऐसी कृति की प्रतियां निकालने से भिन्न रूप में संप्रदर्शित या प्रसारित करने के किसी माध्यम से अथवा प्रत्यक्ष रूप से जनसाधारण द्वारा देखे जाने या सुने जाने या अन्यथा आनन्द लेने के लिए इस बात को ध्यान में लाए बिना उपलब्ध कराना अभिप्रेत है चाहे जनसाधारण इस प्रकार उपलब्ध कराई गई कृति को वास्तव में देखता है, सुनता है या अन्यथा उसका आनन्द लेता है अथवा नहीं।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए सेटलाइट या केबल या साथ-साथ संप्रेषण के अन्य साधन से एक से अधिक परिवार या निवास-स्थान, जिसके अन्तर्गत किसी होटल या होस्टल का आवासीय कमरा भी है को संसूचना देने को सार्वजनिक रूप से संसूचित करना समझा जाएगा';

(चचक) किसी संगीतात्मक कृति के संबंध में, "संगीतकार" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो संगीत को कंपोज करता है, चाहे वह उसे ग्राफ स्वर रचना के किसी स्वरूप में अंकित करता है या नहीं;

(चचख) "कंप्यूटर" के अंतर्गत कोई इलैक्ट्रानिक या तत्समान युक्ति है जिसमें जानकारी के प्रसंस्करण की क्षमता हो;

(चचग) "कंप्यूटर प्रोग्राम" से अभिप्रेत है किसी मशीन में शब्दों, कूट-भाषा, स्कीम या किसी अन्य रूप में अभिव्यक्त, पठनीय माध्यम के अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर से कोई विशिष्ट कार्य करा सके या कोई विशिष्ट परिणाम प्राप्त कर सके;

(चचघ) "प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी" से धारा 33 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अभिप्रेत है;';

(vi) खंड (ड) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्—

'(ड) "अतिलंघनकारी प्रति" से अभिप्रेत है,—

(i) किसी साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक या कलात्मक कृति के संबंध में उसका पुनरुत्पादन जो चलचित्र फिल्म से भिन्न रूप में हो;

(ii) चलचित्र फिल्म के संबंध में, किसी भी साधन से किसी भी माध्यम पर बनाई गई उस फिल्म की प्रति;

(iii) ध्वन्यंकन के संबंध में, किसी भी साधन से उसी ध्वन्यंकन को सन्निविष्ट करने वाला कोई अन्य अंकन;

(iv) किसी ऐसे कार्यक्रम या प्रस्तुतीकरण के संबंध में जिसमें इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कोई प्रसारण पुनरुत्पादन अधिकार या प्रस्तुतकर्ता अधिकार अस्तित्व में है, ऐसे कार्यक्रम या प्रस्तुतीकरण का ध्वन्यंकन अथवा चलचित्र फिल्म;

यदि ऐसे पुनरुत्पादन, प्रतिलिपि या ध्वन्यंकन इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में तैयार किया जाता है या आयात किया जाता है;';

(vii) खंड (ण) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(ण) "साहित्यिक कृति" के अंतर्गत कंप्यूटर प्रोग्राम, सारणियां, और संकलन हैं जिनके अंतर्गत कंप्यूटर डाटा बेस भी हैं;';

(viii) खंड (त) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(त) "संगीतात्मक कृति" से संगीत से युक्त कोई कृति अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत ऐसी कृति की ग्राफ अंकित स्वर रचना भी है किन्तु उसके अन्तर्गत ऐसे कोई शब्द या ऐसा कोई कार्य नहीं आता है जो संगीत के साथ गाने, बोलने या प्रस्तुत करने के लिए आशयित है;';

(ix) खंड (थ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(थ) "प्रस्तुतीकरण" से प्रस्तुतकर्ता के अधिकार के संबंध में कोई दृश्य या श्रव्य प्रस्तुति अभिप्रेत है जो एक या अधिक प्रस्तुतकर्ताओं द्वारा सजीव प्रस्तुत हो;';

(x) खंड (थ) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(यथ) "प्रस्तुतकर्ता" के अंतर्गत है कोई अभिनेता, गायक, संगीतज्ञ, नर्तक, कलाबाज, बाजीगर, इन्द्रजालिक, सपेरा, व्याख्यान देने वाला व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति जो कोई प्रस्तुतीकरण करता है;';

(xi) खंड (द) का लोप किया जाएगा;

(xii) खंड (न) में तथा मूल अधिनियम के सभी अन्य उपबंधों में "रिकार्ड" शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आया है, "ध्वन्यंकन" शब्द रखा जाएगा;

(xiii) खंड (प) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(पप) चलचित्र फिल्म या ध्वन्यंकन के संबंध में, "निर्माता" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो कृति तैयार करने का सूत्रपात करता है और उसका उत्तरदायित्व लेता है;';

(xiv) खंड (ब) का लोप किया जाएगा;

(xv) खंड (भ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

'(भ) "रेप्रोग्राफी" से किसी कृति की फोटो प्रतिलिप्यांकन द्वारा या तत्समान साधनों से प्रतियां तैयार करना अभिप्रेत है;

(भभ) "ध्वन्यंकन" से अभिप्रेत है ध्वनियों को रिकार्ड करना जिससे ऐसी ध्वनियों का, इस बात पर ध्यान दिए बिना पुनरुत्पादन किया जा सके कि ऐसी रिकार्डिंग किस माध्यम पर की गई है या वह पद्धति क्या है जिससे ध्वनियां उत्पन्न की जाती है।'।

धारा 3 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

प्रकाशन का अर्थ।

3. इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "प्रकाशन" से जनसाधारण को कृति प्रतियां देकर या जनसाधारण को कृति को संसूचना देकर कोई कृति उपलब्ध कराना अभिप्रेत है।'।

धारा 6 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

4. मूल अधिनियम की धारा 6 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

कतिपय विवादों का प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड द्वारा विनिश्चय किया जाना।

"6. यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है,—

(क) कि क्या कोई कृति प्रकाशित की गई है या वह तारीख कौन सी है जिसको कोई कृति अध्याय 5 के प्रयोजनों के लिए प्रकाशित की गई थी, या

(ख) क्या किसी कृतिक के प्रतिलिप्यधिकार की अवधि किसी अन्य देश में उस अवधि से कम है जो इस अधिनियम के अधीन उस कृति के संबंध में उपबन्धित हैं,

तो वह प्रश्न धारा 11 के अधीन गठित प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड को निर्देशित किया जाएगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगाः

परंतु यदि प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड की राय में, धारा 3 में निर्दिष्ट प्रतियों का दिया जाना या जनसाधारण को संसूचित किया जाना महत्वहीन प्रकृति का है तो उसे उस धारा के प्रयोजनों के लिए प्रकाशन नहीं समझा जाएगा।"।

धारा 11 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 11 में,

(क) उपधारा (1) में "आठ" शब्द के स्थान पर "चौदह" शब्द रखा जाएगा;

(ख) उपधारा (3) में "उच्चतम न्यायालय या" शब्दों का लोप किया जाएगा।

धारा 12 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 12 में,

(क) उपधारा (2) के पश्चात्

(i) निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्.—

"परन्तु यदि अध्यक्ष की यह राय है कि किसी महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई वृहतर न्यायपीठ द्वारा की जानी अपेक्षित है तो वह उस मामले को पांच सदस्यों से मिलकर बनी विशेष न्यायपीठ को विनिर्दिष्ट कर सकेगा।"

(ii) निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2क) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड को ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए जाएं, अध्याय 5 के अधीन किसी साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक या कलात्मक कृति में प्रतिलिप्यधिकार की अवधि के अवसान के पूर्व यह अवधारित करने की शक्ति होगी कि क्या ऐसी कृति का एक दीर्घकालिक मूल्य है जो उसे राष्ट्रीय विरासत का भाग बनाता है और जहां प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड यह अवधारित करता है कि कृति का दीर्घकालिक मूल्य है जो उसे राष्ट्रीय विरासत का भाग बनाता है तो वह ऐसे किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए जो इस अधिनियम के अधीन बनाए जाएं एक आदेश पारित करेगा जिसमें ऐसी कृति के प्रतिलिप्यधिकार की अवधि को प्रतिलिप्यधिकार की अवधि के अवसान की तारीख से बीस वर्ष से अनधिक और अवधि के लिए विस्तारित किया जाएगा और उक्त कृति में प्रतिलिप्यधिकार की अवधि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तदनुसार विस्तृत हो जाएगी।";

(ख) उपधारा (3) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु जहां ऐसा बहुमत न हो वहां अध्यक्ष की राय अभिभावी होगी।";

(ग) उपधारा (4) में, "प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड" शब्दों के स्थान पर "अध्यक्ष" शब्द रखा जाएगा।

धारा 14 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

7. मूल अधिनियम की धारा 14 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:

प्रतिलिप्यधिकार का अर्थ।

'14. इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "प्रतिलिप्यधिकार" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी कृति या उसके किसी सारवान भाग के संबंध में निम्नलिखित कार्यों में से किसी का करना या उसका किया जाना प्राधिकृत करना, अर्थातः—

(क) किसी साहित्यिक, नाट्य या संगीतात्मक कृति जो कम्पयूटर प्रोग्राम न हो, की दशा में;

(i) कृति को किसी सारवान रूप में पुनरुत्पादित करना, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक साधन द्वारा किसी भी माध्यम में उसका भंडारण भी है;

(ii) कृति की ऐसी प्रतियां, सार्वजनिक रूप से जारी करना, जो पहले से परिचालन में न हों;

(iii) कृति को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करना या उसे सार्वजनिक रूप से संसूचित करना;

(iv) कृति के संबंध में कोई चलचित्र फिल्म बनाना या ध्वन्यंकन करना;

(v) कृति का कोई भापान्तर करना;

(vi) कृति का कोई अनुकूलन करना;

(vii) कृति के भापान्तर या अनुकूलन के संबंध में ऐसे कार्यों में से कोई करना जो कृति के संबंध में उपखंड (i) से उपखंड (vi) तक में विनिर्दिष्ट हैं;

(ख) किसी कम्प्यूटर प्रोग्राम की दशा में,—

(i) खंड (क) में विनिर्दिष्ट कार्यों में से कोई करना;

(ii) कम्प्यूटर प्रोग्राम की किसी प्रति का विक्रय करना या उसे भाटक पर देना, अथवा विक्रय या भाटक के लिए प्रस्तापित करना, इस बात को ध्यान में लाए बिना कि ऐसी प्रति का पूर्वतर अवसरों पर विक्रय किया गया है या उसे भाटक पर दिया गया है या नहीं;

(ग) किसी कलात्मक कृति की दशा में,—

(i) कृति को किसी सारवान् रूप में पुनरुत्पादित करना, जिसके अंतर्गत दो विमीय कृति की तीन विभाओं में या तीन विमीय कृति की दो विभाओं में चित्रण भी है;

(ii) कृति को सार्वजनिक रूप से संसूचित करना;

(iii) कृति की ऐसी प्रतियां, सार्वजनिक रूप से जारी करना, जो पहले से परिचालन में न हों;

(iv) कृति को किसी चलचित्र फिल्म में सम्मिलित करना;

(v) कृति का कोई अनुकूलन करना;

(vi) कृति के अनुकूलन के संबंध में ऐसे कार्यों में से कोई करना जो कृति के संबंध में उपखंड (i) से उपखंड (iv) तक में विनिर्दिष्ट हैं;

(घ) किसी चलचित्र फिल्म की दशा में,—

(i) फिल्म की प्रति बनाना, जिसके अन्तर्गत फिल्म के भागरूप किसी बिम्ब का फोटो भी है;

(ii) फिल्म की किसी प्रति का विक्रय करना या उसे भाटक पर देना, अथवा विक्रय या भाटक के लिए प्रस्थापित करना, इस बात को ध्यान में लाए बिना कि ऐसी प्रति का पूर्वतर अवसरों पर विक्रय किया गया है या उसे भाटक पर दिया गया है या नहीं;

(iii) फिल्म को सार्वजनिक रूप से संसूचित करना;

(ङ) किसी ध्वन्यंकन की दशा में,—

(i) उसी ध्वन्यंकन को सन्निविष्ट करने वाला कोई अन्य ध्वन्यंकन करना;

(ii) ध्वन्यंकन की किसी प्रति का विक्रय करना या उसे भाटक पर देना, अथवा विक्रय या भाटक के लिए प्रस्थापित करना, इस बात को ध्यान में लाए बिना कि ऐसी प्रति का पूर्वतर अवसरों पर विक्रय किया गया है या उसे भाटक पर दिया गया है या नहीं;

(iii) ध्वन्यंकन को सार्वजनिक रूप से संसूचित करना।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसी प्रति के बारे में यह समझा जाएगा कि वह पहले से ही परिचालन में है जिसका एक बार विक्रय किया गया है।'।

धारा 19 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 19 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"(2) किसी कृति में प्रतिलिप्यधिकार का समनुदेशन ऐसी कृतिकी पहचान करेगा, और समनुदेशित अधिकारों और ऐसे समनुदेशन की कालावधि तथा राज्य क्षेतीय विस्तार को विनिर्दिष्ट करेगा।

(3) किसी कृति में प्रतिलिप्यधिकार के समनुदेशन में, समनुदेशन के चालू रहने के दौरान रचयिता या उसके विधिक वारिसों को संदेय स्वामित्व की रकम भी विनिर्दिष्ट की जाएगी और समनुदेशन पक्षकारों द्वारा परस्पर करार पाई गई अवधि तक पुनरीक्षित विस्तारित या पर्यवसित किए जाने के अधीन होगा।

(4) किसी साहित्यिक, नाट्य या कलात्मक कृति के मामले में या किसी चलचित्र फिल्म या ध्वन्यंकन के मामले में जहां उपधारा (1) के अधीन समनुदिष्ट अधिकारों को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है वहां समनुदेशक के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने ऐसे सभी अन्य अधिकारों को जिन्हें विनिर्दिष्ट रूप में समनुदिष्ट नहीं किया गया है अपने लिए आरक्षित कर रखा हैं।

(5) संगीतात्मक कृतियों के मामले में जहां उपधारा (1) के अधीन समनुदिष्ट अधिकारों को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है वहां समनुदेशक के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने समनुदेशिती को पूर्णतः चलचित्र फिल्म बनाने या ध्वन्यंकन के लिए अपनी कृति के बारे में चलचित्र फिल्म बनाने या ध्वन्यंकन के अधिकार का समनुदेशन किया है और ऐसी संगीतात्मक कृतियों के संबंध में सभी अन्य अधिकारों के बारे में यह समझा जाएगा कि उन्हें स्वयं अपने लिए आरक्षित कर रखा है।

(6) जहां समनुदेशिती समुनेदशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर इस धारा की किसी अन्य उपधाराओं के अधीन उसे समनुदेशित अधिकारों का प्रयोग नहीं करता है वहां ऐसे अधिकारों की बाबत समनुदेशन के बारे में यह समझा जाएगा कि वे उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् पर्यवसित हो गए हैं।

(7) यदि समनुदेशन की अवधि बताई नहीं जाती है, तो उसे समनुदेशन की तारीख से पांच वर्ष समझा जाएगा।

(8) यदि अधिकारों के समनुदेशन का राज्यक्षेत्रीय विस्तार विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है, तो यह उपधारणा की जाएगी कि उसका विस्तार भारत के भीतर है।

(9) उपधारा (2), या उपधारा (3) या उपधारा (4) या उपधारा (5) या उपधारा (6) या उपधारा (7) या उपधारा (8) की कोई बात प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) अधिनियम, 1993 के प्रवृत्त होने के पूर्व किए गए समनुदेशों को लागू नहीं होगी।

धारा 19क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

9. मूल अधिनियम की धारा 19क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

प्रतिलिप्यिधिकार के समनुदेशन की बाबत विवाद।

" 19क. (1) यदि कोई समनुदेशिती उसे समनुदेशित अधिकारों का पर्याप्त प्रयोग करने में असफल हो जाता है, और ऐसी असफलता समनुदेशक के किसी कार्य या लोप के कारण नहीं मानी जा सकती है, तो प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड, समनुदेशक से परिवाद प्राप्त होने पर और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, ऐसे समनुदेशन का प्रतिसंहरण कर सकेगा।

(2) यदि किसी प्रतिलिप्यधिकार के समनुदेशन के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड, व्यथित पक्षकार से परिवाद प्राप्त होने पर और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे, जिसके अंतर्गत संदेय किसी स्वामिस्व की वसूली का आदेश भी है:

परन्तु प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड उस उपधारा के अधीन समनुदेशन का प्रतिसंहरण करने वाला कोई आदेश तब तक पारित नहीं करेगा जब तक उसका यह समाधान न हो जाए कि समनुदेशन के निबंधन, उस दशा में यदि समनुदेशक रचयिता भी है, समनदेशक के प्रति कठोर है:

परन्तु यह और भी कि इस उपधारा के अधीन समनुदेशन के प्रतिसंहरण का कोई आदेश ऐसे समनुदेशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर नहीं किया जाएगा।"।

नई धारा 30क का अंतःस्थापन।

10. मूल अधिनियम की धारा 30 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

धारा 19 और धारा 19क का लागू होना।

"30क. धारा 19 और धारा 19क के उपबन्ध, किन्हीं आवश्यक अनुकूलनों और उपान्तरणों के साथ, धारा 30 के अधीन अनुज्ञप्ति के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी कृति में प्रतिलिप्यधिकार के समनुदेशन के संबंध में लागू होते हैं।"।

अध्याय 7 के स्थान पर नए अध्याय का प्रतिस्थापन।

11. मूल अधिनियम के अध्याय 7 के स्थान पर निम्नलिखित अध्याय रखा जाएगा, अर्थात्:—

अध्याय 7

प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटियां

प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटियों द्वारा प्रभारों और स्वामित्वों के विवरण दाखिल करना।

33. (1) कोई व्यक्ति या व्यक्ति-संगम प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) अधिनियम, 1993 के प्रवृत्त होने के पश्चात्, किसी ऐसी कृति का बाबत जिसमें प्रतिलिप्यधिकार विद्यमान है, या इस अधिनियम द्वारा प्रवृत्त किन्हीं अन्य अधिकारों की बाबत अनुज्ञप्ति जारी करने या अनुदत्त करने का कोई कारबार, उपधारा (3) के अधीन अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण के अधीन या उसके अनुसार ही प्रारम्भ करेगा या चालू रखेगा, अन्यथा नहीं:

परंतु प्रतिलिप्यधिकार का कोई स्वामी अपनी व्यष्टिक हैसियत में अपनी स्वयं की कृतियों के बारे में अनुज्ञप्तियों का अनुदान करने का अधिकार रखे रहेगा:

परंतु यह और कि प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) अधिनियम, 1993 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व की तारीख को धारा 33 के उपबंधों के अनुसार कार्य करने वाली प्रस्तुतिकरण अधिकार सोसाइटी के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी है और ऐसी प्रत्येक सोसाइटी प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) अधिनियम, 1993 के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर अपने को रजिस्ट्रीकृत कराएगी।

(2) कोई व्यक्ति-संगम, जो उन शर्तों की पूर्ति करता है, जो विहित की जाएं, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कारबार को करने की अनुज्ञा के लिए प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकेगा जो उस आवेदन को केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(3) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन रचयिताओं और अधिकारों के अन्य स्वामियों के हितों का, जनसाधारण के हित और सुविधा का, और विशिष्टतया ऐसे व्यक्तियों के समूहों का, जिनके बारे में यह अत्यधिक संभाव्य है कि वे सुसंगत अधिकारों के बारे में अनुज्ञप्तियां चाहेंगे और आवेदक की योग्यता और वृत्तिक सक्षमता का ध्यान रखते हुए ऐसे व्यक्ति-संगमों को, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं, प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के रूप में रजिस्टर कर सकेगी:

परन्तु केन्द्रीय सरकार एक ही वर्ग की कृतियों की बाबत कारबार करने के लिए साधारणतया एक से अधिक प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत नहीं करेगी।

(4) केन्द्रीय सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि किसी प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी का प्रबन्ध ऐसी रीति में किया जा रहा है जो संबंधित अधिकारों के स्वामियों के हितों के प्रतिकूल है तो वह ऐसी जांच के पश्चात् जो विहित की जाए, ऐसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगी।

(5) यदि केन्द्रीय सरकार की, यह राय है कि संबंधित अधिकारों के स्वामियों के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो वह, आदेश द्वारा, ऐसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण को, जांच के लम्बित रहने के दौरान, एक वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए, जो उपधारा (4) के अधीन ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, निलम्बित कर सकेगी और वह सरकार प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए एक प्रशासक की नियुक्ति करेगी।

प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी द्वारा स्वामी के अधिकारों का प्रशासन ।

34. (1) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं,—

(क) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी अनुज्ञप्ति जारी करके और अनुज्ञप्ति फीस संगृहीत करके या दोनो प्रकार से किसी कृति में किसी प्राधिकार को प्रशासित करने के लिए अनन्य प्राधिकार किसी अधिकार स्वामी से स्वीकार कर सकेगी; और

(ख) किन्हीं अधिकारों के स्वामी को ऐसा प्राधिकार किसी संविदा के अधीन प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वापस लेने का अधिकार होगा।

(2) कोई प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी इस बात के लिए सक्षम होगी कि वह किसी ऐसी विदेशी सोसाइटी या संगठन के साथ करार करे जो इस अधिनियम के अधीन अधिकारों के अनुरूप अधिकारों का प्रशासन कर रहा है, ऐसी विदेशी सोसाइटी या संगठन को भारत में उक्त प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी द्वारा प्रशासित अधिकारों का प्रशासन किसी विदेश में सौंपे, या ऐसे विदेशी सोसाइटी या संगठन द्वारा किसी विदेश में प्रशासित अधिकारों का भारत में प्रशासन करने के लिए करार करे:

परन्तु कोई ऐसी सोसाइटी या संगठन भारतीय और अन्य कृतियों में अधिकारों के बीच अनुज्ञपित के निर्बनधनों या संगृहीत फीस के वितरण के बारे में कोई भेदभाव अनुज्ञात नहीं करेगा।

(3) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं, कोई प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी,—

(i) इस अधिनियम के अधीन किहीं अधिकारों की बाबत धारा 30 के अधीन अनुज्ञप्ति दे सकेगी;

(ii) ऐसी अनुज्ञप्तियों के अनुसरण में फीस संगृहीत कर सकेगी;

(iii) अपने स्वयं के लिए कटौती करने के व्यय के पश्चात्, अधिकार क स्वामियों के बीच ऐसी फीस का वितरण कर सकेगी;

(iv) धारा 35 के उपबंधों से संगत कोई अन्य कृत्य कर सकेगी।

प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी द्वारा पारिश्रमिक का संदाय।

34क. (1) यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि कोई प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी किसी कृति के वर्ग के लिए साधारणतः ऐसी कृति में अधिकारों के स्वामियों के अधिकारों को संपूर्ण भारत में प्रशासित कर रही है तो वह उस सोसाइटी को इस धारा के प्रयोजनों के लिए नियुक्त करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी, अधिकारों के स्वामियों को उन आगमों में से पारिश्रमिक का संदाय करेगी जो उसे प्रतिलिप्यधिकार उपकर अधिनियम, 1993 की धारा 5 के अधीन संदत्त किए जाएंगे।

(3) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी, ऐसी नियमों के अधीन जो इस निमित्त बनाए जाएं, परिचालन में उस कृति की प्रतियों की संख्या का ध्यान रखते हुए, व्यष्टिक प्रतिलिप्यधिकार स्वामियों को संदेय पारिश्रमिक की मात्रा अवधारित करने के लिए एक स्कीम विरचित करेगी·

परन्तु ऐसी स्कीम में ऐसे अधिकारों के स्वामियों को संदाय निर्बंधित करेगी जिनकी कृतियों का परिचालन स्तर ऐसा हो गया है जिसे प्रतिलिप्यधिकार सोसाईटी ठचित समझती है।

प्रतिलिप्यधिकार सोसाईटी पर अधिकारों के स्वामी द्वारा नियंत्रण।

35. (1) प्रत्येक प्रतिलिप्यधिकार सोसाईटी, इस अधिनियम के अधीन उन अधिकारों के स्वामियों के सामूहिक नियंत्रण के अधीन होगी, (जिनके अधिकार वह प्रशासित करती है, जो इस अधिनियम के अधीन धारा 34 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी विदेशी सोसाईटी या संगठन द्वारा प्रशासित अधिकारों के स्वामी नहीं हैं; और ऐसी रीति से, जो विहित क़ी जाए,—

(क) फीस के संग्रहण और वितरण की अपनी प्रक्रिया के लिए ऐसे अधिकारों के स्वामियों का अनुमोदन प्राप्त करेगी;

(ख) फीस के रूप में संगृहीत किन्हीं रकमों का किसी प्रयोजन के लिए जो अधिकारों के स्वामी को वितरण करने से भिन्न प्रयोजन है, उपयोजन करने के बारे में उनका अनुमोदन प्राप्त करेगी: और

(ग) ऐसे स्वामियों को उनके अधिकारों के प्रशासन के संबंध में अपने सभी क्रियाकलापों से संबंधित नियमित, पूर्ण और विस्तृत जानकारी देगी।

(2) अधिकारों के स्वामियों में वितरित सभी फीसें, जहां तक हो सके, उनकी कृतियों के वास्तविक उपयोग के अनुपात में वितरित की जाएंगी।

विवरणियों और रिपोर्टों का प्रस्तुत किया जाना।

36. (1) प्रत्येक प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार को ऐसी विवरणियां प्रस्तुत करेगी जो विहित की जाएं।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारों, स्वयं का यह समाधान करने के प्रयोजन के लिए कि इसके द्वारा प्रशासित अधिकारों के संवंध में सोसाइटी द्वारा संगृहीत फीसों का, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उपयोग या वितरण किया जा रहा है, किसी प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी से कोई रिपोर्ट मांग सकेगा और कोई अभिलेख भी मांग सकेगा।

36क. इस अध्याय की कोई बात किसी कृति में प्रस्तुतिकरण अधिकार सोसाइटी के संबंध में किन्हीं अधिकारों या दायित्वों को, जो प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) अधिनियम, 1993 के प्रारम्भ से पूर्व दिन को या उसके पहले प्रोद्भूत या उपगत हुए हों, प्रभावित नहीं करेगी।"। प्रस्तुतिकरण अधिकार सोसाइटियों के अधिकार और दायित्व।

12. मूल अधिनियम के अध्याय 8 में, "प्रसारण प्राधिकारियों के अधिकार" शीर्षक के स्थान पर "प्रसारण संगठनों और प्रस्तुतीकर्ताओं के अधिकार" शीर्षक रखा जाएगा। अध्याय 8 का संशोधन।

13. मूल अधिनियम के धारा 37 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 37 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

"37. (1) प्रत्येक प्रसारण संगठन को विशेष अधिकार होगा जो उसके प्रसारणों की बाबत 'प्रसारण पुनरुत्पादन अधिकार' के नाम से ज्ञात होगा। प्रसारण पुनरुत्पादन अधिकार।

(2) प्रसारण पुनरुत्पादन अधिकार, उस वर्ष के, जिसमें प्रसारण किया जाता है, ठीक आगामी कलेंडर वर्ष के आरम्भ से पच्चीस वर्ष तक अस्तित्व में रहेगा।

(3) किसी प्रसारण के संबंध में प्रसारण पुनरुत्पादन अधिकार के जारी रहने के दौरान किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो अधिकार के स्वामी को अनुज्ञप्ति के बिना प्रसारण या उसके किसी सारवान् भाग के संबंध में निम्नलिखित कार्यों में से कोई करता है,—

(क) प्रसारण का पुनः प्रसारण करता है; या

(ख) प्रसारण को सार्वजनिक रूप से किसी प्रभार के संदाय करने पर सुनवाता है या दिखाता है; या

(ग) प्रसारण का ध्वन्यंकन या दृश्यांकन करता है; या

(घ) ध्वन्यंकन या दृश्यांकन का कोई पुनरुत्पादन करता है जहां ऐसी आरंभिक ध्वन्यंकन अनुज्ञप्ति के बिना किया गया है या जहां अनुज्ञप्ति के अधीन किसी ऐसे प्रयोजन के लिए किया गया है जो उस अनुज्ञप्ति द्वारा परिकल्पित नहीं है; या

(ङ) खंड (ग) या खंड (घ) में निर्दिष्ट ऐसा कोई ध्वन्यंकन या दृष्यांकन सार्वजनिक रूप से विक्रय करता है या उसे भाटक पर देता है या ऐसा विक्रय करने या भाटक पर देने के लिए प्रस्थापित करता है,

यह समझा जाएगा कि उसने धारा 39 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उस प्रसारण पुनरुत्पादन अधिकार का अतिलंघन किया है।"।

14. मूल अधिनियम की धारा 38 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 38 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

"38 (1) जहां कोई प्रस्तुतकर्ता किसी प्रस्तुतीकरण में उपस्थित होता है या उसमें लगता है वहां उसे ऐसे प्रस्तुतीकरण के संबंध में "प्रस्तुतकर्ता का अधिकार" के नाम से ज्ञात विशेष अधिकार होगा। प्रस्तुतकर्ता का अधिकार।

(2) प्रस्तुतकर्ता का अधिकार उस वर्ष के, जिसमें ऐसा प्रस्तुतिकरण किया जाता है, ठीक आगामी कलेंडर वर्ष के आरंभ से 25 वर्ष तक अस्तित्व में रहेगा।

(3) किसी प्रस्तुतीकरण के संबंध में किसी प्रस्तुतकर्ता के अधिकार के जारी रहने के दौरान किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो प्रस्तुतकर्ता की अनुमति के बिना प्रस्तुतीकरण या उसके किसी सारवान भाग के संबंध में निम्नलिखित कोई कार्य करता है, अर्थात्:—

(क) प्रस्तुतीकरण का ध्वन्यंकन या दृश्यांकन करता है; या

(ख) ऐसे प्रस्तुतीकरण के ध्वन्यंकन या दृश्यांकन को पुनरुत्पादित करता है जो ध्वन्यंकन या दृश्यांकन,—

(i) प्रस्तुतकर्ता की अनुमति की बिना किया गया था; या

(ii) उन प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए किया गया था जिनके लिए प्रस्तुतकर्ता ने अनुमति दी थी: या

(iii) किसी ऐसे ध्वन्यंकन या दृश्यांकन से जो धारा 39 के अनुसार किया गया था, धारा 39 में निदिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए किया गया था; या

(ग) प्रस्तुतीकरण का प्रसारण करता है, उस प्रसारण के सिवाय जहां ऐसा प्रसारण धारा 39 के अनुसार किए गए ध्वन्यंकन या दृश्यांकन से भिन्न ध्वन्यंकन या दृश्यांकन किया जाता है या पूर्व प्रसारण का, जो प्रस्तुतकर्ता के अधिकार का अतिलंघन नहीं था, उसी प्रसारण संगठन द्वारा पुनःप्रसारण है; या

(घ) सार्वजनिक रूप से ऐसी संसूचना के सिवाय, जो ध्वन्यंकन या दृश्यांकन या किसी प्रसारण द्वारा दी जाती है, प्रस्तुतीकरण सार्वजनिक रूप से प्रसारण द्वारा संसूचना से अन्यथा संसूचना देता है।

धारा 39 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यह समझा जाएगा कि उसने प्रस्तुतकर्ता के अधिकारों का अतिलंघन किया है।

(4) प्रस्तुतकर्ता द्वारा एक बार अपने प्रस्तुतीकरण को चलचित्र फिल्म में सम्मिलित करने की अनुमति दिए जाने पर, उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंध ऐसे प्रस्तुतीकरण पर आगे लागू नहीं होंगे।"।

धारा 39 के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन।

15. मूल अधिनियम की धारा 39 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखीं जाएंगी, अर्थात्:—

प्रसारण पुनरुत्पादन अधिकार या प्रस्तुतकर्ता के अधिकार का अतिलंघन न करने वाले कार्य।

"39. कोई प्रसारण पुनरुत्पादन अधिकार या प्रस्तुतकर्ता का अधिकार निम्नलिखित द्वारा अतिलंघन किया हुआ नहीं समझा जाएगा—

(क) ध्वन्यंकन या दृश्यांकन करने वाले किसी व्यक्ति के प्राइवेट प्रयोग के लिए या पूर्णतः सद्भाविक पूर्णतः शिक्षण या अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए कोई ध्वन्यंकन या दृश्यांकन करना; या

(ख) समसामयिक घटनाओं की या सद्भाविक पुनर्विलोकन, शिक्षण या अनुसंधान का रिपोर्टिंग में किसी प्रस्तुतीकरण या किसी प्रसारण की झलकियों का, जो उचित व्यौहार से सुसंगत हो, प्रयोग या

(ग) ऐसे अन्य कार्य जो किन्हीं आवश्यक अनुकूलनों और उपांतरणों के साथ धारा 52 के अधीन प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन नहीं बनते हों।

प्रसारण पुनरुत्पादन अधिकार और प्रस्तुतकर्ता के अधिकार को लागू अन्य उपबंध।

39क. धारा 18, 19, 30, 53, 55, 58, 64, 65 और 66, किन्हीं आवश्यक अनुकूलनों और उपांतरों सहित, किसी प्रसारण में प्रसारण पुनरुत्पादन अधिकार और किसी प्रस्तुतीकरण में प्रस्तुतकर्ता के अधिकार की बाबत ऐसे ही लागू होगी जैसी वे किसी कृति में प्रतिलिप्यधिकार की बाबत लागू होती हैः

परन्तु जहां प्रतिलिप्यधिकार या प्रस्तुतकर्ता का अधिकार किसी ऐसी कृति या प्रस्तुतीकरण की बाबत अस्तित्व में है जिसका प्रसारण किया गया है, वहां ऐसे प्रसारण का पुनरुत्पादन करने की कोई अनुज्ञप्ति, यथास्थिति अधिकारों का स्वामी या प्रस्तुतकर्ता अथवा उनमें से दोनों की सहमति के बिना प्रभावी नहीं होगा।"।

16. मूल अधिनियम की धारा 51 में,— धारा 51 का संशोधन।

(1) खंड (क) के उपखंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ii) किसी स्थान का उपयोग, उस कृति की संसूचना के लिए किए जाने के लिए, जब ऐसी संसूचना से उस कृति में प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन होता है, लाभ के लिए अनुज्ञात करता है, उस दशा में सिवाय जब वह यह नहीं जानता था और उसके पास यह विश्वास करने का कोई समुचित आधार नहीं था कि जनता को ऐसी संसूचना प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन होगा, या";

(2) परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

"परंतुक उपखंड (iv) की कोई बात, आयातकर्ता के निजी और घरेलू प्रयोग के लिए, किसी कृति की एक प्रति के आयात को लागू नहीं होगी।"।

17. मूल अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (1) में,— धारा 52 का संशोधन।

(1) "निम्नलिखित कार्यों से प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन नहीं होगा," शब्दों से पूर्व "धारा 52क के उपबंधों के अधीन रहते हुए", शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(2) खंड (क) में,—

(i) "कृति का" शब्दों के पश्चात् "जो कम्प्यूटर प्रोग्राम नहीं हैं," शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उपखंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(i) निजी उपयोग, जिसके अंतर्गत अनुसंधान है, के प्रयोजनों के लिए;";

(3) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"(कक) प्रतियां बनाना या किसी कम्प्यूटर प्रोग्राम का ऐसे कम्प्यूटर प्रोग्राम की प्रति के विधिपूर्ण कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा, प्रति से अनुकूलन—

(i) जिससे कि कम्प्यूटर प्रोग्राम का उस प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा सके जिसके लिए इसका प्रदाय किया गया था; या

(ii) कम्प्यूटर प्रोग्राम का केवल उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए उसका प्रदाय किया गया था, उपयोग करने के लिए, हानि, नुकसान या क्षति से एकमात्र अस्थायी संरक्षण के रूप में पृष्ठगत प्रतियां तैयार करने के लिए;";

(4) खंड (झ) में, अंत में, "या किसी चलचित्र फिल्म या ध्वन्यंकन के ऐसे श्रोताओं को संसूचना" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(5) खंड (या) और (ट) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे,—

"(ञ) किसी साहित्यिक, नाट्य या संगीतात्मक कृति की बाबत ध्वन्यंकन तैयार करना, यदि—

(i) उस कृति का ध्वन्यंकन उस कृति में अधिकारों के स्वामी द्वारा या उसकी अनुज्ञप्ति या सहमति से किया गया है;

(ii) ध्वन्यंकन करने वाले व्यक्ति ने ध्वन्यंकन करने के अपने आशय की सूचना दे दी है, ऐसे सभी आवेष्टकों या लेबलों की प्रतियां उपलब्ध करा दी हैं जिनके साथ ध्वन्यंकनों का विक्रय किया जाना है, और उस कृति में अधिकारों के स्वामी को, अपने द्वारा बनाए जाने वाले ऐसे सभी ध्वन्यंकनों की बाबत स्वामित्वों का, इस निमित्त प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड द्वारा नियत दर पर संदाय विहित रीति में कर दिया है:

परन्तु—

(i) ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जो अधिकारों के स्वामी द्वारा या उसकी सहमति से पहले नहीं किया गया है या जो ध्वन्यंकन करने के प्रयोजन के लिए कृति के अनुकूलन के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक नहीं है;

(ii) ध्वन्यंकन पैकेज के किसी ऐसे रूप में या किसी ऐसे लेबल के साथ जारी नहीं किया जाएगा जिससे उसकी पहचान के बारे में जनता को भ्रम या भ्रांति पैदा होने की संभावना है;

(iii) ऐसा कोई ध्वन्यंकन उस वर्ष की समाप्ति के पश्चात् जिसमें उस कृति का प्रथम ध्वन्यंकन किया गया था, दो कलैण्डर वर्षों की समाप्ति तक नहीं किया जाएगा; और

(iv) ऐसा ध्वन्यंकन करने वाला व्यक्ति अधिकारों के स्वामी या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता या प्रतिनिधि को ऐसे ध्वन्यंकन से संबंधित सभी अभिलेखों और लेखा बहियों का निरीक्षण करने के लिए अनुज्ञात करेगा:

परन्तु यह और कि यदि प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड के समक्ष इस आशय की शिकायत की जाती है कि अधिकारों के स्वामी को इस खंड के अनुसरण में किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी ध्वन्यंकन के लिए पूर्ण रूप से संदाय नहीं किया गया है और प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड का, प्रथमदृष्टया यह समाधान हो जाता है कि शिकायत सही है तो वह ऐसे ध्वन्यंकन करने वाले व्यक्ति को एक पक्षीय आदेश द्वारा अग्रिम प्रतियों के उत्पादन न करने का निदेश दे सकेगा और वह ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, ऐसा और आदेश करेगा जो वह ठीक समझे, जिसके अंतर्गत स्वामित्व के संदाय के लिए आदेश भी है;

(ट) ध्वन्यंकन का, उसके उपयोग द्वारा—

(i) ऐसे निवासी परिसरों में, निवासियों के सामान्य प्रयोग के लिए तात्पर्यित किसी संलग्न कमरे या हाल में (जो होटल या इसी प्रकार का वाणिज्यिक स्थापन नहीं है) अनन्यतः या मुख्यतः वहां के निवासियों के लिए उपलब्ध की गई सुख-सुविधाओं के भाग के रूप में सार्वजनिक रूप से सुनवाना, या

(ii) किसी कल्ब या इसी प्रकार के संगठन के, जो लाभ के लिए स्थापित या संचालित नहीं है, क्रियाकलाप के भाग के रूप में सार्वजनिक रूप से सुनवाना;";

(6) खंड (ध) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा; अर्थात्:—

"(ध) किसी वास्तु कृति का रंगचित्र, रेखाचित्र, उत्कीर्णन या फोटोग्राफ बनाना या प्रकाशित करना अथवा किसी वास्तु कृति का प्रदर्शन करना;"

(7) खंड (ब) का लोप किया जाएगा;

(8) खंड (म) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(य) किसी प्रसारण संगठन द्वारा किसी ऐसी रचना की, जिसके प्रसारण का उसे अधिकार है, किसी प्रसारण संगठन द्वारा क्षणिक रिकार्ड करना, अपने प्रसारण के लिए अपनी सुविधाओं का प्रयोग करना; और उसके असाधारण स्वरूप के आधार पर पुरातत्वीय प्रयोजनों के लिए ऐसे रिकार्ड को प्रतिधारित रखना;

(यक) किसी सद्भाविक धार्मिक उत्सव के या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा आयोजित किसी सरकारी उत्सव के दौरान साहित्यिक नाट्य या संगीतात्मक प्रकृति का प्रस्तुतीकरण या ऐसी कृति की या किसी ध्वन्यंकन की जनता को संसूचना।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, धार्मिक उत्सव के अंतर्गत बारात और विवाह से संबद्ध अन्य सामाजिक उत्सव भी हैं।"।

18. मूल अधिनियम की धारा 52क के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:— नई धारा 52ख और 52ग का अंतःस्थापन।

"52ख. निम्नलिखित दशाओं में, अर्थात्:— धारा 34क के अध्यधीन कृषि का पुनरुत्पादन।

(i) धारा 52 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी के लिए, रेप्रोग्राफी उपस्कर के माध्यम से किसी कृति का पुनरुत्पादन;

(ii) धारा 52 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी के लिए, उस धारा की उपधारा (1) के खंड (य) के अधीन ध्वन्यंकन करने के सिवाय, टेप रिकार्डर या वीडियो कैसेट रिकार्डर या तत्समान उपस्कर के माध्यमों द्वारा किसी ध्वन्यंकन या चलचित्र का पुनरुतपादन,

धारा 34क के उपबन्धों के अधीन ऐसी कृति में अधिकारों के स्वामियों को पारिश्रमिक का संदाय करने के अधीन होगा।

52ग. (1) धारा 34क के अधीन नियुक्त प्रत्येक प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगी और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण, जिसके अंतर्गत आय और व्यय तथा प्रतिलिप्यधिकार उपकर अधिनियम, 1993 के अधीन केन्द्रीय सरकार से प्राप्त संसदायों में से अधिकारों के व्यष्टिक स्वामियों को संदत्त पारिश्रमिक की मात्रा भी है, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से तैयार करेगी जो केन्द्रीय सरकार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करके विहित करे। लेखा और संपरीक्षा।

(2) प्रत्येक प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के केन्द्रीय सरकार से प्राप्त संदायों के संबंध में, लेखाओं की संपरीक्षा भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ऐसे अन्तरालों पर, जो उसके द्वारा विहित किए जाएं, करेगा और उस संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के तथा उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के उस संपरीक्षा के सबंध में वे ही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और उसे विशिष्टतया बही, लेखे और अन्य दस्तावेज तथा कागज पत्र पेश किए जाने की मांग करने और केवल ऐसी संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित प्रत्येक प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटियों के लेखे, उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ हर वर्ष केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे और वह सरकार उन्हें संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।"।

19. अध्याय 11 में मूल अधिनियम की धारा 53 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— नई धारा 53क का अंतःस्थापन।

"53क. (1) किसी रंगचित्र, मूर्ति या रेखाचित्र की मूल प्रति या किसी साहित्यिक नाट्य कृति या संगीतात्मक कृति के पांडुलिपि के दस हजार रुपए से अधिक मूल्य पर पुनः विक्रय की दशा में ऐसी कृति का रचयिता, यदि वह धारा 17 के अधीन प्रतिलिप्यधिकार का प्रथम स्वामी है या उसके उत्तराधिकारी, ऐसी कृति में प्रतिलिप्यधिकार के किसी समनुदेशन के होते हुए भी, इस धारा के उपबंधों के अनुसार, ऐसी मूल प्रति या पांडुलिपि के पुनःविक्रय की कीमत में अंश प्राप्त करने के अधिकारी होंगे: मूल प्रतियों में पुनः विक्रय अंश अधिकार।

परन्तु ऐसा अधिकार कृति में प्रतिलिप्यधिकार की अवधि की समाप्ति पर अस्तित्व में नहीं रहेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अंश उतना होगा जो प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड नियत करे और इस बाबत उसका विनिश्चय अंतिम होगा:

परन्तु यह भी कि प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड, कृति के विभिन्न वर्गों के लिए भिन्न-भिन्न अंश नियत कर सकेगा:

परन्तु यह और कि किसी भी दशा में अंश पुनः विक्रय की कीमत के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(3) यदि इस धारा द्वारा प्रदत्त अधिकार से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड को निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।"।

धारा 57 का संशोधन।

20. मूल अधिनियम की धारा 57 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) रचयिता के प्रतिलिप्यधिकार से पृथक रूप में और उक्त प्रतिलिप्यधिकार के पूर्णतः या भागतः समनुदेशन के पश्चात् भी, किसी कृति के रचयिता को—

(क) उस कृति का रचियता होने का दावा करने का; तथा

(ख) उक्त कृति को किसी प्रकार विरूपित करने, विकृत करने या अन्यथा उपांतरित करने या अन्य कार्य करने के संबंध में अवरुद्ध करने या नुकसानी का दावा करने का, यदि ऐसा प्रतिलिप्यधिकार की अवधि की समाप्ति के पहले किया गया है, यदि ऐसा विरूपण, विकृत करना, उपांतरण या अन्य कार्य, जिसका उसकी प्रतिष्ठा या ख्याति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हो,

अधिकार होगाः

परन्तु यह कि रचयिता को कम्प्यूटर कार्यक्रम के किसी अनुकूलन के संबंध में, जिसे धारा 52 की उपधारा (1) का खंड (कक) लागू होता है, अवरुद्ध करने या नुकसानी का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

स्पष्टीकरण—रचयिताओं की तुष्टि के लिए किसी कृति के प्रदर्शन में असफलता या उसका प्रदर्शन इस धारा द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।"।

धारा 63 का संशोधन।

21. मूल अधिनियम की धारा 63 में,—

(1) खंड (ख) में प्रारम्भ में "धारा 53क द्वारा प्रदत्त अधिकार को छोड़कर," शब्द "इस अधिनियम" शब्दों के पूर्व अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(2) परन्तुक में "परन्तुक" शब्द के पश्चात् "जहां अतिलंघन व्यापार या कारबार के अनुक्रम में अभिलाभ के लिए नहीं किया गया है वहां" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 63क का संशोधन।

22. मूल अधिनियम की धारा 63क के प्रथम परन्तुक में "परन्तु," शब्द के पश्चात् "जहां अतिलंघन, व्यापार या कारबार के अनुक्रम में अभिलाभ के लिए नहीं किया गया है वहां" शब्द अंतस्थापित किए जाएंगे।

नई धारा 63ख और धारा 63ग का अंतःस्थापन।

23. मूल अधिनियम की धारा 63क के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

प्रतिलिप्यधिकार उपकर अधिनियम के अधीन उद्गृहीत उपकर के असंदाय के लिए दंड।

"63ख (1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 और सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में किसी बात के होते हुए भी, प्रतिलिप्यधिकार उपकर अधिनियम, 1993 के अधीन और उपकर के असंदाय को इस अधिनियम के अधीन अपराध समझा जाएगा और धारा 63 और धारा 63क के उपबन्ध लागू होंगे; 1944 का 1 1962 का 52

(2) कोई न्यायालय उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का संज्ञान, धारा 34क के अधीन नियुक्त प्रतिलिप्यधिकार सोसायटी द्वारा किए गए परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं।

कम्प्यूटर प्रोग्राम की अतिलंघन करने वाली प्रति का जानबूझ कर प्रयोग करना अपराध होगा।

63ग. कोई व्यक्ति जो कम्प्यूटर पर किसी कम्प्यूटर प्रोग्राम की अतिलंघनकारी प्रति का जानबूझकर प्रयोग करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि एक मास से कम नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से जो पचास हजार रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो दो लाख रुपए तक हो सकेगा, दण्डनीय होगाः

परन्तु जहां कम्प्यूटर प्रोग्राम का प्रयोग किसी अभिलाभ के लिए या व्यापार या कारबार के अनुक्रम में नहीं किया गया है, वहां न्यायालय, उचित और विशेष कारणों से, जिनका उल्लेख निर्णय में किया जाएगा, कारवास का कोई दण्डादेश अधिरोपित न करे और जुर्माने को जो पचास हजार रुपए तक हो सकेगा, अधिरोपित कर सकेगा।"।

धारा 78 का संशोधन।

24. मूल अधिनियम की धारा 78 की उपधारा (2) में—

(i) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्—

"(गक) धारा 33 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन प्रस्तुत करने की शर्तें;

(गख) वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए कोई प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी धारा 33 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी;

(गग) धारा 33 की उपधारा (4) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए जांच;

(गघ) वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी धारा 34 की उपधारा (1) के खंड क के अधीन प्राधिकार स्वीकार कर सकेगी और वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए अधिकारों के स्वामियों को उस उपधारा के खंड (ख) के अधीन ऐसे प्राधिकार से प्रतिसंहरण करने का अधिकार होगा;

(गङ) वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए कोई प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी अनुज्ञप्तियां दे सकेगी, फीस संगृह कर सकेगी और ऐसी फीस को अधिकारों के स्वामियों में धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन वितरित कर सकेगी;

(गच) वह रीति जिससे अधिकारों के स्वामियों को फीस के संग्रहण और वितरण की बावत अनुमोदन, फीस के रूप में संग्रह की गई किसी रकम का उपयोग करने का अनुमोदन और धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन उनके अधिकारों के प्रशासन की बावत क्रियाकलापों से संबंधित जानकारी का ऐसे स्वामियों को उपबंध करने का अनुमोदन अभिप्राप्त किया जा सकेगा;

(गछ) वे विवरणियां जो प्रतिलिप्यधिकार के रजिस्ट्रार को प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटियों द्वारा धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन दाखिल की जाएगी;";

(ii) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्—

"(घक) धारा 52 की उपधारा (1) के खंड (ञ) के अधीन स्वामित्व के संदाय की रीति;

(घख) वह प्रारूप जिसमें और वह रीति जिससे प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगी तथा लेखाओं के वार्षिक विवरण तैयार करेगी और वह रीति जिससे धारा 52ग की उपधारा (1) के अधीन अधिकारों के व्यष्टिक स्वामी को पारिश्रमिक की कोई मात्रा संदत्त की जाएगी।"।

परिशिष्ट एक

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 2)

विधेयक को संयुक्त समिति को भेजने हेतु लोक सभा में प्रस्ताव

"कि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 में आगे संशोधन करने हेतु विधेयक दोनों सदनों की 45 सदस्यों वाली एक संयुक्त समिति को सौंपा जाए जिनमें से 30 सदस्य इस सभा के होंगे, नामतः—

1. श्री ई॰ अहमद
2. श्री आननद अहिरवार
3. डा॰ फैयाजुल आजम
4. श्री अवतार सिंह भडाना
5. श्रीमती दिलकुमारी भण्डारी
6. श्री गुरचरण सिंह दादाहूर
7. श्री प्रबीन डेका
8. श्री शरद दिघे
9. मोहम्मद अली अशरफ फातमी
10. श्री इम्चालम्बा
11. श्री जय प्रकाश
12. श्री श्याम लाल कमल
13. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)
14. श्री एन॰ कृष्ण स्वामी
15. कुमारी पदमश्री कुडुमुला
16. श्री वी॰ धनजंय कुमार
17. प्रो॰ (श्रीमती) सावित्री लक्ष्मणन
18. श्री बीर सिंह महतो
19. श्री साईमन मरान्डी
20. श्री जनार्दन मिश्र
21. श्रीमती गीता मुखर्जी
22. श्री रूपचन्द पाल
23. श्री हरपाल पंवार
24. श्री रामेश्वर पाटीदार
25. डा॰ आर॰ के॰ जी॰ राजुलु
26. श्री एन॰ जे॰ राठवा
27. श्री भगवान शंकर रावत
28. श्री के॰ जी॰ शिवप्पा
29. श्री पी॰ सी॰ थामस
30. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे

और 15 सदस्य राज्य सभा से हैं:—

कि समिति की बैठक चलाने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी;

कि समिति शीतकालीन सत्र, 1992 के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपना प्रतिवेदन इस सभा को प्रस्तुत करेगी;

कि संसदीय समितियों से सम्बन्धित इस सभा के प्रक्रिया संबंधी नियम ऐसी विभिन्नताओं और परिवर्तनों के साथ जैसे कि अध्यक्ष करते हैं, लागू होंगे; और

कि यह सभा, राज्य सभा से यह सिफारिश करती है कि राज्य सभा भी उक्त संयुक्त समिति में शामिल हो और राज्य सभा इस संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को भेजे।''

परिशिष्ट दो

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 3)

विधेयक के संयुक्त समिति को भेजने हेतु राज्य सभा में प्रस्ताव

"कि यह सभा, लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा को प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 में आगे और संशोधन करने हेतु सभा की संयुक्त समिति में शामिल होना चाहिए और यह प्रस्ताव पारित करती है कि उक्त संयुक्त समिति में राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को नाम-निर्दिष्ट किया जाये।

1. डा० बलदेव प्रकाश
2. डा० नौनिहाल सिंह
3. श्री मोहम्मद अफजल उर्फ भीम अफजल
4. श्री दिनेश भाई त्रिवेदी
5. डा० आर० के० पोद्दार
6. डा० संजय सिंह
7. श्री एस० विदुतल्लै विरूम्भि
8. श्री विश्वजित पी० सिंह
9. श्री सैय्यद सिब्ते रजी
10. श्री मदन भाटिया
11. श्रीमती वीणा वर्मा
12. श्री बी० के० हरिप्रसाद
13. श्री इकबाल सिंह
14. श्री जी० स्वामीनाथन
15. श्री सुब्रह्मणयम स्वामी

उपरोक्त प्रस्ताव राज्य सभा की गुरुवार, दिनांक 20 अगस्त, 1992 को हुई बैठक में पारित किया गया था।

परिशिष्ट तीन

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 8)

उन संघों/संगठनों/व्यक्तियों आदि की सूची जिनसे संयुक्त समिति को ज्ञापन प्राप्त हुए थे

डा० के० वी० पदमनाभन,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
इंडियन फेडरेशन अगेंस्ट साफ्टवेयर थेफ्ट,
मुम्बई-400001

2. श्री एस० के० दत्त,
एडवोकेट,
एल०एस०डावर एण्ड कम्पनी,
पेटेंट एण्ड ट्रेड मार्क अटार्नी,
नई दिल्ली-110019

3. श्री ए० डी० रापोसो,
इंडियन फेडरेशन अगेंस्ट साफ्टवेयर थेफ्ट,
मुम्बई-400001

4. श्री संजय टंडन,
महाप्रबंधक,
द इंडियन परफार्मिंग राइट सोसाइटी लि०,
मुम्बई

5. श्री सुरेन्द्र मलिक,
सम्पादक प्रकाशन,
इस्टर्न बुक कम्पनी,
लखनऊ-226001

6. डा० एस० के० शर्मा,
द्वारा रमेश कुमार शर्मा,
एसोसिएटेड प्रोफेसर,
प्लास्टिक सर्जरी विभाग,
पी० जी० टी० चंडीगढ़-160012

7. श्री जे० एस० कोहली,
प्रेसीडेंट,
केबल नेटवर्क्स एसोसिएशन
नई दिल्ली-110016

8. श्रीमती वीणा वर्मा, संसद सदस्य,
4, सफदरजंग लेन,
नई दिल्ली-110011

9. प्रो॰ के॰ पोन्नूस्वामी,
औद्योगिक सम्पदा कानून के प्रोफेसर,
38/11 प्रोबिन रोड,
यूनिवर्सिटी फ्लैट्स,
दिल्ली-110007

10. श्री के॰ संतोष,
(रीडर),
यूनिवर्सिटी कालेज आफ लॉ
आन्ध्रा विश्वविद्यालय,
वाल्टेयर, विशाखापत्तनम-530003

11. श्री नरेन्द्र नाथ,
कार्यकारी निदेशक,
दी फेडरेशन ऑफ इण्डियन पब्लिशर्स,
नई दिल्ली

12. श्री आर॰ सी॰ अग्रवाल,
सेवानिवृत्त, प्रिंसिपल,
अरूण भवन, न्यू रेलवे रोड,
गुड़गांव-122001 (हरियाणा)

13. श्री चतुर्भुज,
(लेखक),
106, कृष्णा नगर,
पटना-800001

14. श्री राजेन्द्र अवस्थी,
महासचिव,
आथर्स गिल्ड आफ इण्डिया,
नई दिल्ली

15. श्री रामचन्द्र दास,
अवैतनिक महासचिव,
वेस्टर्न इंडिया सिनेमेटोग्राफर्स एसोसिएशन,
मुम्बई

16. श्री तेज नाथ जार,
उपाध्यक्ष,
फिल्म राइटर्स एसोसिएशन,
मुम्बई

17. श्री जाफरी जे॰ हार्डिया,
मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ अमेरिका,
आई॰ एन॰ सी॰ 0706 युनाइटेड स्कवायर,
101, थामस रोड,
सिंगापुर-1130

18. श्री पी॰ के॰ बोस,
अध्यक्ष,
फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया,
मुम्बई

19. श्री वी॰ गोपालकृष्णा,
अधिवक्ता,
पेटेंट एंड ट्रेड मार्क एटोर्नी
कंपनी लॉ कन्सलटेंट
श्री हर्पा बिल्डिंग, 122, छठा क्रास, गांधी नगर,
बंगलौर-560009

20. श्री एस॰ शीडोर,
सचिव,
दी इंडियन फोनोग्राफिक इन्डस्ट्री,
2, रिप्पन स्ट्रीट,
कलकत्ता-700016

21. श्री मधुसूदन,
महासचिव,
आल इंडिया फिल्म एमप्लाइज कन्फेडरेशन,
मुम्बई

22. श्री टी॰ एस॰ राणा,
अधिवक्ता,
दिल्ली उच्च न्यायालय,
दिल्ली

23. श्री हरदेव सिंह,
उपाध्यक्ष,
एडवर्टाइजिंग एण्ड इंडस्ट्रियल फोटोग्राफर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया,
नई दिल्ली

24. श्री बी॰ ए॰ थिराजा,
अध्यक्ष,
सांइटिफिक एण्ड टेक्नीकल आर्थस (इण्डिया),
दिल्ली

25. श्री राम प्रसाद शर्मा,
सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक,
वार्ड, ग्यारह,
काठुआ-184701

26. डा॰ वी॰ बी॰ काऊंटिने,
युनिवर्सिटी लॉ कालेज,
प्लेस रोड,
बंगलौर-560009

27. श्री एन॰ एस॰ गोपालकृष्णन,
नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया,
यूनिवर्सिटी नागर भावी,
पोस्ट बाक्स नं॰ 7201,
बंगलौर-560072

28. प्रो॰ पी॰ वी॰ बोले,
ए-15—58, सिद्धार्थ नगर-2,
मुम्बई-400062

29. श्री अबुल हसन,
निदेशक,
एफ्रो एशियन बुक काउंसिल,
नई दिल्ली

30. श्री वी० पी० राऊरी,
निदेशक,
स्कूल आफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर,
नई दिल्ली

31. श्री धीरज लाल एन० शाह,
अध्यक्ष,
एसोसिएशन ऑफ विडियो-राइट्स ओनर्स ऑफ इंडिया,
मुम्बई

32. श्री एम० एम० लूथर,
महासचिव,
फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इण्डस्ट्री,
नई दिल्ली

33. श्रीमती कमला जैन,
विभागाध्यक्ष,
हामीदिया विश्वविद्यालय,
भोपाल

34. श्री खीम राम आर्य धीरज, "धीरज",
शिक्षा विभाग,
ग्राम-सिमटौली,
अल्मोड़ा, (उ०प्र०)

35. श्री हरिहर चतुर्वेदी,
अधिवक्ता,
आरती वीडियो टूर,
मध्य प्रदेश-484110

36. श्री सत्यनारायण वशिष्ट,
संगीतकार,
सी०/420, प्रेम नगर, दयालबाग,
आगरा

37. श्री एस० रामैय्या,
अधिवक्ता तथा भूतपूर्व सचिव, भारत सरकार,
विधि और न्याय मंत्रालय,
बी०-5/162 सफदरजंग एनक्लेव,
नई दिल्ली-110029

38. श्री बन्नी रुबेन,
72, सिल्वर बीच सूर्यरंघी,
सभागृह मार्ग, कोड्डुल रोड,
दादर, (मुम्बई)

39. श्री प्रवीण आनन्द,
आनन्द एंड आनन्द एडवोकेट्स,
1, जयपुर इस्टेट, निजामुद्दीन, (पूर्व),
नई दिल्ली

40. श्री भूषण जैन,
सचिव,
दी इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी,
नई दिल्ली

41. श्री जे॰ एलोक्सिस जैग्लर,
दी इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ सोसायटीज ऑफ आथर्स एंड कम्पोजर्स, (सी॰आई॰एस॰ए॰एस॰),
ली, सेक्रीटेरिटेयर जनरल,
1943-जे2/सी॰ पांच,
पेरिस

42. श्री बी॰ पी॰ वेंकटसुब्रमण्यन,
चेयरमेन,
कॉपीराइट बोर्ड,
मद्रास

परिशिष्ट चार

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 10)

उन साक्षियों की सूची जिन्होंने संयुक्त समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य दिया

1.	(एक) श्री शीप बी॰ पटेल (दो) श्री के॰ वी॰ एच॰ पद्मनाथन (तीन) श्री जे॰ सागर,	इंडियन फेडरेशन अगेन्स्ट सॉफटवेयर, थेफ्ट बलसारा हाऊस, 41-45, नागिनदास मास्टर रोड, मुम्बई-400001
2.	(एक) श्री डी॰ एन॰ मल्होत्रा (दो) श्री कान्ति चौधरी (तीन) श्री नरेन्द्र नाथ (चार) श्री विश्वनाथ (पांच) श्री मोहन प्रिमलानी,	दी फेडरेशन ऑफ इण्डियन पब्लिशर्स 18/1सी, इन्स्टीट्यूशनल एरिया (जे॰एन॰ यू॰ के पास) नई दिल्ली-110067
3.	(एक) श्री जे॰ सी॰ बत्रा (दो) श्री राजेन्द्र अवस्थी (तीन) श्री एच॰ एल॰ कौल,	आथर्स गिल्ड ऑफ इण्डिया, एफ/12, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110014
4.	(एक) श्री जे॰ एस॰ कोहली (दो) श्री राजन कपूर (तीन) श्री राकेश दत्ता (चार) श्री उमेश कक्कर (पांच) श्री नरेन्द्र नरूला,	केबल नेटवर्क एसोसिएशन, एस-10, पहली मंजिल, ग्रीन पार्क (मेन) नई दिल्ली
5.	श्री एस॰ रामैय्या,	अधिवक्ता तथा भूतपूर्व सचिव, भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय, बी-5/62, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली
6.	श्री प्रवीण आनन्द,	आनन्द एण्ड आनन्द एडवोकेट्स, 1, जयपुर इस्टेट, निजामुद्दीन (पूर्व) नई दिल्ली
7.	(एक) श्री भूपण जैन (दो) श्री यूनुस दहलवी (तीन) श्री परेश नाथ,	दी इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी, आई॰ एन॰ एस॰ बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001

8.	(एक) श्री पी० चन्द्रा (दो) श्री एस० शिडोर (तीन) श्री एच० एस० आनन्द (चार) श्रीमती बी० बी० छिब,	दी इणिडयन फोटोग्राफिक इंडस्ट्री, 2, रिप्पन स्ट्रीट कलकत्ता-700016
9.	(एक) श्री नौशाद अली (दो) श्री संजय टंडन (तीन) श्री हसन कमाल (चार) श्री राजीव शर्मा,	दी इण्डियन परफार्मिंग राईट सोसायटी लि०, 17 दालामल टावर्स, नरीमन पाईंट, मुम्बई-400021
10.	(एक) श्री पी० के० बोस (दो) श्री के० डी० शौरी,	फिल्म फेडरेशन आफ इंडिया, 91, वाकेश्वर रोड, मुम्बई-400006
11.	श्री सतीश भटनागर,	दी फिल्म राइटर एसोसिएशन, 119, दादासाहेब फालके रोड, रंजीत स्टुडियो, दादर, मुम्बई-400014
12.	श्री रामचन्द्र दास।	वेस्टर्न इण्डियन सिनिमेटोग्राफर्स एसोसिएशन, श्री साऊंड स्टूडियोज कम्पाउंड, 10, गोकुलदास पस्ता रोड, मुम्बई-400014

परिशिष्ट पांच

प्रतिलिप्यधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1992 संबंधी संयुक्त समिति की बैठकों का कार्यवाही सारांश

एक. पहली बैठक

15.9.1992

समिति की बैठक मंगलवार, 15 सितम्बर, 1992 को 11.00 बजे से 12.30 बजे तक समिति कमरा सं० "डी" संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री सैयद सिब्ते रजी—सभापति

सदस्य

2. श्री ई० अहमद
3. डा० एफ आजम
4. श्रीमती दिलकुमारी भंडारी
5. श्री गुरचरण सिंह दादाहूर
6. श्री प्रबीन डेका
7. श्री शरद दिघे
8. श्री इम्चालम्बा
9. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)
10. श्री एम० कृष्णास्वामी
11. श्री वी० धनन्जय कुमार
12. श्री बीर सिंह महतो
13. श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र
14. श्री रूपचंद पाल
15. श्री रामेश्वर पाटीदार
16. श्री एन० जे० राठवा
16. श्री भगवान शंकर रावत
18. श्री पी० सी० थामस
19. श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल
20. श्री दिनेश भाई त्रिवेदी
21. डा० आर० के० पोद्दार
22. श्री एस० विडुतलै विरुम्भी
23. श्री विश्वजीत पी० सिंह
24. श्री मदन भाटिया
25. श्री बी० के० हरिप्रसाद

26. श्री इकबाल सिंह

27. श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी

सचिवालय

श्री आर० के० चटर्जी—उप सचिव

श्री डी० एल० कपूर—अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि)

1. श्री एस० वी० गिरि—सचिव

2. श्री जगदीश सागर—संयुक्त सचिव

3. श्री एम० सी० जोशी—निदेशक

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री रघुबीर सिंह —संयुक्त सचिव, विधायी सलाहकार

2. श्री एस० पी० कंवल—उप विधायी सलाहकार

2. प्रारंभ में, सभापति ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया तथा प्रस्तावित विधायी उपायों की पृष्ठभूमि तथा महत्व और समिति के समक्ष कार्य का उल्लेख किया। उन्होंने समिति की भविष्य की बैठकों तथा कार्यकरण के लिए कार्यक्रम तैयार करने पर बल दिया।

3. संक्षिप्त चर्चा के बाद, समिति ने निर्णय लिया कि प्रेस प्रकाशनी (अनुबंध) जारी की जाए जिसमें विधेयक के प्रावधानों के संबंध में सरकारी निकायों, संगठनों, संघों, वकील-समुदाय परिषदों, लेखकों, प्रकाशकों, पत्रकारों, व्यक्तियों आदि से 16 अक्तूबर, 1992 तक टिप्पणियां/सुझाव युक्ति ज्ञापन मंगाए जाएं सदस्यों ने इच्छा व्यक्त की कि प्रेस प्रकाशनी की विषय-वस्तु का प्रादेशिक भाषा के समाचार पत्रों सहित राष्ट्रीय समाचार पत्रों में तथा दूरदर्शन/आकाशवाणी के द्वारा व्यापक प्रचार किया जाए।

4. समिति ने यह भी निर्णय लिया कि एक परिपत्र सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/वकील समुदाय परिषदों/अन्य सामाजिक संगठनों तथा विशेषज्ञों को भेजा जाए जिसमें विधेयक के संबंध में उनसे टिप्पणियां और सुझाव मांगे जाएं।

5. समिति ने यह भी निर्णय लिया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संगठनों/ संघों, लेखकों, प्रकाशकों, पत्रकारों, व्यक्तियों तथा विशेषज्ञों, जिनके विचार प्राप्त करने हैं, की विस्तृत सूची भेजने का अनुरोध किया जाए।

6. समिति ने इच्छा व्यक्त की कि आकाशवाणी/दूरदर्शन के महानिदेशकों तथा संगणक अनुरक्षण (कम्प्यूटर मैंटेनेन्स) केन्द्र, दिल्ली के निदेशक से विशिष्ट रूप से विधेयक के संबंध में समिति के विचारार्थ अपनी टिप्पणियों/सुझाव भेजने का अनुरोध किया जाए।

7. समिति ने यह भी निर्णय लिया कि यदि आवश्यक हुआ तथा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से समिति इस प्रयोजन के लिए देश में विभिन्न स्थानों पर तत्स्थानिक अध्ययन दौरे करेगी।

8. समिति ने यह भी निर्णय लिया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) से अनुरोध किया जाए कि समिति के विचारार्थ समिति को भेजे जाने वाले खंडवार ज्ञापन/अभ्यावेदन जिनमें टिप्पणियां/सुझाव अन्तर्विष्ट हों तथा समिति के समक्ष दिए जाने वाले साक्ष्य, उन पर दी गई टिप्पणियों सहित, को सारणीबद्ध किया जाए।

9. विभिन्न अन्य देशों में प्रतिलिप्यधिकार अधिनियमों के प्रावधानों से स्वयं को अवगत कराने के विचार से, समिति ने इच्छा व्यक्त की कि अमरीका और ब्रिटेन तथा अन्य महत्वपूर्ण देशों जैसे हंगरी/फ्रांस आदि का मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भारत में प्रावधानों के तुलनात्मक अध्ययन का टिप्पण तैयार किया जाए। समिति के सदस्यों ने इच्छा व्यक्त की कि बर्न तथा रोम सम्मेलनों में प्रतिलिप्यधिकार अधिनियमों के संबंध में हुई चर्चाओं तथा लिए गए निर्णयों की प्रतियां भी उन्हें दी जाएं।

10. सभापति ने सदस्यों से यह भी अनुरोध किया कि यदि उनके पास देने के लिए सुझाव हों, तो उन्हें लिखित में सभापति को अथवा लोक सभा सचिवालय को भेज दें।

11. कुछ विचार-विमर्श के बाद, समिति ने नोट किया कि सभा द्वारा स्वीकार किए गए प्रस्ताव के अनुसार, उन्हें अपनी रिपोर्ट सभा को शरदकालीन सत्र, 1992 के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है। तथापि अभी भी समिति के ज्ञापन प्राप्त होने हैं तथा उन पर विचार किया जाना है और विधेयक पर खण्डवार विचार करना तथा अन्य चरणों को पूरा करना है तो समिति ने महसूस किया कि निर्धारित तारीख के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करना उनके लिए संभव नहीं होगा। अतः समिति ने निर्णय लिया

कि वह अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए बजट सत्र, 1993 के अंतिम दिन तक समय बढ़ाए जाने का अनुरोध करे। समिति ने श्री शरद दिघे, संसद सदस्य को इस संबंध में आगामी शरदकालीन सत्र, 1992 के दौरान आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

12. समिति ने अक्तूबर, 1992 के दौरान पुनः किसी समय समवेत होने का निर्णय लिया तथा सभापति को बैठक की तारीख तथा समय निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

अनुबंध

प्रतिलिप्यधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1992 संबंधी संयुक्त समिति

प्रेस प्रकाशनी

प्रतिलिप्यधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1992 को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा गया है। समिति ने श्री सैयद सिब्ते रजी, संसद सदस्य की अध्यक्षता में 15 सितम्बर, 1992 को हुई पहली बैठक में विभिन्न संगठनों, संघों, बार काउंसिलों, लेखकों, प्रकाशकों, पत्रकारों और व्यक्तियों आदि से विधेयक के संबंध में ज्ञापन आमंत्रित करने का निर्णय लिया।

2. विधेयक साहित्यिक सृजन, कलात्मक, नाटकीय और संगीत संबंधी कार्यों, सिनेमाटोग्राफ फिल्म्स और साउंड रिकार्डिंग के संवर्धन के लिए प्रतिलिप्यधिकार के प्रभावी संरक्षण के लिए लाया गया है जिसमें इसके लेखकों और इसे बनाने वालों को कतिपय अतिरिक्त विशिष्ट अधिकार दिए जाएंगे जो कि वर्तमान कानून के अंतर्गत उन्हें उपलब्ध नहीं हैं तथा विभिन्न तरीकों से प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 के वर्तमान प्रावधानों में सुधार किया जाएगा।

3. जो व्यक्ति समिति को ज्ञापन देने के इच्छुक हैं, वे इन ज्ञापनों की 60 प्रतियां महासचिव, लोक सभा, संसद भवन, नई दिल्ली को भेजें जो उनके पास 16 अक्तूबर, 1992 को अथवा उससे पहले पहुंच जायें। समिति को जो ज्ञापन भेजे जाएंगे वह समिति की कार्यवाही सारांश का हिस्सा बनेंगे और उसे पूर्णतः गोपनीय समझा जायेगा और किसी के द्वारा परिचालित नहीं किया जाएगा क्योंकि ऐसा करना समिति के विशेपाधिकार का उल्लंघन होगा।

4. जो व्यक्ति ज्ञापन भेजने के अलावा समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य देने के इच्छुक हैं, उनसे अनुरोध है कि वे समिति के विचारार्थ लोक सभा सचिवालय को इसकी सूचना दें।

प्रतिलिप्यधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1992 लोक सभा में पुरःस्थापित रूप में, दिनांक 16 जुलाई, 1992 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-दो खण्ड-दो में प्रकाशित हुआ था।

नई दिल्ली;

दिनांकः 15-9-92

दो

दूसरी बैठक

19-10-1992

समिति की बैठक सोमवार, 19 अक्तूबर, 1992 को 15.00 बजे से 16.30 बजे तक समिति कमरा "घ" भूमि-तल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री सैयद सिब्ते रजी—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. डा० एफ० आजम
3. श्रीमती दिल कुमारी भंडारी
4. श्री गुरचरण सिंह दादाहूर
5. श्री प्रबीण डेका
6. श्री शरद दिघे
7. श्री एम० कृष्णास्वामी
8. श्री वी० धनन्जय कुमार
9. प्रो० सावित्रि लक्ष्मणन
10. श्री बीर सिंह महतो
11. श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र
12. श्रीमती गीता मुखर्जी
13. श्री रूप चंद पाल
14. श्री हरपाल पंवार
15. श्री एन० जे० राठवा
16. श्री भगवान शंकर रावत
17. श्री पी० सी० थामस
18. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे

राज्य सभा

19. डा० बलदेव प्रकाश
20. डा० नौनिहाल सिंह
21. श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल
22. श्री दिनेश भाई त्रिवेदी
23. श्री मदन भाटिया
24. श्रीमती वीणा वर्मा

25. श्री बी० के० हरिप्रसाद

26. श्री इकबाल सिंह

सचिवालय

1. श्री एस० सी० गुप्ता—संयुक्त सचिव

2. श्री डी० एल० कपूर—अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री आर० के० सिन्हा—अपर सचिव

2. श्री जगदीश सागर—संयुक्त सचिव

3. श्री एम० पी० एम० कुट्टी—निदेशक

4. श्री बी० एस० ढिल्लों—अवर सचिव

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री ए० सी० सी० उन्नी—अपर सचिव

2. श्री रघुवीर सिंह—संयुक्त सचिव और विधायी सलाहकार

3. श्री एस० पी० कंवल—उप-विधायी सलाहकार

2. आरम्भ में सभापति ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और विश्वास व्यक्त किया कि सदस्यों के सहयोग से उन्हें सौंपा गया कार्य पूरा करना संभव हो सकेगा।

3. सभापति ने अब तक हुई प्रगति के संबंध में समिति को जानकारी दी। उन्होंने सूचित किया कि समिति द्वारा पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार विभिन्न संगठनों, संघों, बार कौंसिलों, लेखकों, प्रकाशकों, पत्रकारों, अलग-अलग व्यक्तियों आदि से टिप्पणों/सुझावों के साथ 16 अक्तूबर, 1992 तक ज्ञापन प्राप्त करने के लिए प्रैस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। यह विभिन्न राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार-पत्रों जैसे ''इंडियन एक्सप्रैस'', ''हिन्दुस्तान टाइम्स'' और ''द ट्रिब्यून'' में प्रकाशित की गई थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रकाशन हेतु 40 समाचार-पत्रों में भुगतान करके विज्ञापन देने के लिए विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय से भी सम्पर्क किया था। समिति के लिए अपेक्षित सभी प्रकार की अतिरिक्त सामग्री प्राप्त की गई थी और उसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त रूप में ही सचिवालय द्वारा सदस्यों को परिचालित किया गया है ताकि सदस्यों को अन्य विभिन्न देशों में प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के उपबंधों की जानकारी प्राप्त हो सके।

4. सभापति ने समिति को यह भी सूचित किया कि आरंभ में विभिन्न राज्य सरकारों/भारतीय बार एसोसिएशनों और 60 अन्य संगठनों, संघों, विशेषज्ञों से अपने ज्ञापन समिति के पास अधिकतम 16 अक्तूबर, 1992 तक भेजने का अनुरोध किया गया था। किन्तु समिति को आज तक केवल सात ज्ञापन ही प्राप्त हुए हैं।

समिति ने विभिन्न संघों और व्यक्तियों द्वारा किए गए अनुरोध को ध्यान में रखते हुए विभिन्न संगठनों/संघों, बार कौंसिलों, लेखकों, प्रकाशकों, पत्रकारों, अलग-अलग व्यक्तियों आदि से ज्ञापन प्राप्त करने की तिथि को बढ़ाकर **7 नवम्बर, 1992** तक करने का निर्णय लिया। इस संबंध में समिति ने सभापति को इस तिथि की समाप्ति के पश्चात् भी ज्ञापन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया। सभापति ने इच्छा व्यक्त की कि सभी 60 संघों, अलग-अलग व्यक्तियों को यह बताते हुए संशोधित सूचनाएं भेजी जाएं कि उनके द्वारा भेजे जाने वाले ज्ञापन के लिए तिथि बढ़ा दी गई है।

5. समिति ने सामान्य प्रकृति के कतिपय स्पष्टीकरण मांगे जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा आवश्यक स्पष्टीकरणों के उत्तरों के समय दिए गए थे।

6. समिति ने इच्छा व्यक्त की कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय से ज्ञापन में उठाए गए प्रश्नों को सही ढंग से संक्षिप्त रूप में सूचित करने और खण्ड-वार सारणीकरण करने और समिति के विचार हेतु उन सभी के सामने अपने संक्षिप्त टिप्पण भेजने के लिए अनुरोध किया जाए।

7. शरदकालीन सत्र से पूर्व समिति के अध्ययन दौरों के संबंध में सदस्यों ने कहा कि जब तक समिति को विधेयक में उल्लिखित प्रतिलिप्यधिकार गतिविधियों के संबंध में सभी सूचनाएं प्राप्त नहीं हो जातीं तब तक विभिन्न स्थलों का दौरा करने का कोई उपयोग नहीं होगा। यह निर्णय लिया गया कि अध्ययन दौरे, यदि आवश्यक हों तो आगामी शरदकालीन सत्र के बाद ही किए जाएं।

8. समिति ने इच्छा व्यक्त की कि अधिकांश लोगों की सूचना हेतु विभिन्न समाचार-पत्रों में इस समिति के बारे में पर्याप्त प्रचार किया जाए। समिति ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि इस संबंध में यदि सभापति आवश्यक समझे तो एक प्रैस सम्मेलन भी बुलाया जा सकता है।

9. समिति ने अपनी अगली बैठक नवम्बर, 1992 के तीसरे सप्ताह में किसी दिन बुलाने का निर्णय लिया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

तीन

तीसरी बैठक

16-11-1992

समिति की बैठक सोमवार, 16 नवम्बर, 1992 को 15.00 बजे से 17.10 बजे तक समिति कमरा "सी", भूमितल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री सैयद सिब्ते रजी—**सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री आनंद अहिरवार
3. डा० एफ० आजम
4. श्री शरद दिघे
5. श्री इम्चालम्बा
6. श्री श्याम लाल कमल
7. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)
8. श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र
9. श्री हरपाल पंवार
10. श्री रामेश्वर पाटीदार
11. श्री भगवान शंकर रावत

राज्य सभा

12. डा० बलदेव प्रकाश
13. डा० नौनिहाल सिंह
14. श्री दिनेश भाई त्रिवेदी
15. डा० संजय सिंह
16. श्री मदन भाटिया
17. श्रीमती वीणा वर्मा
18. श्री इकबाल सिंह

सचिवालय

1. श्री आर० के० चटर्जी — उप सचिव
2. श्री राम अवतार राम — अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री आर० के० सिन्हा — अपर सचिव
2. श्री एम०पी०एम० कुट्टी — निदेशक
3. श्री वी०के० सक्सेना — लाइसेंसिंग अधिकारी

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री ए०सी०सी० उन्नी — अपर सचिव
2. श्री रघुवीर सिंह — संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता
3. श्री एस० पी० कंवल — उप विधायी परामर्शदाता

2. सबसे पहले सभापति ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और यह विश्वास व्यक्त किया कि उनकी उपस्थिति और सहभागिता विचार-विमर्श को उपयोगी बनायेंगी।

3. सभापति ने अब तक हुई कार्य की प्रगति से समिति से अवगत कराया। इन्होंने बताया कि अन्तिम बैठक तक समिति को मात्र चार ज्ञापन प्राप्त हुए थे, परन्तु ज्ञापन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को 7 नवम्बर, 1992 तक बढ़ाये जाने के पश्चात् समिति को 30 ज्ञापन और प्राप्त हुए। इनमें से 20 ज्ञापन सदस्यों को पहले ही भेजे जा चुके हैं, और शेष 10 ज्ञापन भेजे जा रहे हैं।

4. तत्पश्चात् समिति ने निम्नलिखित प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया:

इण्डियन फैडरेशन अगेंस्ट साफ्टवेयर थैफ्ट, बम्बई

प्रवक्ता:

1. श्री शिरीष बी० पटेल, चेयरमैन
   15.30 बजे से 17.00 बजे तक
2. श्री के०वी०एच० पद्मनाभन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
   15.30 बजे से 17.00 बजे तक

5. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई ।

चार

चौथी बैठक

7-1-1993

समिति की बैठक गुरुवार, 7 जनवरी, 1993 को 15.00 बजे से 17.30 बजे तक समिति कमरा "सी", भूमि तल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री सैयद सिब्ते रजी — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री ई० अहमद
3. मोहम्मद अली अशरफ फातमी
4. श्री एम० कृपणस्वामी
5. श्री वी० धनंजय कुमार
6. श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र
7. श्रीमती गीता मुखर्जी
8. श्री हरपाल पंवार
9. श्री भगवान शंकर रावत
10. श्री कोडाकेनि गोडाना शिवप्पा
11. श्री पी०सी० थामस
12. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे

राज्य सभा

13. डा० नौनिहाल सिंह
14. श्री दिनेशभाई त्रिवेदी
15. श्री विश्वजीत पी० सिंह
16. श्री मदन भाटिया
17. श्रीमती वीणा वर्मा
18. श्री इकबाल सिंह

सचिवालय

श्री राम अवतार राम — अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री आर० के० सिन्हा — अपर सचिव
2. श्री वी०के० सक्सेना — लाइसेंसिंग अधिकारी

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री रघुवीर सिंह — संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता
2. श्री एस० पी० कंवल — उप विधायी परामर्शदाता

2. सर्वप्रथम समिति ने डा० बलदेव प्रकाश, संसद सदस्य (रा०स०) के दुखद निधन पर अत्यधिक दुख और शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हुए एक निधन संबंधी प्रस्ताव (अनुबंध) पारित किया। तत्पश्चात् समिति ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा।

3. सभापति ने, अब तक हुई प्रगति से समिति को अवगत कराया। उन्होंने समिति को यह जानकारी दी कि विभिन्न संगठनों/व्यक्तियों आदि से अब तक प्राप्त 41 ज्ञापन सदस्यों को परिचालित कर दिये गये हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) ने इन 41 ज्ञापनों में से ज्ञापन सं॰ 1-32 पर अपना टिप्पण प्रस्तुत किया है जो समिति के सदस्यों को पहले ही भेजा जा चुका है। शेष 9 ज्ञापनों पर मंत्रालय द्वारा टिप्पणी भेजना शेष है।

4. तत्पश्चात समिति ने "फेडरेशन आफ इडियन पब्लिशर्स, नई दिल्ली" के निम्नलिखित प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लियाः

1. श्री डी॰एन॰ मल्होत्रा, प्रेसीडेंट (एफ॰आई॰पी॰)
2. श्री प्रवीण आनंद, अधिवक्ता
3. श्री कान्ति चौधरी, आई॰ए॰एस॰, सचिव शिक्षा मंत्रालय (सेवा निवृत्त)
4. श्री नरेन्द्र नाथ, कार्यकारी निदेशक—एफ॰आई॰पी॰
5. श्री विश्वनाथ, प्रबंध निदेशक, मैसर्स राजपाल एण्ड संस, और
6. श्री मोहन प्रिमलानी, सभापति, आई॰बी॰एच॰

5. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई

प्रतिलिप्यधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1992 संबंधी संयुक्त समिति

मुझे, समिति को डा० बलदेव प्रकाश, जो राज्य सभा के सदस्य थे और उस सभा में जिन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व किया, के दुखद निधन के बारे में सूचित करना है। उनका निधन, 70 वर्ष की अवस्था में 17 नवम्बर, 1992 को नई दिल्ली में हुआ।

व्यवसाय से एक चिकित्सक डा० प्रकाश ने झुग्गी-झोपड़ीवासियों की शिक्षा और किसानों और समाज के उपेक्षित वर्गों का उन्नयन जैसे रचनात्मक कार्यों में लगे हुए एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई। वह जीवन भर अलगाववाद और आतंकवाद के खिलाफ लड़ते रहे। वह 1952 से 1977 तक जनसंघ से जुड़े रहे और 1964 से 1974 तक पंजाब राज्य जनसंघ के अध्यक्ष थे। वह भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी थे। डा० बलदेव प्रकाश ने अपने संसदीय जीवन की शुरुआत 1957 से 1969 तक पंजाब विधान सभा के एक सदस्य के रूप में की और वह 1974 से 1977 तक सभा के लिए पुनः निर्वाचित हुए। वह 1967 में पंजाब सरकार में वित्त मंत्री भी थे। वह 1977 में लोक सभा के लिए निर्वाचित हुए।

यद्यपि, वह बहुत कम समय के लिए हमारी संयुक्त समिति के एक सदस्य रहे फिर भी, समिति के कार्य संचालन में उनकी गहन रुचि थी और 16 नवंबर, 1992 को अपनी मृत्यु से एक दिन पहले भी संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में उपस्थित हुए।

डा० बलदेव प्रकाश के निधन पर हम गहरा शोक व्यक्त करते हैं और निश्चय ही समिति भी **शोक संतप्त परिवार के प्रति अत्यधिक दुख और गहरी संवेदना प्रकट करेगी।**

पांच

पांचवीं बैठक

8-1-1993

समिति की बैठक शुक्रवार, 8 जनवरी, 1993 को 15.00 बजे से 17.30 बजे तक समिति कमरा ''सी'', भूमि तल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री सैयद सिब्ते रजी —सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. डा० एफ० आजम
3. श्री गुरुचरण सिंह दादाहूर
4. श्री एम० कृष्ण स्वामी
5. श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र
6. श्रीमती गीता मुखर्जी
7. श्री रूपचंद पाल
8. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे

राज्य सभा

9. डा० नौनिहाल सिंह
10. श्री दिनेशभाई त्रिवेदी
11. श्री विश्वजीत पी० सिंह
12. श्री मदन भाटिया
17. श्रीमती वीणा वर्मा

सचिवालय

श्री राम अवतार राम — अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री आर० के० सिन्हा — अपर सचिव
2. श्री वी० के० सक्सेना — लाइसेंसिंग अधिकारी

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री रघुवीर सिंह — संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता
2. श्री एस० पी० कंवल — उप विधायी परामर्शदाता

2. समिति ने ''आथर्स गिल्ड आफ इंडिया, नई दिल्ली'' के निम्नलिखित प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया:—
    1. श्री जे०सी० बत्रा, उपाध्यक्ष
    2. श्री एच० के० कौल, सदस्य, कार्यकारी समिति
    3. श्री राजेन्द्र अवस्थी, महासचिव
3. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।
4. तत्पश्चात् समिति ने जनवरी, 1993 के तीसरे सप्ताह में अपनी अगली बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई

छः

छठी बैठक

19-1-1993

समिति की बैठक मंगलवार, 19 जनवरी, 1993 को 15.00 बजे से 16.30 बजे तक समिति कक्ष "डी", भूमि तल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री सैयद सिब्ते रजी — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. डा० फैयाजुल आजम
3. श्री एम० कृष्ण स्वामी
4. श्री बीर सिंह महतो
5. श्रीमती गीता मुखर्जी
6. श्री रूपचन्द पाल
7. श्री रामेश्वर पाटीदार
8. श्री भगवान शंकर रावत
9. श्री पी० सी० थामस
10. श्री गुरचरणसिंह दादाहूर

राज्य सभा

11. डा० नौनिहाल सिंह
12. श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफज़ल
13. डा० आर० के० पोद्दार
14. श्री मदन भाटिया
15. श्रीमती वीणा वर्मा
16. श्री बी० के० हरिप्रसाद
17. श्री इकबाल सिंह

सचिवालय

1. श्री एस० सी० गुप्ता — संयुक्त सचिव
2. श्री आर० के० चटर्जी — उप सचिव
3. श्री राम अवतार राम — अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री एम० पी० एम० कुट्टी — निदेशक (बी०डी०)
2. श्री वी० के० सक्सेना — लाइसेंसिंग अधिकारी

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री रघुवीर सिंह — संयुक्त सचिव और विधायी परामर्श-दाता
2. श्री एस० पी० कंवल — उप विधायी परामर्शदाता

2. समिति ने "केबल नेटवर्क एसोसिएशन" नई दिल्ली के निम्नलिखित प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया:—

1. मेजर जे० एस० कोहली (सेवानिवृत)	—	अध्यक्ष
2. श्री राकेश दत्ता	—	महासचिव
3. श्री रंजन कपूर	—	उपाध्यक्ष
4. श्री उमेश ककड़	—	कोषाध्यक्ष
5. श्री नरेन्द्र नरुला	—	सदस्य

3. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई

सात

सातवीं बैठक

21-1-1993

समिति की बैठक बृहस्पतिवार, 21 जनवरी, 1993 को समिति कक्ष "सी", भूमि तल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में 11.00 बजे से 12.30 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री सैयद सिब्ते रजी — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री ई० अहमद
3. श्रीमती दिल कुमारी भंडारी
4. श्री गुरचरणसिंह दादाहूर
5. श्री एम० कृष्ण स्वामी
6. श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र
7. श्री भगवान शंकर रावत
8. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे

राज्य सभा

9. डा० नौनिहाल सिंह
10. श्री दिनेशभाई त्रिवेदी
11. डा० आर० के० पोद्दार
12. श्रीमती वीणा वर्मा

सचिवालय

1. श्री आर० के० चटर्जी — उप सचिव
2. श्री राम अवतार राम — अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री आर०के० सिन्हा — अपर सचिव
2. श्री एम० पी० एम० कुट्टी — निदेशक (बी०डी०)
3. श्री वी० के० सक्सेना — लाइसेंसिंग अधिकारी

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री ए०सी०सी० उन्नी — अपर सचिव
2. श्री रघुवीर सिंह — संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता
3. श्री एस० पी० कंवल — उप विधायी परामर्शदाता

2. समिति ने श्री एस० रमैया, अधिवक्ता और पूर्व सचिव, भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली का मौखिक साक्ष्य लिया।

3. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

4. समिति ने फरवरी, 1993 के दूसरे सप्ताह में अपनी अगले बैठक करने का निर्णय लिया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई

आठ

आठवीं बैठक

10-2-1993

समिति की बैठक बुधवार, 10 फरवरी, 1993 को 15.00 बजे से 17.00 बजे तक समिति कक्ष "सी", भूमि तल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री सैयद सिब्ते रजी — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री आनन्द अहिरवार
3. डा० फैयाजुल आजम
4. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी
5. श्री गुरचरणसिंह दादाहूर
6. श्री शरद दिघे
7. श्री एम० कृष्ण स्वामी
8. श्री वी० धनंजय कुमार
9. श्री बीर सिंह महतो
10. श्री रूपचन्द पाल
11. श्री रामेश्वर पाटीदार
12. श्री भगवान शंकर रावत
13. श्री पी० सी० थामस

राज्य सभा

14. डा० नौनिहाल सिंह
15. श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल
16. श्री दिनेशभाई त्रिवेदी
17. डा० आर० के० पोद्दार
18. श्री विश्वजित् पृथ्वीजित सिंह
19. श्री मदन भाटिया
20. श्री बी० के० हरिप्रसाद
21. श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी

सचिवालय

1. श्री आर० के० चटर्जी — उप सचिव
2. श्री राम अवतार राम — अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री आर० के० सिन्हा — अपर सचिव
2. श्री एम० पी० एम० कुट्टी — निदेशक (बी० डी०)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री रघुवीर सिंह — संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शदाता
2. श्री एस० पी० कंवल — उप विधायी परमार्शदाता

2. बैठक के आरम्भ में सभापति ने सूचित किया कि ज्ञापन संख्या 33 से 41 के अन्तर्गत उठाए गए मुद्दों का सारांश और उन पर मानव

संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) से प्राप्त टिप्पणियों को समिति के सभी सदस्यों को वितरित कर दिया गया है।

3. तत्पश्चात् सभापति ने सदस्यों को कतिपय संघों के प्रतिनिधियों के साथ होने वाली अनौपचारिक वार्ता के प्रयोजनार्थ 15 और 16 फरवरी, 1993 को समिति के अध्ययन दल एक और दो के बम्बई और मद्रास के साथ-साथ प्रस्तावित अध्ययन दौरों के बारे में बताया। चूंकि अध्ययन दल दो (मद्रास) में शामिल होने की बहुत कम सदस्यों ने इच्छा व्यक्त की। इसलिए समिति ने मद्रास के लिए प्रस्तावित अध्ययन दौरे को स्थगित करने और निर्धारित समयानुसार बम्बई का अध्ययन दौरा करने का निर्णय लिया।

4. समिति ने "इन्डियन फेडरेशन अगेन्स्ट सॉफ्ट वेयर थेफ्ट" बम्बई के निम्नलिखित प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य लिये:—

1. श्री के० वी० एच० पदमनाभम्
   मुख्य कार्यपालक (इन्फास्ट)
2. श्री शिरीष बी० पटेल
   चेयरमैन (इन्फास्ट)
3. श्री जे० सागर (इन्फास्ट)

5. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

नौ

नौवीं बैठक

24-2-1993

समिति की बैठक बुधवार, 24 फरवरी, 1993 को 15.00 बजे से 17.20 बजे तक समिति कमरा सं० 62, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री सैयद सिब्ते रज़ी — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री प्रबीन डेका
3. श्री शरद दिघे
4. श्री श्याम लाल कमल
5. कुमारी पदमश्री कुडुमुला
6. श्री भगवान शंकर रावत
7. श्री कोडाकनि गौडाना शिवप्पा

राज्य सभा

8. श्री दिनेशभाई त्रिवेदी
9. श्री विश्वजित पृथ्वीजित सिंह
10. श्री इकबाल सिंह

सचिवालय

1. श्री आर० के० चटर्जी — उप सचिव
2. श्री राम अवतार राम — अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के प्रतिनिधि

श्री आर० के० सिन्हा — अपर सचिव

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री ए० सी० सी० उन्नी — अपर सचिव
2. श्री रघुवीर सिंह — संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शदाता
3. श्री एस० पी० कंवल — उप विधायी परामर्शदाता

2. सबसे पहले सभापति ने समिति द्वारा अब तक की गई प्रगति और उसके विचारार्थ लंबित कार्यमदों के बारे में समिति को अवगत कराया।

3. तत्पश्चात् समिति ने श्री रामैय्या, अधिवक्ता और भूतपूर्व सचिव, विधि और न्याय मंत्रालय का मौखिक साक्ष्य लिया।

4. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

5. समिति ने 25 फरवरी, 1993 को नई दिल्ली में व्यक्तियों/वाहनों के आने-जाने पर लगाये गये सुरक्षा प्रतिबंधों को देखते हुए अपनी 25 फरवरी, 1993 को निर्धारित बैठक को भी रद्द करने का निर्णय लिया।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

दस

दसवीं बैठक

17-3-1993

समिति की बैठक बुधवार, 17 मार्च, 1993 को 15.00 बजे से 16.00 बजे तक समिति कमरा "डी", भूतल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री सैयद सिब्ते रजी — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. डा॰ एफ॰ आजम
3. श्री प्रबीन डेका
4. श्री इम्चालम्बा
5. श्री श्याम लाल कमल
6. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)
7. श्री एम॰ कृष्ण स्वामी
8. श्री वी॰ धनंजय कुमार
9. प्रो॰ (श्रीमती) सावित्री लक्ष्मणन
10. श्रीमती गीता मुखर्जी
11. श्री रामेश्वर पाटीदार
12. श्री भगवान शंकर रावत

राज्य सभा

13. डा॰ नौनिहाल सिंह
14. श्री दिनेश भाई त्रिवेदी
15. श्री विश्वजित पृथ्वीजित सिंह
16. श्री मदन भाटिया
17. श्रीमती वीणा वर्मा

सचिवालय

1. श्री आर॰ के॰ चटर्जी — उप सचिव
2. श्री राम अवतार राम — अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री आर॰ के॰ सिन्हा — अपर सचिव
2. श्री एम॰ पी॰ एम॰ कुट्टी — निदेशक

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री रघुवीर सिंह — संयुक्त सचिव और विधायी सलाहकार
2. श्री एस॰ पी॰ कंवल — उप विधायी सलाहकार

2. आरम्भ में सभापति ने सदस्यों को, समिति द्वारा अब तक की गई प्रगति के बारे में संक्षेप में बताया। समिति को यह सूचित किया गया कि अब तक विभिन्न संघों/संगठनों/व्यक्तियों आदि की ओर से प्राप्त 41 ज्ञापन, उन पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के टिप्पणों सहित सदस्यों को परिचालित किए जा चुके हैं। सदस्यों को भेजने के लिए ज्ञापन सं॰, 8 बी, 8 सी, 15 ए और 18 ए के संबंध में टिप्पण मंत्रालय से अभी प्राप्त होने हैं। सभापति ने यह सूचित किया कि प्राप्त 41 ज्ञापनों में से समिति द्वारा, साक्ष्य के दौरान छह पर

विचार किया गया और उनके बम्बई अध्ययन दौरे के दौरान अन्य छह ज्ञापनों पर भी विचार किया गया। समिति को यह भी सूचित किया गया कि विभिन्न संगठनों/व्यक्तियों आदि से प्राप्त 9 ज्ञापनों के संबंध में उसे मौखिक साक्ष्य लेना होगा। शेष 20 ज्ञापनों का समिति के सदस्य अध्ययन करेंगे और विधेयक पर खंडवार विचार के समय इस संबंध में कार्यवाही करेंगे। इन बातों को देखते हुए समिति ने यह महसूस किया कि निर्धारित समय में, अर्थात् 1993 के बजट सत्र के अंतिम दिन को उसके द्वारा प्रतिवेदन को अंतिम रूप दे पाना और प्रस्तुत कराना सम्भव नहीं होगा। अतः समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय को लोक सभा के मानसून सत्र, 1993 के अंत तक और बढ़ाने का अनुरोध करने का निर्णय किया।

3. इस संबंध में सभापति ने, लोक सभा में आवश्यक प्रस्ताव रखने हेतु श्री शरद दिघे, संसद सदस्य को प्राधिकृत किया।
4. तत्पश्चात् समिति ने श्री प्रवीन आनंद, अधिवक्ता नई दिल्ली का मौखिक साक्ष्य लिया।
5. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

ग्यारह

ग्यारहवीं बैठक

19-3-1993

समिति की बैठक शुक्रवार, 19 मार्च, 1993 को 15.00 बजे से 16.30 बजे तक समिति कमरा "सी", भूतल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री सैयद सिब्ते रजी — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री प्रबीन डेका
3. श्री इम्चालम्बा
4. श्री भगवान शंकर रावत

राज्य सभा

5. डा० नौनिहाल सिंह
6. श्रीमती वीणा वर्मा
7. श्री जी० स्वामीनाथन

सचिवालय

1. श्री आर० के० चटर्जी — उप सचिव
2. श्री राम अवतार राम — अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री आर० के० सिन्हा — अपर सचिव
2. श्री एम० पी० एम० कुट्टी — निदेशक

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री रघुवीर सिंह — संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शदाता
2. श्री एस० पी० कंवल — उप विधायी परामर्शदाता

2. समिति ने इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी, नई दिल्ली के निम्नलिखित प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया:
   1. श्री परेश नाथ
   2. श्री यूनूस देहलवी
   3. श्री भूषण जैन, सचिव
3. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

बारह

बारहवीं बैठक

23-4-1993

समिति की बैठक शुक्रवार, 23 अप्रैल, 1993 को समिति कमरा "सी", भूमि तल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में 15.00 बजे से 16.45 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री सैयद सिब्ते रजी — **सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री आनन्द अहिरवार
3. डा० एफ० आजम
4. श्रीमती दिल कुमारी भंडारी
5. श्री गुरचरण सिंह दादाहूर
6. श्री प्रबीन डेका
7. श्री इम्चालम्बा
8. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)
9. श्री एम० कृष्णस्वामी
10. प्रो० (श्रीमती) सावित्री लक्ष्मणन
11. श्रीमती गीता मुखर्जी
12. श्री रामेश्वर पाटीदार
13. श्री के० जी० शिवप्पा

राज्य सभा

14. श्री मौहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल
15. श्री आर० के० पोद्दार
16. श्रीमती वीणा वर्मा
17. श्री इकबाल सिंह

सचिवालय

श्री राम अवतार राम — अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री एम० पी० एम० कुट्टी — निदेशक
2. श्री बी० एस० ढिल्लों — अवर सचिव

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री एस० पी० कंवल — उप विधायी परामर्शदाता

2. प्रारंभ में, सभापति ने समिति को कार्य में अब तक हुई प्रगति के बारे में जानकारी दी। समिति को यह भी जानकारी दी गई कि प्रतिलिप्यधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1992 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को लोक सभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन तक प्रस्तुत करने हेतु समयावधि बढ़ाने वाला प्रस्ताव 21 अप्रैल, 1993 को लोक सभा में पेश किया गया और उसे स्वीकार किया गया।

3. समिति ने बैठक के लिये समिति कमरा उपलब्ध न होने के कारण श्री बूत्री रियूबेन् मुम्बई का मौखिक साक्ष्य लेने हेतु 30 अप्रैल, 1993 को होने वाली अपनी बैठक रद्द करने का निर्णय लिया।

4. तत्पश्चात् समिति ने भारतीय फोनोग्राफिक उद्योग, कलकत्ता में निम्नलिखित प्रतिनिधियों का साक्ष्य लियाः—

1. श्री पी० चन्दा — अध्यक्ष
2. श्री एस० शिदोरे — सचिव
3. श्री एच० एस० आनन्द — विधायी सलाहकार
4. श्रीमती बी० बी० चिब — विधायी सलाहकार

5. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

तेरह

तेरहवीं बैठक

10.5.1993

समिति की बैठक सोमवार, 10 मई, 1993 को 15.00 बजे से 16.00 बजे तक समिति कमरा "सी", भूमि तल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री सैयद सिब्ते रजी —सभापति

सदस्य

डा० नौनिहाल सिंह

सचिवालय

श्री राम अवतार राम —अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री वाई० एन० चतुर्वेदी —अपर सचिव
2. श्री एम० पी० एम० कुट्टी—निदेशक

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. डा० रघवीर सिंह —संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता
2. श्री एस० पी० कंवल —उप विधायी परामर्शदाता

2. समिति ने इंडियन परफार्मिंनिग राइट सोसायटी लि०, बंबई के निम्नलिखित प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया:

1. श्री नौशाद अली, चेयरमैन
2. श्री संजय टंडन
3. श्री हसन कमाल
4. श्री रवि शर्मा

3. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

4. समिति ने संसद में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा को ध्यान में रखते हुए 11, 13 और 14 मई, 1993 को होने वाली निर्धारित तीन बैठकों को स्थगित करने का निर्णय किया।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

चौदह

चौदहवीं बैठक

4.6.1993

समिति की बैठक शुक्रवार, 4 जून, 1993 को 15.00 बजे से 17.00 बजे तक समिति कमरा "डी", भूमि तल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री सैयद सिब्ते रजी — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री आनन्द अहिरवार
3. डा० एफ० आजम
4. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी
5. श्री प्रबीन डेका
6. मोहम्मद अली अशरफ फातमी
7. श्री इम्चालम्बा
8. श्री जय प्रकाश
9. श्री एम० कृष्ण स्वामी
10. श्री वी० धनजय कुमार
11. श्री बीर सिंह महतो
12. श्रीमती गीता मुखर्जी
13. श्री रामेश्वर पाटीदार
14. श्री भगवान शंकर रावत
15. श्री पी० सी० थामस
16. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे

राज्य सभा

17. डा० आर० के० पोद्दार
18. श्री एस० विडुतलै विरूम्भी
19. श्री मदन भाटिया
20. श्री बी० के० हरिप्रसाद
21. श्री इकबाल सिंह

सचिवालय

1. श्री आर० के० चटर्जी — उप सचिव
2. श्री राम अवतार राम — अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री एस० वी० गिरी — सचिव
2. श्री एम० पी० एम० कुट्टी — निदेशक

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. डा० रघबीर सिंह — संयुक्त सचिव एवं विधायी सलाहकार
2. श्री एस० पी० कंवल — उप विधायी सलाहकार

2. समिति ने मुम्बई स्थित निम्नलिखित संगठनों के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया:

1. **भारतीय फिल्म संघ**
   1. श्री पी० के० बोस, अध्यक्ष
   2. श्री के० डी० शोरी, कार्यकारी एवं सदस्य
2. **फिल्म लेखक संघ**

   श्री सतीश भटनागर

3. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

पन्द्रह

पन्द्रहवीं बैठक

18.6.1993

समिति की बैठक शुक्रवार, 18 जून, 1993 को समिति कमरा "घ", भूमि तल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में 15.00 बजे से 15.45 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री सैयद सिब्ते रजी —सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री ई० अहमद
3. डा० एफ० आज़म
4. श्री शरद दिघे
5. श्री श्याम लाल कमल
6. श्री एम० कृष्ण स्वामी
7. श्री बीर सिंह महतो
8. श्री रूप चंद पाल
9. श्री हरपाल पंवार
10. श्री नरनभाई जमलाभाई राठवा
11. श्री कोडकणी गौंडाना शिवप्पा

राज्य सभा

12. डा० आर० के० पोद्दार
13. श्री एस० विडुतलै विरूम्बी
14. श्री मदन भाटिया
15. श्रीमती वीणा वर्मा
16. श्री बी० के० हरिप्रसाद
17. श्री इकबाल सिंह
18. श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी

सचिवालय

1. श्री आर० के० चटर्जी —उप सचिव
2. श्री राम अवतार राम —अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री वाई० एन० चतुर्वेदी —अपर सचिव
2. श्री एम० पी० एम० कुट्टी—निदेशक

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री ए० सी० सी० उन्नी —अपर सचिव

2. आरंभ में सभापति ने समिति की अब तक की गयी कार्यवाही से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि प्रतिलिप्यधिकार (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 के बारे में विभिन्न संगठनों, संघों तथा व्यक्तियों से कुल 42 ज्ञापन प्राप्त हुए थे। ये ज्ञापन तथा उनपर मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) की टिप्पणियां पहले ही समिति के सदस्यों के बीच परिचालित किए जा चुके हैं।

3. सभापति ने घोषित किया कि समिति अगली बैठक में विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी। विधेयक के विभिन्न खण्डों के संशोधनों के लिए नोटिस देने के इच्छुक सदस्य अपनी नोटिसें इस सचिवालय को सोमवार 5 जुलाई, 1993 तक भेज सकते हैं।

4. तत्पश्चात् समिति ने श्री राम चंद्र दास, वेस्टर्न इण्डिया सिनेमेटोग्राफर्स "एसोसिएशन" बम्बई के प्रतिनिधि का मौखिक साक्ष्य लिया।

5. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

---

*अन्य साक्षी श्री जी० पी० सिप्पी, प्रतिलिप्यधिकार चोरी के विरुद्ध भारतीय संघ, बम्बई के प्रतिनिधि, जिन्हें संयुक्त समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य देने के लिए आना था नहीं आये।

सोलह

सोलहवीं बैठक

10.8.1993

समिति की बैठक मंगलवार, 10 अगस्त, 1993 को 15.00 बजे से 17.15 बजे तक समिति कमरा सं० 50, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री सैयद सिब्ते रज़ी — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. डा० एफ० आजम
3. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी
4. श्री प्रबीन डेका
5. श्री इम्चालम्बा
6. श्री जय प्रकाश
7. श्री श्याम लाल कमल
8. श्री एम० कृष्ण स्वामी
9. श्री वी० धनंजय कुमार
10. प्रो० (श्रीमती) सावित्री लक्ष्मण
11. श्री रामेश्वर पाटीदार
12. श्री भगवान शंकर रावत
13. श्री पी० सी० थामस

राज्य सभा

14. डा० नौनिहाल सिंह
15. मौहम्मद अफज़ल उर्फ मीम अफज़ल
16. श्री दिनेशभाई त्रिवेदी
17. श्री विश्वजित पी० सिंह
18. श्रीमती वीणा वर्मा

सचिवालय

1. श्री आर० के० चटर्जी — उप सचिव
2. श्री राम अवतार राम — अवर सचिव

मावन संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री वाई० एन० चतुर्वेदी — अपर सचिव
2. श्री वी० लक्ष्मी रेड्डी — निदेशक

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री ए० सी० सी० उन्नी — अपर सचिव
2. श्री एस० पी० कंवल — उप विधायी परामर्शदाता

2. सभापति ने समिति के सदस्यों तथा अन्य लोगों का स्वागत किया और समिति द्वारा 15 सितम्बर, 1992 से अब तक किए गए कार्य को संक्षेप में स्पष्ट किया। सभापति ने श्री रामेश्वर पाटीदार, संसद सदस्य तथा श्रीमती वीणा वर्मा, संसद सदस्य से प्राप्त संशोधनों की सूचनाओं, जिन्हें समिति के सदस्यों को पहले ही परिचालित किया जा चुका है, का उल्लेख किया।

3. तत्पश्चात्, समिति ने विधेयक पर खण्डवार विचार किया। चूंकि श्री रामेश्वर पाटीदार, संसद सदस्य बैठक के आरंभ में उपस्थित नहीं थे इसलिए उनके संशोधन श्री दिनेश त्रिवेदी ने प्रस्तुत किए। कुछ समय पश्चात् श्री रामेश्वर पाटीदार आये और बैठक में शामिल हुए। समिति ने विधेयक के उन सभी खण्डों पर जिनके बारे में न तो संशोधनों की सूचना दी गयी थी और न ही समिति के किसी सदस्य ने संशोधन प्रस्तुत किया था, पर विचार किया और उन्हें बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया। समिति ने विधेयक के संगत खण्डों, जिन पर 16 संशोधनों की सूचना दी गयी थी (सामान्य सुझावों को छोड़कर) पर विचार करते समय ग्यारह संशोधन बिना किसी परिवर्तन अथवा परिवर्तन सहित स्वीकार किये। शेष पांच संशोधनों पर विचार किया गया किन्तु उन्हें समिति द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। खण्ड-वार ये पांच संशोधन जिन पर समिति ने विचार किया किन्तु स्वीकार नहीं किया अनुबंध में दिए गए हैं।

4. .खण्डों के संबंध में संबंधित संशोधनों पर समिति द्वारा विचार किया गया और उन्हें परिवर्तन के साथ अथवा बिना किसी परिवर्तन (अधोरेखांकित शब्द संशोधन में किये गये परिवर्तन का द्योतन करते हैं) को स्वीकार किया गया।

(एक) खण्ड 2 (दस) (थ थ)

पृष्ठ 3, पंक्ति 43, ''**बाजीगर**'' के बाद ''**जादूगर**'' जोड़ें।

खण्ड 2 यथासंशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

(दो) खण्ड 6(घ)

पृष्ठ 5, पंक्ति 18 **के बाद** निम्नलिखित जोड़ें:

''12(घ) इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित किए जाने वाले नियमों के अध्यधीन प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड को अध्याय पांच के अधीन किसी साहित्यिक, नाटकीय, संगीतमय, कलापूर्ण अथवा वैज्ञानिक कार्य में प्रतिलिप्यधिकार समाप्त करते समय यह निश्चित करने की शक्ति प्राप्त है कि क्या ऐसा कार्य सांस्कृतिक, साहित्यिक, कलापूर्ण अथवा राष्ट्रीय धरोहर का हिस्सा बनने के लिए पर्याप्त मूल्य रखता है।

परन्तु यह कि यदि बोर्ड ऐसे किसी कार्य को ऐसे धरोहजन्य मूल्य का समझता है, तो इसे निर्धारित किए जाने वाले नियमों के अंतर्गत यह निर्धारित करने की शक्ति होगी कि लेखकों के उत्तराधिकारियों अथवा उत्तरवर्ती व्यक्तियों को **प्रतिलिप्यधिकार के व्यपगत होने के 20 वर्ष के पश्चात** कार्य के लिए पर्याप्त रायल्टी दी जाये।''

खण्ड 6(यथा संशोधित) रूप में स्वीकार किया गया।

(तीन) **खण्ड 8(2)**

पृष्ठ 7, पंक्ति 17 के बाद निम्नलिखित जोड़ें:

''19(2) किसी कार्य में प्रतिलिप्यधिकार नियत करते समय प्रतिलिप्यधिकार के करार की अवधि समाप्त होने पर किसी साहित्यिक, नाटकीय, संगीतमय, कलापूर्ण अथवा विज्ञान संबंधी कार्य के लेखकों, उत्तराधिकारियों उत्तरवर्ती व्यक्तियों को दी जाने वाली राशि भी विनिर्दिष्ट की जानी चाहिए और उसमें परस्पर स्वीकृत शर्तों पर संशोधन किया जा सकता है, समयावधि को बढ़ाया अथवा समाप्त किया जा सकता है।''

(चार) खण्ड 8(3)

पृष्ठ 7, पंक्ति 18-24 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये:**

''19(3) (क) साहित्यिक, नाटकीय कलापूर्ण चलचित्रदर्शी फिल्म और ध्वनि रिकार्डिंग के मामले में, उपधारा (1) के अंतर्गत दिए गए अधिकार विनिर्दिष्ट न हों, तो यह माना जायेगा कि समनुदेशक ने अपने कार्य में अन्य सभी प्रतिलिप्यधिकारों को अपने पास सुरक्षित रखा है।

(ख) संगीतमय कार्यों के मामले में, यदि उपधारा (1) में दिए गए अधिकार विनिर्दिष्ट न हों, तो यह माना जायेगा कि संगीतमय कार्यों के रचयिता ने समनुदेशिता की केवल समग्र रूप से एक चलचित्रदर्शी फिल्म अथवा एक ध्वनि रिकार्डिंग के रूप में तैयार किए जाने वाले अपने कार्य के संबंध में एक चलचित्र फिल्म बनाने अथवा एक ध्वनि रिकार्डिंग के लिए ही अधिकार दिया है और अन्य सभी अधिकार विशेष रूप से वह अपने पास रखता है।

(ग) परन्तु यह कि किसी स्थिति में यदि समनुदेशिती समनुदेशन की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के अंदर ऐसे किसी अधिकार का उपयोग नहीं करता है, तो उक्त अवधि के समाप्त होने के बाद ऐसे समनुदिष्ट अधिकारों के संबंध में समनुदेशन व्यपगत माना जायेगा।''

खण्ड 8 यथा संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

(पांच) खण्ड 11

पृष्ठ 8 पंक्ति 19 **के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाए:**

"बशर्ते इस खण्ड में प्रयुक्त शब्द "कोई व्यक्ति नहीं" किसी भी प्रतिलिप्यधिकार प्राप्त व्यक्ति (लेखक) को अपनी कृति की बाबत अनुज्ञप्ति जारी करने अथवा अनुद्धृत करने से नहीं रोकेंगे।"

(छः) खण्ड 11

पृष्ठ 8 पंक्ति 22, के अध्याय शब्द के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाए:

"और मौजूदा प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटियां संशोधनकारी अधिनियम के लागू होने की तिथि से एक वर्ष की संक्रमण अवधि के अंदर पंजीकृत हो जानी चाहिए।"

(सात) **खण्ड 19**

पृष्ठ 15, पंक्ति 36, "धारा 53 के पश्चात" **से पूर्व** "अध्याय ग्यारह में" **जोड़ा जाए।**

खण्ड 19 यथा संशोधित रूप में स्वीकृत किया गया।

(आठ) खण्ड 22

पृष्ठ 16, पंक्ति 30

"परन्तुक" **से पूर्व** "पहले" **जोड़ा जाए।**

खण्ड 22 यथा संशोधित रूप में स्वीकृत किया गया।

(नौ) खण्ड 23

पृष्ठ 16, अंतिम पंक्ति के स्थान पर निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए।**

"इस अधिनियम के अधीन प्रतिलिप्यधिकार के उल्लंघन का अपराध हो।"

खंड 23 को यथा संशोधित रूप में स्वीकृत किया गया।

(दस) खंड 24

पृष्ठ 17, पंक्ति 20

"जाएगी" **के स्थान पर** "जा सकती है" **प्रतिस्थापित किया जाये।**

(ग्यारह) खंड 24 (दा)

पृष्ठ 17, पंक्ति 49 **के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाये:**

*"78(2)(घग) लेखकों और उनकी अनुपस्थिति में उनके कानूनी प्रतिनिधियों को पुस्तकों के प्रकाशन, पुनः मुद्रण, और संस्करणों के प्रकाशन अथवा जारी करने अथवा अनुवाद अथवा प्रस्तुतीकरण, और विभिन्न चरणों पर दी जानी देय रायल्टी की राशि के बारे में सूचित करने के लिए पुस्तकों के प्रकाशकों तथा उनके लेखकों द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें।

(घघ) लेखकों तथा उनके कानूनी प्रतिनिधियों के हितों को प्रकाशकों से सुरक्षित रखने के लिए लेखक अथवा उसके कानूनी प्रतिनिधियों और पुस्तक के प्रकाशकों के बीच हस्ताक्षर किए जाने वाले करार (मा ॅडल करार) का प्रारूप जिसमें ऐसे करार के मा ॅडल प्रारूप के प्रावधान शामिल हों।"

खण्ड 24 यथा संशोधित रूप में स्वीकृत किया गया।

5. समिति ने सुझाव दिया कि खण्ड 15, पंक्ति 12, पंक्ति 6 में "सोसाइटी" शब्द **के स्थान पर** जो मुद्रण संबंधी गलती है शुद्धिपत्र जारी करके "केवल" शब्द **प्रतिस्थापित किया जाए।**

6. समिति ने अपनी अगली बैठक संशोधनों की सूचनाओं में दिए गए सामान्य सुझावों पर विचार करने के लिए 12 अगस्त को 15.00 बजे करने का निर्णय लिया।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

---

* अन्ततः समिति द्वारा अस्वीकार कर दिया गया।

अनुबंध

लोक सभा सचिवालय

समिति शाखा-दो

प्रतिलिप्यधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1992 संबंधी संयुक्त समिति

समिति के सदस्यों से प्राप्त संशोधनों की सूची, जिन पर समिति द्वारा 10 अगस्त, 1993 को हुई अपनी बैठक में विचार किया गया और अस्वीकृत हुए।

(देखिए दिनांक 10.8.1993 के कार्यवाही सारांश का पैरा 3)

क्रम सं॰	सदस्य का नाम तथा संशोधन का मूल पाठ	खंड संख्या
1	2	3
1.	**श्री रामेश्वर पाटीदार** पृष्ठ 3, पंक्ति 6 "परिणाम" के बाद जोड़ें "और ऐसे कार्यक्रम का संस्करण तैयार करना भी सम्मिलित हो, जिसमें इसे किसी कम्प्यूटर की भाषा अथवा कूटभाषा अथवा किसी भिन्न कम्प्यूटर की भाषा अथवा कूटभाषा में अथवा उसमें से परिवर्तित किया जाता है।"	2(पांच) (चचग)
2.	पृष्ठ 5, 18 के बाद अंतःस्थापित करें: "13 (4) (क) संदेहों के निवारण के लिए यहां तक बात स्पष्ट घोषित की जाती है कि किसी चलचित्रदर्शी फिल्म अथवा अभिलेख में किसी साहित्यिक, नाटकीय, संगीतमत अथवा कलापूर्ण कार्य को मूर्त रूप देने अथवा शमिल करने से ही उस व्यक्ति, जो मूर्त रूप देने अथवा उसे शामिल करने से तुरंत पूर्व उस कार्य के प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी था, के कार्य [जिसमें इस उपधारा के पैरा (ग) में उल्लिखित विशिष्ट अधिकारों सहित] के प्रतिलिप्यधिकार को प्रभावी नहीं करेगा अथवा प्रभावी करने वाली नहीं माना जायेगा। (ख) इस उपधारा के पैरा (क) में उल्लिखित विशिष्ट अधिकार अनन्य अधिकार हैं:— (एक) किसी कार्य का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन अथवा सार्वजनिक रूप से इसके प्रदर्शन के लिए प्राधिकृत करना [जिसमें चलचित्रदर्शी फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन द्वारा किया गया कोई निष्पादन अथवा उस रिकार्ड, जिसमें कार्य को मूर्त रूप दिया गया है अथवा शमिल किया गया है] को सार्वजनिक रूप से लगाना शमिल है; (दो) कार्यों को किसी भौतिक रूप से पुनरूपस्थित करना अथवा इसके पुनरूपस्थापन के लिए प्राधिकृत करना।"	पृष्ठ 6 (क) (नया)
3.	**श्रीमती वीणा वर्मा** पृष्ठ 7, पंक्ति 19 "उपधारणा की जाएगी" **के स्थान पर** "माना जाएगा" प्रतिस्थापित करें [यह संशोधन अनावश्यक हो गया था क्योंकि श्री रामेश्वर पाटीदार द्वारा पृष्ठ 7 में पंक्ति 18-21 के स्थान पर पृष्ठ 7 में पंक्ति 23-24 को प्रतिस्थापित करने हेतु प्रस्तावित संशोधन को समिति ने स्वीकार कर लिया था।]	8

1	2	3
4.	पृष्ठ 11, पंक्ति 16 ''अधिकार के'' के बाद ''प्रभाव'' जोड़ें	14
5.	पृष्ठ 12, पंक्ति 10 ''प्रसारण'' के बाद जोड़े ''अथवा प्रस्तुतीकरण की''	15

सत्रह

सत्रहवीं बैठक

12.8.1993

समिति की बैठक गुरुवार, 12 अगस्त, 1993 को 15.00 बजे से 16.00 बजे तक समिति कमरा सं॰ 50, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री सैयद सिब्ते रज़ी — **सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री ई॰ अहमद
3. श्री आनन्द अहिरवार
4. श्रीमती दिल कुमारी भंडारी
5. श्री गुरचरण सिंह दादाहूर
6. श्री शरद दिघे
7. श्री जय प्रकाश
8. श्री श्याम लाल कमल
9. श्री एम॰ कृष्ण स्वामी
10. प्रो॰ (श्रीमती) सावित्री लक्ष्मणन
11. श्री बीर सिंह महतो
12. श्री रामेश्वर पाटीदार

राज्य सभा

13. श्री एस॰ बिडुतलै विरूम्भी
14. श्री विश्वजित पी॰ सिंह
15. श्री इकबाल सिंह

सचिवालय

1. श्री आर॰ के॰ चटर्जी — **उप सचिव**
2. श्री राम अवतार राम — **अवर सचिव**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री वाई॰ एन॰ चतुर्वेदी — **अपर सचिव**
2. श्रीमती वी॰ लक्ष्मीरेड्डी — **निदेशक**

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री ए॰ सी॰ सी॰ उत्री — **अपर सचिव**
2. श्री एस॰ पी॰ कंवल — **उप-विधायी परामर्शदाता**

2. सभापति ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और संशोधनों की सूचनाओं में दिए गए कतिपय सामान्य सुझावों को समिति के समक्ष रखा। समिति ने सुझाव के निम्नलिखित भाग को छोड़कर अन्य सुझावों को स्वीकार नहीं किया और इच्छा व्यक्त की कि इसे समिति के प्रतिवेदन में शमिल किया जा सकता है:—

* "संशोधन इस बात को मान्य ठहराने के लिए किया जाना चाहिए कि यद्यपि नाटक अथवा संगीत संबंधी कार्य को एक सिनेमेटोग्राफ फिल्म में शमिल करने की अनुमति दे दी गई है, ऐसे नाटक अथवा संगीत संबंधी कार्य का रचयिता ऐसे कार्य के प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी बना रहेगा और साथ ही इसके पास ऐसी सिनेमेटोग्राफ फिल्म के माध्यम से इसके सार्वजनिक प्रदर्शन के अधिकार भी होंगे।"

---

*अन्ततः समिति द्वारा अस्वीकार कर दिया गया।

3. जिन सुझावों पर विचार किया गया था और जिनका समिति ने अनुमोदन नहीं किया था वे अनुबंध में दिए गए हैं।

4. समिति ने अपनी अगली बैठक कल अर्थात् शुक्रवार, 13 अगस्त, 1993 को 15.00 बजे समिति द्वारा अनुमोदित संशोधनों को शामिल करते हुए विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा तैयार और समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए संशोधित विधेयक पर विचार करने का निर्णय लिया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

अनुबंध

लोक सभा सचिवालय

समिति शाखा-दो

प्रतिलिप्यधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1992 संबंधी संयुक्त समिति

समिति की 12 अगस्त, 1993 को हुई बैठक में सदस्यों से प्राप्त उन संशोधनों की सूची जिन पर विचार किया गया किन्तु जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया।

(दिनांक 12.8.93 के कार्यवाही सारांश का पैरा 3 देखिए)

सामान्य सुझाव

1. श्री रामेश्वर पाटीदार

धारा 2 के खंड (ञ) में अंत:स्थापित किए जाने वाले सुझाव

"धारा (2) के खंड (ञ) को यह स्पष्ट करने के लिए और अधिक स्पष्ट बनाने के लिए कि "ऐकान्तिक अनुज्ञप्ति" प्रतिलिप्यधिकार के केवल उसी भाग से संबंधित होगी जो किसी समनुदेशिष्ट को समनुदिष्ट किया गया और जब तक समनुदेशिती अपने प्रतिलिप्यधिकार के समग्र वर्णक्रम को छोड़ नहीं देता, प्रतिलिप्यधिकार के समग्र वर्णक्रम से संबंधित नहीं होगी।

2. नए संशोधन का सुझाव

"एक प्रावधान किया जाना चाहिए कि जब पंजीकृत कार्य में प्रतिलिप्यधिकार दिया जाता है, समनुदेशकर्ता के, जिसके न कर पाने की स्थिति में, समनुदेशिती पंजीयक को ऐसे समनुदेशन का नोटिस देगा और उस दस्तावेज की एक प्रति भी प्रेषित करेगा, जिसके द्वारा ऐसा अधिकार दिया गया है इससे यह सुनिश्चित होगा कि रजिस्टर अद्यतन है और वर्तमान स्थिति को ठीक से दिखाता है।

3. प्रतिबंधकारी समनुदेशन

"विधि को यह मान्यता देनी चाहिए कि जब कोई संगीतकार किसी चलचित्र दर्शी फिल्म अथवा ध्वनि रिकार्डिंग में शामिल करने के लिए कोई गीत रचता है तो वह ऐसा केवल उसी प्रयोजन के लिए करता है और वह चलचित्रदर्शी फिल्म अथवा ध्वनि रिकार्डिंग के विनिर्माता को केवल अपनी फिल्म अथवा रिकार्डिंग के लिए उसकी रचना का उपयोग करने का अधिकार देता है।

4. श्रीमती वीणा वर्मा

अधिनियम में सुझाए गए नए संशोधन

धारा 63 (ग) के उल्लेख का समावेश करने के लिए मूल अधिनियम की धारा 64 (1) को संशोधित किया जाए ताकि कम्प्यूटर कार्यक्रमों की उल्लंघनकारी प्रतियां भी जब्त की जा सकें।

अठारह

अठारहवीं बैठक

13.8.1993

समिति की बैठक शुक्रवार, 13 अगस्त, 1993 को 15.00 बजे से 16.00 बजे तक समिति कमरा सं० 50, प्रथम मंजिल, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री सैयद सिब्ते रजी—**सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री ई० अहमद
3. श्री गुरचरण सिंह दादाहूर
4. श्री प्रबीन डेका
5. श्री शरद दिघे
6. श्री श्याम लाल कमल
7. प्रो० (श्रीमती) सावित्री लक्ष्मणन
8. श्री साइमन मरान्डी
9. श्री रूपचंद पाल
10. श्री रामेश्वर पाटीदार

राज्य सभा

11. श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल
12. श्री विश्वजित पी० सिंह
13. श्रीमती वीणा वर्मा
14. श्री इकबाल सिंह
15. श्री जी० स्वामीनाथन

सचिवालय

1. श्री आर० के० चटर्जी — उप सचिव
2. श्री राम अवतार राम — अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के प्रतिनिधि

श्री वाई० एन० चतुर्वेदी — अपर सचिव

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री ए० सी० सी० उन्नी — अपर सचिव
2. श्री एस० पी० कंवल — उप-विधायी परामर्शदाता

समिति ने विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये विधेयक में कुछ संशोधनों में परिवर्तनों पर विचार किया और उन्हें अनुमोदित किया (परिवर्तित संशोधन अनुबंध में दिये गये हैं)।

2. समिति ने समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक तथा उस पर प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया तथा उसे स्वीकृत करने के लिये अपनी अगली बैठक, गुरूवार 19 अगस्त, 1993 को 15.00 बजे करने का निर्णय लिया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

अनुबंध

प्रतिलिप्यधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1992 संबंधी संयुक्त समिति

क्रम सं०	परिवर्तित संशोधनों का पाठ	खंड सं०
1.	(थ थ) 'प्रस्तुत कर्त्ता'' के अंतर्गत है कोई अभिनेता, गायक, संगीतज्ञ, नर्तक, कलाबाज, बाजीगर, जादूगर, सपेरा, व्याख्यान देने वाला व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति जो कोई प्रस्तुतीकरण करता है।	2
	''(2क) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी भी अन्य बात के होते हुए इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये किसी भी नियम के अंतर्गत प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड को अध्याय पांच के अधीन किसी साहित्यिक, नाटकीय, संगीतमय और कलापूर्ण कार्य के प्रतिलिप्यधिकार समाप्त करने से पहले यह निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है कि क्या ऐसा कार्य पर्याप्त महत्व रखता है जिससे वह राष्ट्रीय धरोहर का अंग बन सके और जहां प्रतिलिप्यधिकार यह निर्धारित करता है कि उस कार्य को राष्ट्रीय धरोहर का अंग बनने की पर्याप्त क्षमता है, इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये किसी भी नियम के अध्यधीन, ऐसे कार्य के प्रतिलिप्यधिकार की समयावधि को उसकी समाप्ति की तिथि से 20 वर्ष से अनधिक और आगे बढ़ाने का आदेश देगा और इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उक्त कार्य में प्रतिलिप्यधिकार की समयावधि तदनुसार बढ़ा दी जायेगी।''	12(2) (क)
3.	किसी कार्य में प्रतिलिप्यधिकार का समनुदेशन इसके चले रहने के दौरान लेखक के अथवा उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को देय रायल्टी की राशि भी विनिर्दिष्ट करेगा और इस समनुदेशन में पक्षकारों द्वारा पारस्परिक रूप से स्वीकृत शर्तों पर संशोधन किया जा सकेगा, समयावधि को बढ़ाया जा सकेगा अथवा समाप्त किया जा सकेगा।''	(19) (2)
4.	साहित्यिक, नाटकीय, कलापूर्ण कार्य, चलचित्र दर्शी फिल्म और ध्वनि रिकार्डिंग के मामले में, यदि उपधारा (1) के अंतर्गत दिए गए अधिकार विनिर्दिष्ट न हों, तो यह माना जायेगा कि समनुदेशक ने अपने कार्य में उन सभी प्रतिलिप्यधिकारों, जो उसे दिए गए हैं, को अपने पास सुरक्षित रखा है।''	(19) 3 (क)
5.	संगीतमय कार्यों के मामले में, यदि उपधारा (1) में दिए गए अधिकार विनिर्दिष्ट न हों, तो यह माना जायेगा कि संगीतमय कार्यों के रचयिता ने समनुदेशिती को केवल समग्र रूप से एक चलचित्रदर्शी फिल्म अथवा एक ध्वनि रिकार्डिंग के रूप में तैयार किए जाने वाले अपने कार्य के संबंध में एक चलचित्र फिल्म बनाने अथवा एक ध्वनि रिकार्डिंग के लिए ही अधिकार दिया है और अन्य सभी अधिकार वह अपने पास रखता है।''	19 (3) (ख)
6.	इस धारा की किसी उप धारा के अंतर्गत समनुदेशिती को दिए गए अधिकारों का समनुदेशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि में यदि उसके द्वारा उपयोग नहीं किया जाता, तो यह माना जायेगा कि उक्त अवधि के समाप्त होने के बाद ऐसे सभी अधिकारों का समनुदेशन व्यपगत हो गया है।''	19 (3) परन्तुक
7.	''परन्तु यह भी कि प्रतिलिप्यधिकार धारक को व्यक्तिगत रूप से अपनी कृतियों के संबंध में अनुज्ञप्तियां प्रदान करने का अधिकार बना रहेगा।	11, पृ०8 , पंक्ति 19 के बाद
8.	''और प्रत्येक ऐसी सोसाइटी प्रतिलिप्यधिकार (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1993 के लागू होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि में अपने को पंजीकृत कराएगी।''	11, पंक्ति 22 के बाद

उन्नीस

उन्नीसवीं बैठक

19.8.1993

समिति की बैठक गुरुवार, 19 अगस्त, 1993 को 15.00 बजे से 16.00 बजे तक राज्य सभा के सभापति के समिति कमरा संख्या 67, पहली मंजिल, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री सैयद सिब्ते रजी—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. डा॰ एफ॰ आजम
3. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी
4. श्री शरद दिघे
5. श्री श्याम लाल कमल
6. प्रो॰ (श्रीमती) सावित्री लक्ष्मणन
7. श्रीमती गीता मुखर्जी
8. श्री रूपचन्द पाल
9. श्री रामेश्वर पाटीदार
10. श्री के॰ जी॰ शिवप्पा

राज्य सभा

11. श्री दिनेशभाई त्रिवेदी
12. डा॰ संजय सिंह
13. श्री विश्वजित पी॰ सिंह
14. श्रीमती वीणा वर्मा
15. श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी

सचिवालय

1. श्री एस॰ सी॰ गुप्ता—संयुक्त सचिव
2. श्री राम अवतार राम—अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के प्रतिनिधि

श्री वाई॰एन॰ चतुर्वेदी—अपर सचिव

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री ए॰ सी॰ सी॰ उन्नी—अपर सचिव
2. श्री एस॰ पी॰ कंवल—उप-विधायी परामर्शदाता

2. सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। सभापति ने, विधेयक का उल्लेख करते हुए, समिति द्वारा यथा संशोधित विधेयक, तथा प्रारूप प्रतिवेदन के संबंध में सुझाव, यदि कोई हैं, मांगे।

3. समिति ने विधेयक पर विचार किया और उसे यथासंशोधित रूप में स्वीकार कर लिया।

4. इसके पश्चात् समिति ने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

5. सभापति महोदय ने टिप्पणी की कि समिति का प्रतिवेदन समिति में बहुमत से लिए गये निर्णयों पर आधारित है किन्तु, फिर भी यदि कोई सदस्य प्रतिवेदन अथवा उसके किसी एक भाग से असहमत है, तो विधेयक अथवा प्रतिवेदन में की गई चर्चा से सम्बंधित किसी मामले

पर विमत टिप्पण दे सकता है। इसके बाद सभापति महोदय ने विमति टिप्पणों के संबंध में अध्यक्ष के निर्देशों के निदेश 87 में अंतर्विष्ट प्रावधानों की ओर सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया और यह घोषणा की कि विमति टिप्पण, यदि कोई है, तो उसे लोक सभा सचिवालय को शुक्रवार, 20 अगस्त, 1993 को 17.00 बजे तक भेज दिया जाये और इसे समिति ने स्वीकार कर लिया था।

6. समिति ने प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने ओर साक्ष्य के रिकार्ड को 24 अगस्त, 1993 को सभा पटल पर रखने के लिए सभापति महोदय को प्राधिकृत किया।

7. समिति ने विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) के विधायी सलाहकार और मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के अधिकारियों द्वारा किए गए सहयोग और सहायता के लिए उनकी प्रशंसा की।

8. समिति ने लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किए गए कठिन परिश्रम और बहुमूल्य सहायता के लिए उनकी प्रशंसा की और उनको धन्यवाद दिया।

9. सभापति महोदय ने समिति की कार्यवाही को अत्यधिक सौहार्दपूर्ण बातावरण में चलाने में उन्हें दिए गए पूर्ण सहयोग के लिए समिति के सदस्यों का धन्यवाद किया।

10. समिति के सदस्यों ने, समिति की कार्यवाही को योग्यतापूर्ण और निष्पक्षतापूर्ण ढंग से चलाने और विधेयक की विभिन्न अवस्थाओं में उनके विचारों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सभापति महोदय का हार्दिक आभार व्यस्त किया।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

MGIP(PLU)MRND—3585LS—21-9-93—11 00

© 1993 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय को प्राप्त

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमों (सातवां संस्करण) के नियम 382 के अन्तर्गत प्रकाशित तथा प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, (फोटोलिथो यूनिट) मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।